खण्ड-224, अंक-8
गुरूवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1883
(18 मई, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–३३२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीनदयालु त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराव, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री

रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखलालनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह श्री
हरिसरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह,श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री

हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद के मुहल्ला अटाला में पुलिस की ज्यादती के विरुद्ध शिकायत

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) था श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मुहल्ला अटाला बैगनटोला-हसन मंजिल, दयराशाह, आजमन-नखास कोना के रहने वालों को पुलिस के द्वारा १७ अप्रैल, १९६१ को पीटने की शिकायत आई है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां। उक्त शिकायत के संबंध में जांच कराने पर मालूम हुआ कि पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई गई और कब कराई गई ?

श्री धर्मसिंह—जब इंसीडेंट हुआ, तभी हुई । डी० वाई० एस० पी० (सिटी) और एस० एस० पी० ने जांच की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जिन व्यक्तियों ने सरकार के पास शिकायत की थी उनसे भी जांच करने वालों ने कोई पूछ-ताछ की या नहीं की ?

श्री धर्मसिंह—वह एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने लेटर इत्यादि भेजे हैं, वह मौके पर नहीं थे, लेकिन जब जांच की गई तो और लोग थे, जिनके द्वारा पूरे तरीके से सब बातों को बता दिया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने अपनी जांच करके भेजी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, इस तरह की एक शिकायत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जिस व्यक्ति ने शिकायत भेजी उसको जांच करने वालों ने उस दिन के लिये कोई नोटिस जारी किया था रहने के लिये या नहीं ? और अगर नहीं, तो फिर उनसे बयान लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इसकी आवश्यकता नहीं है । जांच पूरे तरीके से की गई है, आई० जी० के द्वारा भी रिपोर्ट दी गई है । डी० आई० जी० ने मौके पर जाकर एस० एस० पी० क द्वारा जांच की है, और डिटेल में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस के खिलाफ शिकायत की दरख्वास्त आई है उसमें मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें हैं ?

श्री धर्मसिंह--बहुत-सी शिकायतें हैं। ३-४ बातें मुख्य हैं। जैसे जगदीशसिंह, एस० ओ०, नाका अतरसुइया, नखास कोना के करीब गये और हाजी सिद्दीक को बुरी तरह पीटा और उनकी आंख में और दोनों हांथों में चोटें आयीं, मुनीरुद्दीन कपड़े वाले को पीटा जिससे उनका सिर फट गया। जगदीश सिंह, एस० ओ० ने मोहल्ले में जाकर मुसलमानों को गालियां इत्यादि दीं। एक दूकानदार, हमीद हलवाई, को पीटा और दूकान लूट ली। इस तरह की मुख्य-मुख्य शिकायतें हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस ने जो कार्यवाहियां की थीं वह किस बिना पर की थीं और कितना उसमें तथ्य निकला जांच के बाद ?

श्री धर्मसिंह--जिन शिकायतों का मैंने जिक्र किया था, उनकी जांच की गई और वे सब बातें गलत पाई गईं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जगदीश सिंह, एस० ओ० का मौके पर जाना भी पुलिस की डायरी से साबित है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक जगदीशसिंह, एस० ओ० का संबंध है, उनके द्वारा जांच नहीं कराई गई, लेकिन इसके अलावा डी० एस० पी० से जांच कराई गई। जगदीशसिंह के वहां जाने के संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों के पीटे जाने की बात कही जाती है, उनकी कोई डाक्टरी जांच भी हुई है ?

श्री धर्मसिंह---हास्पिटल में तो भर्ती किये गये थे बाद में। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला अदालत में है, सब-ज्यूडिस है, इसलिये कहां तक प्रश्न करना मुनासिब होगा, यह मैं आपके और सदन के ऊपर छोड़े देता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--इस सदन की परम्परा के अनुसार आज तक जो भी शिकायतें आती हैं कर्मचारियों के खिलाफ, उनका यही जवाब मिलता है कि वह निराधार पाई गईं। इसके बावजूद भी क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को चोटें आई हैं, जख्म लगे हैं, उनके बयान भी जांच कुनिन्दा ने लिये और चोटें मौके पर देखी हैं ? और अगर देखी हैं, तो उनके बयान क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह--मौके पर जांच करने के बाद ही यह कहा गया कि जो कुछ बातें कही गई ह वह गलत हैं, उनमें कोई सार नहीं है। बल्कि एक स्थान पर दो साइकिल वालों में टक्कर होने और झड़प हो जाने की वजह से सब वाकयात पैदा हो गये।

श्री अध्यक्ष--आपने अभी यह कहा कि मामला सब-ज्यूडिस है तो यह किस तरह से है ? क्या पुलिस ने कोई मुकदमा चलाया है ?

श्री धर्मसिंह--चालान करके मुकदमा चलाया है और वह अदालत में पेंडिंग है।

सचिवालय में विभागों का सेन्ट्रलाइजेशन करने पर विचार

****२--श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार सचिवालय के विभागों का सेन्ट्रलाइजेशन (Centralization) करने का विचार कर रही है जिससे पूरे सचिवालय के स्तर पर बनी लिस्ट के अनुसार द्वितीय श्रेणी के सहायकों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति की जा सके ?

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---जी हां। यह प्रश्न विचाराधीन है। अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर पदोन्नति के अवसर समान करने के लिये अभी हाल में एक योजना पूरे सचिवालय के स्तर पर कार्यान्वित भी की गई थी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये उस योजना को बताने की कृपा करेंगे और साथ ही साथ यह भी बतायेंगे कि इस योजना के मातहत कितने अवर वर्ग सहायकों की प्रवर वर्ग सहायकों में पदोन्नति की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इसकी संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन यह रिप्रेजेन्टेशन आया था कि अलग-अलग डिसेन्ट्रलाइजेशन होने के कारण कहीं जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और कहीं देर में प्रमोशन मिलता है, तो उस पर सोच-विचार करके यह निश्चय किया गया कि सीनियर आदमी अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स में ट्रान्सफर कर दिये जायं ताकि प्रमोशन का बराबर अवसर मिल सके। अब फिर एक रिप्रेजेन्टेशन आया है जिस पर सरकार विचार कर रही है कि उस पर क्या किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि योजना कार्यान्वित हो गई है और उसके बाद अब कहते हैं कि रिप्रेजेन्टेशन आया है उस पर फिर विचार हो रहा है। तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब बनी और क्या इसकी जांच की गई कि वह कार्यान्वित हुई या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---दोनों बातें हैं। एक योजना बनाई गई और १९६० में कार्यान्वित हो गई, लेकिन उसके बाद भी मालूम होता है कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन है लोगों में इसलिये फिर सोचा जा रहा है कि क्या कुछ चेंज किया जाय या जो किया गया है वही काफी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक जो योजना कार्यान्वित की गई वह सफल रही है ? अब तक प्राग्दर्शन में सरकार का क्या विचार है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जो योजना कार्यान्वित की गई है उसमें असंतोष है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास जो रिप्रेजेन्टेशन आया है उसमें इस बात की शिकायत की गई है कि सरकार के बनाये हुये नियमों के अनुसार पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या उन स्पेसिफिक केसेज की छानबीन करा ली गई है कि उनमें नियम बरते गये हैं अथवा नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---सन् १९५१ के बाद सेन्ट्रलाइज्ड प्रमोशन्स को डिसन्ट्रलाइज कर दिया गया था। पहले कुछ विभाग ऐसे थे जिनमें सचमुच प्रमोशन का नम्बर जल्दी आ जाया करता था और कुछ में देर में आया करता था। और जिन विभागों में कम हैं वहां जल्दी आ जाया करता था। पहले यह सोचा गया कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की स्कीम रखें, फिर जहां जूनियर लोगों को दूसरे विभागों में भेजने से प्रमोशन जल्दी मिला, इस स्कीम को चलाया गया। लेकिन उनके एसोसियेशन ने रिप्रेजेंट किया कि यह ठीक नहीं है। अब सेन्ट्रलाइजेशन करने पर मुख्य मंत्री जी विचार कर रहे हैं जिसस सबको बराबर मौका मिले। इसमें दोनों पहलू हैं, कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। विचार होकर ही तय होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या व्हिटले कांउसिल के नमूने पर सचिवालय में एक काउंसिल नियत की गई है जिसमें सचिवालय के प्रतिनिधि और एप्वाइंटिग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो उससे राय ली गई या नहीं, और ली गई तो उन्होंने क्या राय दी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अभी राय नहीं ली गई है।

हल्द्वानी केन सोसाइटी क्षेत्र का गन्ना पेरवाने की व्यवस्था

३--श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी तक हल्द्वानी केन सोसाइटी के क्षेत्र के अन्तर्गत लाखों मन गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है तथा उसके पेरे जाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गन्ने के पेरे जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--वर्तमान सीजन में ११ मई, १९६१ को हल्द्वानी केन सोसाइटी के क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमानत: केवल ३·१८ लाख मन गन्ना बिक्री के लिये शेष था। इस गन्ने को रामपुर, बाजपुर, बहेड़ी और बरेली चीनी मिलें मिल कर बत्तीस हजार मन प्रतिदिन के हिसाब से खरीद रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस फैक्ट्री को कितना गन्ना देना तजवीज हुआ है और उस हिसाब से यह गन्ना कब तक निकल जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी--मेरे पास हर मिल के अलग-अलग फीगर्स नहीं हैं। लेकिन ३२ हजार मन रोजाना से ३ लाख १८ हजार मन १० दिन में खत्म हो जायगा। उम्मीद है कि २१-२२ तारीख तक खत्म हो जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जब तक हल्द्वानी केन सोसाइटी का गन्ना समाप्त नहीं हो जायगा तब तक ये दोनों मिलें बन्द नहीं होने दी जावेंगी ?

श्री रऊफ जाफरी--इनमें से कई मिलें तो ऐसी हैं जैसे बहेड़ी और बाजपुर जो अपना गन्ना खत्म होने पर भी चलती रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, एक बात नारायणदत्त जी ने कल पूछी थी, आपकी इजाजत से उसे भी मैं कह दूं।

श्री अध्यक्ष--वह पूछते हैं कि जब तक हल्द्वानी केन सोसाइटी के क्षेत्र के गन्ना पिर न जाय तब तक क्या कोई भी मिल बन्द नहीं होगी ?

श्री रऊफ जाफरी--नहीं होगी।

श्री नारायणदत तिवारी--केन सोसाइटी के अन्तर्गत रिजर्व गन्ने की फीगर्स हैं या गन्ना जो बाहर खेतों में खड़ा है उसकी भी फीगर्स हैं?

श्री रउफ जाफरी--यह सूचना सिर्फ उसी केन से ताल्लुक रखती है जो मिलों में जाने को था।

श्री मदन पांडेय--क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत-सा गन्ना मिल के एरिया से बाहर भी खड़ा रहता है, माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से असेसमेंट करा के, जब तक कुल गन्ना समाप्त न हो जाय तब तक, इन मिलों को चलने का आदेश देंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--बौंडिंग होने के बाद केन यूनियनों की तरफ से आफर होता है और दोनों का एग्रीमेन्ट होता है, मिलें उसके मुताबिक काम करने के लिये मजबूर हैं। मैंने सचना उस गन्ने की दी है जो मिलों में जाने को है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ज्ञात है कि उस इलाके में मिलों में जाने वाले गन्ने के अलावा और भी गन्ना है ?

श्री रऊफ जाफरी--हो सकता है कि कुछ और गन्ना हो।

श्री चन्द्रजीत यादव——क्या मंत्री जी को सूचना है कि हल्द्वानी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका गन्ना लेने से मिलें इन्कार करती हैं और वह स्पष्ट करेंगे कि कौन गांव किस मिल के एरिया में हैं ताकि वे लेने से इन्कार न करें ?

श्री रऊफ जाफरी——सवाल मेरी समझ में नहीं आया । मैं बता सकता हूं कि कौन-कौन सेंटर किस मिल को दिये गये हैं और उनके गांव तो निश्चित ही होंगे ।

श्री नारायणदत तिवारी——क्या सरकार को मालूम है कि पिछले सीजन के मौके पर आशा थी कि किछा चीनी मिल, जिसे दानसिंह मालदार लगा रहे हैं, वह चल जायगी लेकिन उसके न चलने से उस क्षेत्र का गन्ना सरप्लस हो गया और वह बौंडेड भी नहीं है, उसे पिराने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी——वहां गन्ना जरूर ज्यादा हो गया था । मिलों से कोशिश की जा रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा दिन चलें । कई मिलें जून में भी चलेंगी । मई के आखिरी हफ्ते तक तो सिवाय बरेली के, जो शायद आज बन्द हो गई है, सब चलेंगी ।

श्री अध्यक्ष——वह पूछते हैं कि जो गन्ना बौंडेड नहीं है उसे आप उन मिलों में पिरवा देंगे जो पहले बन्द होने को हैं ?

श्री रऊफ जाफरी——मैं समझता हूं कि यह मुमकिन नहीं होगा इसलिये कि उन मिलों क पास जून तक का गन्ना है ?

श्री अध्यक्ष——जिस मिल से हल्द्वानी का गन्ना पेरा जाता है वह बन्द होने वाली है तो फालतू गन्ना उससे पिरवाने की इजाजत देंगे आप, यह पूछते हैं वह ।

श्री रऊफ जाफरी——नोटिस चाहिये ।

मझोला सहकारी गन्ना मिल के लिये एडहाक कमेटी

****४——श्री प्रतापसिंह, श्री रघुराजसिंह चौधरी** (जिला बुलन्दशहर) **तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**——क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मझोला की सहकारी गन्ना मिल कब तक लग जावेगी ?

श्री रऊफ जाफरी——इस मिल को लगाने के लिये अभी हाल में लाइसेंस मिला है और इमारत बनने व मशीनरी आने तथा काश्तकारों द्वारा शेयर जमा होने के बाद ही यह मिल लग सकेगी ।

****५——श्री प्रतापसिंह, श्री रघुराजसिंह चौधरी तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**——क्या उपरोक्त मिल के लिये कोई समिति का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग हैं ?

श्री रऊफ जाफरी——फिलहाल एक एड हाक कमेटी (Ad hoc Committee) रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई है और उसमें जो व्यक्ति हैं उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९० पर)

श्री प्रतापसिंह——क्या यह सही है कि काश्तकारों ने अपना शेयर जमा कर दिया है ? यदि हां, तो उन्होंने कितना रुपया दिया और सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री रऊफ जाफरी——१६ लाख पया किसानों का और १५ लाख रुपया सरकार का है ।

श्री प्रतापसिंह--अब इस मिल का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ताकि जिन लोगों ने गन्ना बोया है उनके लिये ऐसी नौबत न आवे कि मिल चली नहीं और गन्ना बुवा दिया सरकार ने ?

श्री रऊफ जाफरी--कोई तारीख मुक़र्रर करना मुश्किल है।

श्री देवनारायण भारतीय--जब तक यह निश्चय नहीं हुआ था कि यह मिल मझोला में खोली जाय उससे पहले बीसलपुर के सेंटर के लोगों ने भी १६ लाख रुपया जमा होने में अपना हिस्सा दिया था। अब जब यह निश्चय हो गया कि यह मिल मझोला में खोली जायगी तो क्या सरकार बीसलपुर के काश्तकारों का रुपया वापिस करने को सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ काश्तकार ऐसे अवश्य आये थे जिन्होंने रुपया जमा किया था और हाईकोर्ट में रिट लेने चले गये थे। मैं यह नहीं कह सकता कि वह बीसलपुर के थे या मझोला के नजदीक क्षेत्र के। मुझसे कुछ काश्तकार मिले थे उनका कथन था कि उन्होंने दो-ढाई लाख रुपया जमा किया था और बाकी रुपया जो आया है वह काश्तकारों का रुपया नहीं है वह बड़े-बड़े लोगों का है। ऐसी शिकायत वे करते थे, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है। कई रोज से वे मुझे घेरे हुए थे। मैंने अभी उनको कोई जवाब भी नहीं दिया क्योंकि मैंने ही इस फैक्ट्री को, जिसे लाइसेन्स नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस दिलाया।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने जो यह १५ या १६ लाख रुपया बताया उसके अलावा कितने और रुपये के शेयर्स किसान खरीद लें तब यह निश्चय किया जायगा कि फैक्टरी बनायी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब किसान कितने शेयर्स खरीद लेंगे इस संबंध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक सेक्शन किसानों का है जो यह कोशिश कर रहा है कि उनका रुपया वापस कर दिया जाय। मैं नहीं जानता कि यह किसान क्या करने वाले हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मझोला की इस फैक्टरी को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--४-५ साल पहले जब मैं उद्योग मंत्री था तब कुछ निर्णय लिये गये थे। उन निर्णयों के अनुसार यह तय पाया था कि मझोला के चारों तरफ काफी गन्ना है और वहां एक फैक्ट्री लगायी जानी चाहिये। उस समय के जो कलेक्टर थे उन्होंने वायदा भी किया था और काश्तकारों से काफी रुपया शेयर के रूप में इकट्ठा भी कराया था। करीब ४-५ लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। अतः इस ४-५ साल की घोषित नीति के अनुसार यहां मिल खुलने का निर्णय लिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि यह जो १६ लाख रुपया किसानों ने शेयर का जमा किया वह मझोला के नाम पर जमा किया था, यानी यह निश्चित करके ही दिया था कि मझोला में फैक्ट्री खुलेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसका ब्यौरा तो नहीं मालूम है लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि मझोला में फैक्ट्री खुलेगी, इसी बुनियाद पर उन्होंने शेयर का रुपया जमा किया होगा।

श्री गेंदासिंह--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने काश्तकारों को यह सलाह दी है कि फैक्ट्री के भरोसे पर वे गन्ना न बोयें, तो क्या सरकार ने अपने किछा के फार्म को भी इस प्रकार की राय दी है या हिदायत की है कि वह गन्ना न बोये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकारी फार्म से ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किछा के सरकारी फार्म की बुनियाद पर ही यह कहा गया था कि वहां एक फैक्ट्री लगायी जाय।

धर्मार्थ संस्थाओं को स्टाक सर्टिफिकेट्स न मिलना

**६--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्मार्थ संस्थाओं को जो स्टाक सर्टिफिकेट्स जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप मिलने वाला है उसके अभी तक न दिये जाने का कारण क्या है तथा वह कब दिया जायेगा ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--धर्मार्थ संस्थाओं को अभी तक स्टाक सर्टिफिकेट्स न दिये जा सकने का कारण रिजर्व बैंक के लखनऊ स्थित पब्लिक डेट आफिस में स्थानाभाव है। पब्लिक डेट आफिस के लिये अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतिरिक्त स्थान के प्राप्त होने के बाद स्टाक सर्टिफिकेट्स के जारी होने का काम शुरू होगा। यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त स्थान कब तक प्राप्त हो जायगा।

बाजपुर सहकारी चीनी मिल के मजदूरों को बोनस न मिलना

७--श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि बाजपुर सहकारी चीनी मिल के मजदूरों को बोनस कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी (जिसे सरकार मान चुकी है) अभी तक बोनस नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--जी हां। सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतलायेंगे कि बोनस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कितना रुपया बाजपुर सहकारी चीनी मिल के मजदूरों को देना निश्चित हुआ है ? और क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि इस कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री में मजदूरों का समान अधिकार है इस बात की घोषणा करेगी कि बोनस नकद रुपये में दे दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रश्न का दूसरा हिस्सा समझ में नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुये कि यह कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री प्रदेश में अपने किस्म की पहली फैक्ट्री है, तो क्या वहां के मजदूरों को प्रोत्साहन देने के लिये कैश बोनस दिलाने के लिये कोई प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पहला सवाल आपका था कि कितना बोनस दिया जायगा ? उनका बोनस जो पहले देना तय हुआ था वह १,१७,५६७ रुपया था और उस का ५० प्रतिशत देना कमेटी ने तय किया है। लेकिन यह बोनस अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि कारखाने में नुकसान जा रहा है। इसलिये यह अभी विचाराधीन है कि बोनस कब और कैसे दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव--मंत्री जी ने, अभी बताया कि कमेटी की बोनस की सिफारिश को सरकार ने मान लिया है, लेकिन चूंकि वहां नुकसान जा रहा है इसलिये बोनस का मामला अभी विचाराधीन है, तो क्या सरकार ने कोई समय इस के लिये निर्धारित किया है या जब तक फैसला न हो उस वक्त तक किस्तवाइज बोनस दिया जा सकेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--मेरा जवाब ठीक नहीं सुना आपने, मैंने नहीं कहा कि निश्चित किया गया है कि नहीं दिया जायगा। मैंने कहा था कि उस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्री नारायणदत्त जी का स्पष्ट प्रश्न है कि सरकार मान चुकी है तो फिर विचार का अब क्या प्रश्न है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने यह कहा है कि बोनस देना चाहिये, बोनस देना है लेकिन वह कैसे दिया जाय इस के लिये इंडस्ट्रीज कमेटी सोच रही है क्योंकि यह उसके ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। लेकिन चूंकि एक फंडामेन्टल कायदा है कि नुकसान में बोनस नहीं मिलता उस के बावजूद भी विशेष कारणों को देखकर कमेटी ने तय किया कि कुछ न कुछ जरूर देना चाहिये। अब विचार हो रहा है कि वह कैसे दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जो उद्योग मंत्री भी हैं बताने की कृपा करेंगे इस बात को देखते हुये कि इस कमेटी ने जो एक आर्बीट्रेशन बोर्ड बनाया था जिस में फैक्टरी के और अपीलेट डिपार्टमेन्ट के लोग थे उसने सिफारिश की थी कि आधा पैसा बोनस के रूप में दिया जायगा तो उस फैसले के अनुसार मजदूरों को प्रोत्साहन देने के लिये आधा बोनस दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मंत्राणी जी ने जवाब दे दिया है कि सब प्रश्न विचाराधीन है।

सेन्ट्रल जूट वेज बोर्ड की सिफारिशों का लागू होना

***८---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेन्ट्रल जूट वेज बोर्ड की अन्तरिम सहायता की सिफारिश को प्रदेश के जूट उद्योग में लागू कराने के सम्बन्ध में जो १५ अप्रैल तक आखिरी तारीख मालिकों को अन्तरिम सहायता की सिफारिश को लागू करने के लिये दी गई थी, क्या जूट मिलों में वह सिफारिश लागू हो गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, २५ अप्रैल १९६१ को सरकारी आज्ञा द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या श्रम मंत्री जी को जानकारी है कि इस आज्ञा के विरुद्ध मिल मालिकों ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे उस आज्ञा को उन से कार्यान्वित कराया जा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---हां, हमें मालूम है कि रिट फाइल हुआ है और जब तक कि उस का फैसला न हो जाय तब तक सरकार आज्ञा को कार्यान्वित करने से मजबूर है।

श्री मदन पांडेय---इस बात को देखते हुये कि अभी यह मामला अदालत में बहुत दिन तक लटका रहेगा क्या मंत्री जी मजदूरों के प्रतिनिधियों और मिल मालिकों को बुलाकर इस सम्बन्ध में कोई बातचीत करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इस वक्त ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि रिट अभी हाल में ही फाइल हुआ है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि मिल मालिक इस रिट को फाइल कर के मौका चाहते हैं ताकि इस बीच में मिनिस्ट्री आफ कामर्स को एप्रोच किया जाय और यू० पी० की जूट मिलों को एक्सप्लायट किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उक्त सिफारिशें लागू करने में मिल मालिकों को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मिल मालिक तो बहुत कठिनाई बतलाते हैं। उनका कहना है कि वेज बोर्ड ने जो फैसला दिया है उस में यू० पी० के जूट के ३ कारखानों की खास दिक्कतों पर बोर्ड ने तवज्जह नहीं दी।

उनका कहना है कि बहुत से कारणों की वजह से यहां जूट के प्रोडक्शन में खर्चा ज्यादा लगता है। इसलिये वह कहते हैं कि उनकी जो खास दिक्कतें हैं उन पर बिना तवज्जह दिये जो फैसला किया गया है उसमें बेइंसाफी है।

अलीगढ़ में ठाकुर नाहर सिंह को स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनाने पर आपत्ति

**९--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ में ठाकुर नाहरसिंह को स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

**१०--श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनाव समिति की भी सलाह नहीं ली गयी है ?

श्री धर्मसिंह--नहीं ली गई। प्रश्न नियुक्ति का नहीं बल्कि पुर्नानियुक्ति का था अतः सलाह लेना अनावश्यक था।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश, श्रीवास्तव और जज ने सरकार को रिपोर्ट भेजी थी कि इनका रिन्यूअल न किया जाय क्योंकि इनके खिलाफ रिश्वत की शिकायतें हैं और इसी आधार पर माननीय न्याय मंत्री ने उनका रिन्यूअल सन् १९५९-६० में नहीं किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो रिपोर्ट जिलाधीश और जज भेजते हैं वह सब कान्फीडेंशियल होती हैं उनको हम यहां डिस्क्लोज करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने इसी आधार पर उस साल रिन्यूअल नहीं किया था, लेकिन इस वर्ष किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, उस साल नहीं किया था, इस साल किया है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश की रिपोर्ट क्या थी और सदन की मेज पर उसे रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--उसे तो उन्होंने कांफीडेंशियल कह दिया।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि अलीगढ़ के कुछ सदस्य इनके संबंध में माननीय मंत्री जी से मिले थे और कहा था कि इनके खिलाफ रिश्वत की बहुत शिकायतें ह, रिन्यूअल नहीं होना चाहिये और उसी आधार पर रिन्यूअल रोक दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह बात कि कौन-कौन मिला था याद करना बड़ा मुश्किल ह। अलीगढ़ एक प्राब्लम डिस्ट्रिक्ट है, हम क्या करें ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताएंगे कि कौन-सी विशेष वजह हो गई कि उनका दो साल तक रिन्यूअल नहीं किया गया और फिर इस साल कर दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सेशन जज ने रिकमन्ड किया, गृह मंत्री ने रिकमंड किया, कर दिया गया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--आम तौर पर जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको कंटीन्यू करा दिया जाता है। तो किन वजहों से, किन शिकायतों के आधार पर उनको डिस्कंटीन्यू किया गया था और क्या वह वजह अब दूर हो गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सेशन जज की सिफारिश और गृह मंत्री की सिफारिश के बाद कोई वजह रही नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—रिन्यूअल करते वक्त वर्तमान जो जिलाधीश, मिस्टर भट्टाचार्य हैं उनकी रिपोर्ट मांगी गई ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट तो कांफीडेंशियल रहती है, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि पिछले दो सालों में भी इनके संबंध में किती जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या गृह मंत्री की सिफारिश आई थी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गृह मंत्री की तो नहीं आई थी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन कारणों को देखकर माननीय न्याय मंत्री पिछले दो सालों में उनका रिन्यूअल करने को तैयार नहीं थे उन कारणों के दूर होने में क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिफारिश ने सहायता दी थी या आपने ही अपने निर्णय को बदलने के लिये प्रयत्न किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अर्ज किया कि सेशन जज ने और गृह मंत्री ने सिफारिश की कि बहुत अच्छे आदमी हैं और ठीक हैं, इसलिये किया ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी सदन की यह इच्छा और मांग मानते हुये इस विषय में सी० आई० डी० से जांच करायेंगे और वर्तमान जिलाधीश की रिपोर्ट मंगायेंगे कि इनके खिलाफ रिश्वत की कितनी शिकायतें हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो इस वक्त किसी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं समझता ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गृह मंत्री की रिपोर्ट किस आधार पर माननीय न्याय मंत्री ने मांगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्होंने हमारी फाइल पर नोट किया, मैंने मांगी नहीं थी । रिप्रेजेन्टेशन आया था उस सिलसिले में उन्होंने नोट किया था ।

श्री झारखंडेराय—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि गृह मंत्री और सेशन्स जज के अलावा किन सज्जनों ने दो वर्ष के बाद इस बात को अनुभव किया कि अब वे बिलकुल ठीक हो गये हैं जिसकी वजह से उन्होंने सिफारिश की कि उनको रख लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह आपका प्रश्न थोड़ा-सा टेढ़ा है । ठीक हो गये हैं यानी पहले खराब थे ।

श्री झारखंडेराय—मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी और सेशन्स जज साहब के अलावा और कौन-कौन लोग थे जिन्होंने यह उचित समझा कि इनके पक्ष में सिफारिश की जाय और उन्होंने सरकार से सिफारिश की कि वह रख लिये जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन्हीं दो आदमियों ने उचित समझा और इन्होंने सिफारिश की ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या न्याय मंत्री जी को कोई इस तरह की शिकायत मिली है कि जिन सज्जन की बात हो रही है उनके, पुरानी सरकार के जो मंत्री थे श्री मोहनलाल गौतम, खिलाफ़ थे इसलिये पुराने जमाने में वे नहीं हुये और चूंकि वे श्री मलिखानसिंह के ग्रुप के पोलिटिकल आदमी हैं इसलिये अब हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो कभी इस विचार से काम लेता नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दुवारी ग्राम से गलत इन्दराज के सम्बन्ध में शिकायत

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम दुवारी के कई व्यक्तियों ने ९ फरवरी, १९६१ को जिलाधीश, आजमगढ़ एवं परगनाधीश, घोसी के पास गलत इन्दराज को तत्काल दुरुस्त कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इन्दराज ठीक नहीं होंगे, तो कत्ल होने की आशंका है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था । इसमें १० इंदराजों के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। जांच में केवल एक इन्दराज गलत पाया गया जिसे ठीक करा दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी गयी और किस का इन्दराज गलत पाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुपरवाइजर कानूनगो ने इन्क्वायरी की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि दरख्वास्त में सुपरवाइजर कानूनगो के खिलाफ ही आक्षेप था और फिर इसी से जांच कराने की आवश्यकता क्यों सरकार को पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस शिकायत की कापी मेरे पास नहीं है। मैं नहीं समझता कि वह सुपरवाइजर कानूनगो के खिलाफ शिकायत थी। वह इन्दराज गलत होने की शिकायत थी और लेखपाल के मुताल्लिक थी लिहाजा जांच करायी गयी और एक गलती पायी गयी जो ठीक कर दी गयी।

श्री चन्द्रजीत यादव— क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस इंदराज की गलती को लेकर के उस गांव में काफी तनातनी हो गयी थी, यहां तक कि कत्ल की नौबत आ गयी थी और काफी प्रयत्न के बाद उसकी जांच करायी गयी, तो जिस लेखपाल ने गलत इन्दराज किया था उसके खिलाफ़ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी सर्विस टरमिनेट कर दी गयी ।

महिला अस्पताल, बस्ती में श्रीमती गंगादेवी की मृत्यु की जांच

*२—**श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १६ सितम्बर, १९६० को जिला बस्ती के महिला अस्पताल में सोते समय इन्जेक्शन लगाने से एक महिला की मृत्यु होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मुख्य मंत्री के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि २८ जून, १९६० को श्रीमती गंगादेवी की रात्रि के १०॥ बजे सोते समय नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाने से मृत्यु हो गई। किन्तु इस सम्बन्ध में कराई गई वैभागिक जांच से ज्ञात हुआ है कि महिला चिकित्सालय के अधिकारियों पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बखिरा बाजार, बस्ती में थाली बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल

*३—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फूल धातु और पीतल आदि धातुओं पर ११ रुपये ४ आने फी मन ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ जाने से बखिरा बाजार, बस्ती में थाली निर्माण का काम बन्द-सा हो गया है और वहां लगभग १,००० थाली बनाने वाले मजदूर इस समय बकार हो गये ह ?

श्री रऊफ जाफरी---एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाने के विरोध में बखिरा बाजार, बस्ती के थाली उद्योग में लगे हुए १,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी परन्तु अब वे पुनः कार्य करने लगे हैं।

*४---**श्री राजाराम शर्मा**---क्या सरकार इस नयी बेकारी की समस्या को सुलझाने का कोई उपाय कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ड्यूटी तो बढ़ी फूल और पीतल पर और वह महाजनों के हक में है तो फिर मजदूरों ने क्यों हड़ताल कर दी ?

श्री रऊफ जाफरी---असल में वहां हालत यह है कि जो होलसेल डीलर्स हैं वे सामान वगैरह इनको दे देते हैं और ये बना कर ले आते हैं, मार्केटिंग वगैरह उनके जरिये से होती है तो इस एक्साइज ड्यूटी का भार इन्हीं मजदूरों के ऊपर पड़ गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताएगी कि एक्साइज ड्यूटी पहले कितनी थी और अब कितनी बढ़ गई है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी ११ रुपये चार आने मन बढ़ गई थी। अब तो घट गई है और २०० रुपये मन के बजाय २५० रुपये मन हो गई है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो उन्होंने बताया है कि कर बढ़ोत्तरी का भार होलसेल डीलर्स पर पड़ता है और मजदूरों ने हड़ताल इसलिये की कि जो कर का भार होलसेल डीलर्स पर पड़ा उसकी होलसेल डीलर्स मजदूरों की मजदूरी कम कर के पूर्ति करना चाहते थे ?

श्री रऊफ जाफरी---यही तो मैंने कहा था कि इसका भार मजदूरों पर पड़ गया था।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे की यदि होलसेल डीलर्स प्रयत्न करते हैं कि कर के भार की पूर्ति मजदूरों की मजदूरी कम करके की जाय तो वह कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे यह भार मजदूरों पर न पड़ कर होलसेल डीलर्स पर ही पड़े ?

श्री रऊफ जाफरी---यह बात प्रैक्टिकेबिल नहीं है। यदि कोआपरेटिव बन जाय तब तो उनकी मदद कर सकते हैं। वैसे एक-एक मजदूर अलग अलग है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह मामला प्रेक्टिकेबिल नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गयी है उसके सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है ?

श्री रऊफ जाफरी---ड्यूटी बढ़ गई है इसलिए नहीं। वैसे छोटे उद्योगों के लिये कन्सेशन के सिलसिले में हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं।

वाराणसी में महारानी एलिजाबेथ के स्वागत में अनियमितता की शिकायत

*५---**श्री सुरथबहादुरशाह**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंगलिस्तान की महारानी गत फरवरी मास में जब वाराणसी पधारीं थीं तो उस समय हवाई अड्डे (Airport) पर कौन से अधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति उनके स्वागतार्थ राज्य सरकार की ओर से वहां भेजे गये थे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—राज्य सरकार की ओर से महारानी के स्वागत के लिये सहकारिता मंत्री, वाराणसी गये थे। इसके अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को महारानी का स्वागत करने के लिये आमंत्रित किया गया था और वे बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचे थे।

(१) श्री कुंजबिहारी गुप्ता, मेयर, वाराणसी महापालिका।

(२) महाराजकुमार डा० विजय आनन्द, एम० पी०, पद्म भूषण आफ विजयानगरम।

(३) श्री पी० वी० जी० राजू, महाराजा आफ विजयानगरम (मिनिस्टर आफ हेल्थ, आन्ध्र प्रदेश)।

(४) श्री जे० बी० टण्डन, आई० ए० एस०, कमिश्नर, वाराणसी डिवीजन।

(५) श्री एस० सी० मिश्रा, आई० पी०, एडिश्नल इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस।

(६) श्री एल० एम० भाटिया, आई० ए० एस०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वाराणसी।

(७) श्री एस० एम० अली कदीर, आई० पी० एस०, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, वाराणसी रेन्ज।

(८) श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, वाराणसी कारपोरेशन।

(९) श्री आर० डी० पाण्डेय, आई० पी० एस०, सीनियर सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी।

(१०) मेजर रामसुन्दरसिंह, आफिसर कमांडिंग स्टेशन।

(११) दी राइट रेवेरेन्ड सी० जे० राबिन्सन, बिशप आफ लखनऊ।

(१२) दी रेवेरेन्ड आर० पी० हारलेन्ड, चेपलेन, सेंट मेरीज़ चर्च, वाराणसी।

*६—**श्री सुरथबहादुरशाह**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों ने किस क्रम से महारानी का स्वागत किया था?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—सहकारिता मंत्री तथा मेयर, वाराणसी महापालिका ने महारानी का स्वागत किया। इसके बाद कमिश्नर तथा कलेक्टर ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों का उनसे निम्न क्रमानुसार परिचय करवाया था :

(१) महाराजकुमार, डा० विजय आनन्द आफ विजयानगरम।

(२) श्री पी० वी० जी० राजू, मिनिस्टर आफ हेल्थ, आन्ध्र प्रदेश।

(३) श्री एस० सी० मिश्रा, आई० पी०, एडिश्नल आई० जी० पी०।

(४) श्री एस० एम० अली कदीर, आई० पी० एस०, डी० आई० जी०, वाराणसी रेन्ज।

(५) श्री पी० के० कौल, आई० ए० एस०, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, वाराणसी कारपोरेशन।

(६) श्री आर० डी० पाण्डे, आई० पी० एस०, एस० एस० पी०, वाराणसी।

(७) मेजर रामसुन्दर सिंह, आफिसर कमांडिंग स्टेशन।

(८) दी राइट रेवेरेन्ड सी० जे० राबिन्सन, बिशप आफ लखनऊ।

(९) दी रेवेरेन्ड आर० पी० हारलैन्ड, चेपलेन सेन्ट मेरीज़ चर्च, वाराणसी।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि जब ऐसी लिस्ट हो उसमें दिलचस्पी शायद ही दो, एक आदमियों की हो सकती हो, इसलिए 'सूचना संलग्न है' इस प्रकार का उत्तर दे दिया करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसे पढ़ने में इतना वक्त निकल गया।

श्री सुरथबहादुरशाह--यह देखते हुए कि १४ में से केवल ४ गैर-सरकारी लोग थे क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के एम० पी० एम० एल० ए०, दो-दो वाइस-चांसलर्स और इकबालनारायण गुर्टू जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को महारानी के स्वागतार्थ क्यों नहीं आमंत्रित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--महारानी की विजिट बड़ी अनौपचारिक थी और केन्द्रीय सरकार के प्रोटोकल इत्यादि की आज्ञा थी कि बहुत व्यक्ति वहां बुलाये न जायं और यह सब उनकी विजिट बिलकुल अनौपचारिक ढंग की रखी जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सहकारिता मंत्री जी के मिलने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बीच में कूद पड़ने के फलस्वरूप प्रोटोकल का उल्लंघन हुआ और इसी कारण विशेष आगन्तुकों की नजर में हम लोगों की एक प्रकार से हंसी हुई और टिप्पणी के पात्र हम लोग हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रोटोकल की जो पहले आज्ञायें थीं उसमें जिलाधीश इत्यादि ही को आगे बढ़ कर लोगों को महारानी जी से मिलवाना था। इसलिए उसमें कोई उल्लंघन प्रोटोकल की आज्ञा का नहीं हुआ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लम्बी सूची उन्होंने आमंत्रितों की बतायी है उसमें पी० वी० जी० राजू, हेल्थ मिनिस्टर, आन्ध्र प्रदेश का भी नाम है, तो क्या अन्य प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर्स को भी बुलाया गया था ? यू० पी० में उनको बुलाने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो महाराज विजयनगरम के भाई हैं वहां ठहरे हुए थे और उनके वहां वह जाने वाली थीं इसलिए उनको वहां बुला लिया गया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महारानी एलिजाबेथ के स्वागत का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार की ओर से किया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रबन्ध का खर्चा जो था वह तो केन्द्रीय सरकार की तरफ था और यहां की प्रदेशीय सरकार तो केन्द्रीय सरकार की एजेंट है ही, तो जो कार्यवाही यहां प्रदेश में होती है वह उस एजेंसी के तहत में प्रदेशीय सरकार करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जहां तक मैंने सुना माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया कि कमिश्नर और कलेक्टर ने परिचय करवाया, तो क्या मैं जान सकता हूं कि दो व्यक्तियों ने एक साथ ६ व्यक्तियों का परिचय महारानी जी से कैसे करवाया ? परिचय तो एक ही ने करवाया होगा ? कहां तक यह उत्तर सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बिलकुल सही है। कलेक्टर ने परिचय करवाया, और झगड़ा जो है और यह सवाल जिस लिए लाया गया है वह भी इसीलिए लाया गया है कि कलेक्टर ने क्यों परिचय कराया।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के किसी भी जनप्रतिनिधि को न बुलाने का क्या कारण था? क्या यह महारानी का वाराणसी नगर की तरफ से स्वागत माना जायगा जबकि वहां के किसी भी एम० पी० या एम० एल० ए० को नहीं बुलाया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो मैं पहले ही बता चुका कि बड़े अनौपचारिक ढंग की उनकी विजिट थी और वह तो सिर्फ वहां की चीजें देखने के लिए गयी थीं, कोई स्टेट रिसेप्शन उनका वहां नहीं होना था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं थी। और मेयर जब वहां मौजूद थे तो शहर के और प्रतिनिधियों के बुलाने का सवाल नहीं उठता।

बनारसी दास गौड़, गांधीवादी सदस्य, का स्मृति-पत्र

*७--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या २४ अप्रैल, १९६१ को किसी बनारसी दास गौड़, गांधी वादी सदस्य, मुगलसराय-वाराणसी नामक व्यक्ति ने छपा हुआ स्मृति-पत्र मुख्य मंत्री के पास पंजीकृत-पत्र द्वारा भेजा है? यदि हां तो उस स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा वे बातें कहां तक सत्य हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जी हां। एक ऐसा स्मृति-पत्र २६ अप्रैल, १९६१ को कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसकी एक प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें दी गई बातें माननीय सदस्य स्वयं देख सकते हैं। स्मृति-पत्र में दिये गये आरोप निराधार हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस स्मृति-पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं वह बहुत गम्भीर हैं और कुछ हमारे इस आदरणीय सदन के सदस्यों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में आरोप लगाये गये हैं, इस गम्भीरता को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी उस स्मृति-पत्र के लेखक के ऊपर मुकदमा चलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--लेखक तो बड़े गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उसको सरकार बहुत महत्व देना नहीं चाहती है। लेकिन सरकार इस प्रश्न पर अवश्य विचार कर रही है कि वह पर्चा जिस लेखक ने बांटा है, उस पर्चे पर प्रिन्ट लाइन नहीं है कि किस जगह छपा है, उसकी जांच कर रहे हैं और उस जांच के बाद जो उचित कार्यवाही होगी, अवश्य उस व्यक्ति के प्रति की जायगी।

श्री मदन पांडेय--मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति यहां पर मौजूद न हो उसके बारे में इस प्रकार से गैर-जिम्मेदार कहना क्या उचित है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इससे और सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता, किन्तु सदन में मैंने उस प्रकार से कहना उचित नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष--मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया और जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उसने कई सदस्यों का नाम लिखा है जिन पर आक्षेप उसने किया है, तो उनको गैर-जिम्मेदार कहना कोई आपत्तिजनक नहीं होता। अगर उनका सम्बन्ध न होता तो मैं उनको इजाजत न देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी, जो कुछ उस पर्चे में लिखा गया है और जो कुछ सिंचाई मन्त्री पर आक्षेप किया गया है उस तथ्य की जांच करायेंगे कि उसमें कहां तक सत्यता है?

---

† छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। वह असत्य है, झूठ है और निराधार है।

श्री सुरथबहादुरशाह---माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह आरोप भी निराधार है कि अभियन्ता को २७ आदमियों को सुपरसीड करके बनाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह बिलकुल झूठ और निराधार बातें हैं।

श्री उग्रसेन---यह 'झूठ' शब्द अनपार्लियामेंटरी है। इसको वापस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अगर किसी बात को 'झूठ' कहा जाय तो वह अनपार्लियामेंटरी नहीं होता, इसका मतलब असत्य से है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि आप झूठ कहते हैं तो ऐसी चीज किसी व्यक्ति के लिये जो कि सदन में मौजूद हो और जिसने चार्ज किया हो, उस के बारे में अनपार्लियामेंटरी हो जायगी।

यह 'झूठ' शब्द किस कन्टैक्स्ट में आया इसे देखना पड़ेगा। यदि वह असत्य बात के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो वह अनपार्लियामेंटरी न होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस परचे में बहुत से सदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ आरोप हैं, क्या उसके बारे में वह कानूनी सलाह लेकर जल्द से जल्द उस पर मुकदमा चलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने उत्तर दे दिया कि गैर-जिम्मेदार आदमी है और प्रेस में बिना प्रिन्ट लाइन छपवाये हुये ही वह परचा छापा गया है। वह गैर-जिम्मेदार है और ऐसा व्यवहार करता है कि जिसका कोई नोटिस नहीं लेना चाहिये क्योंकि नोटिस लेने से ऐसे गैर-जिम्मेदार आदमी को महत्ता मिलती है और सरकार उस गैर-जिम्मेदार आदमी के लिये कोई ध्यान नहीं देना चाहती और न देगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस परचे में जो बात छपी है कि कोई असिस्टेंट इन्जीनियर थे, तो इस विभाग में कोई इस तरह के इन्जीनियर हैं या नहीं, और क्या यह सही है कि उनको ट्रेनिंग के लिये इंगलैंड भेजा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह इन्जीनियर हैं और उनको इंगलैंड भेजा गया, लेकिन किसी के क्लम को सुपरसीड करके उन्हें नहीं भेजा गया न यहां की सरकार ने उन पर कोई धन व्यय किया। यह बिलकुल निराधार बातें हैं। स्विटजरलैंड की सरकार ने कुछ व्यक्तियों को वजीफा देकर अपने यहां आमन्त्रित किया था उसके लिये इम्तहान हुआ था। और वे उनमें छांटे गये थे। दिल्ली में उसका इम्तहान हुआ था और वह पास हुये थे। उसके बाद वह गये हैं। तो यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। अगर कोई किसी मन्त्री का रिश्तेदार है और व्यक्ति योग्य है, इम्तहान में पास होता है तो महज इसलिये कि वह किसी खास व्यक्ति का रिश्तेदार है उसे न भेजा जाय या उसे छट्टी न दी जाय, उचित नहीं है और इस तरह की बातें सदन में करना नितान्त इस सदन की परम्परा के विरुद्ध हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री को नेता सदन होने के नाते यह अधिकार है कि वे व्यवस्था भी दे दें कि यह बात सदन की परम्परा के विरुद्ध है ?

श्री अध्यक्ष---अपनी राय उन्होंने व्यक्त की और वह यह समझते हैं कि यह बात परम्परा के विरुद्ध होगी। व्यवस्था कोई उनकी नहीं हो सकती। व्यवस्था तो मेरी होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस परचे में वर्णित जो यहां के इन्जीनियर-इन-चीफ बनाये गये हैं वह ६१ साल पूरे कर चुके हैं और उन्हें पांच साल का एक्सटेंशन दिया गया है? क्या यह सही है? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि कोई इतना योग्य व्यक्ति होगा जैसे कि श्री के० सी० मित्रा हैं तो उन्हें पांच साल का ही नहीं सरकार १० साल का ऐक्सटेंशन भी देगी और इस सरकार की यह नीति रहेगी।

श्री उग्रसेन---श्रीमन, ऐसे ही माथुर साहब को दिया गया था एक्सटेंशन हाइडिल में।

श्री झारखंडेराय---मुख्य मन्त्री जी की जो भावनायें प्रस्फुटित हो रही हैं उनका मैं आदर करता हूं किन्तु एक बात जानना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इस डेमोक्रेसी में किन्हीं माननीय सदस्यों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों को लांछित करे तो उस हालत में उसे गैर-जिम्मेदार कह कर भले ही आपको सन्तोष हो जाय, लेकिन उससे पब्लिक मारेल की सुरक्षा कैसे होगी और उसके लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई कही है, वह आपको भी याद होगी। उसी के आधार पर उन्होंने यह बात कही।

श्री झारखंडेराय---मैं देखता हूं ठाकुर साहब ने मेरे प्रश्न को टाल दिया है। मैंने एक गम्भीर सवाल किया था और गम्भीर रूप से किया था। मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उसका जवाब दें कि सचमुच यदि इस प्रकार का कोई मामला हो तो उससे सब की रक्षा कैसे हो सकती है और क्या सरकार उसके लिये कोई कदम उठाना चाहती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसकी व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि इस सदन के सदस्य और हम सभी ऐसी परम्परायें डालने की कोशिश करें कि ऐसे व्यक्तियों को कभी कोई प्रोत्साहन किसी प्रकार का न दें....

श्री उग्रसेन---ऐसे व्यक्ति माननीय मन्त्री जी के घरों में रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फिर यह तो वह व्यक्ति है जिसके बारे में सन् १९५७ में चीफ इन्जीनियर ने अपनी बहुत खराब राय लिखी और यदि मैं उसे भी पढ़ कर सुनाता तो आश्चर्य होता। ऐसा व्यक्ति तो कहीं किसी व्यक्ति के पास बैठने योग्य भी नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा और वह यह कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, और मेरी सूचना यह है कि वह व्यक्ति माननीय मन्त्री जी के यहां आज भी शरण पा रहा है....

श्री अध्यक्ष---अगर कोई बात ऐसी है तो आप उसकी लिखित सूचना उनके पास भेज दें।

(शोर)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगर कोई व्यक्ति मन्त्री जी के घर में रहता है तो मुझे उसकी सूचना दी जाय, मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री उग्रसेन---६-६ महीने से रह रहा है और उसको पैसा भी दिया जाता है, माननीय चरणसिंह जी क यहां रहता है....

श्री अध्यक्ष---इस तरह से कोई फायदा नहीं निकलता है गर्म होने से, मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे आइन्दा कभी मई के महीने में कृपा कर सदन को न चलाया करें क्योंकि यहां भी बहुत गर्मी बढ़ जाती है।

(हंसी)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

ग्राम सेवक

*१---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिन्होंने १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१९५७-५८ में ८३, १९५८-५९ में १५१, १९५९-६० में १९० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक ४२७ ग्राम सेवकों ने विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया है।

*२---श्री सजीवनलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक अलग-अलग प्रत्येक वर्ष में ऐसे ग्राम सेवक प्रदेश में कितने प्रशिक्षित हुये हैं जिन्हें 'सी' श्रेणी प्राप्त हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१९५७-५८ में २२०, १९५८-५९ में २२, १९५९-६० में ४४ तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी १९६१ तक ११ ग्राम सेवक प्रशिक्षित हुये जिन्हें 'सी' श्रेणी प्राप्त हुई।

प्रधान, गांव सभा, अनुवापार के विरुद्ध शिकायत

*३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अनुवापार के प्रधान, गांव सभा के विरुद्ध १० सदस्यों के हस्ताक्षर से १५ सितम्बर, १९६० तथा १८ अक्तूबर, १९६० का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश एवं पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ के पास आया है जिसमें गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा क्या शिकायत करने वाले से भी बयान तथा प्रमाण आदि मांगे गये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

परन्तु उक्त विषय पर एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १८ अक्तूबर, १९६० को जिलाधीश, आजमगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। यह प्रार्थना-पत्र केवल श्री प्रभु यादव के नाम से दिया गया था। इस प्रार्थना-पत्र की जांच नायब तहसीलदार तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी, कोपागन्ज द्वारा कराई गई जिन्होंने प्रार्थी श्री प्रभु यादव के तथा ग्राम के अन्य लोगों के भी बयान लिये। प्रार्थी ने बयान में बताया कि १८ अक्तूबर, १९६० का जो प्रार्थना-पत्र उसके नाम से भेजा गया था वह उसने नहीं भेजा था। प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायतें निराधार पाई गईं।

नोट---तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बस्ती जिले में प्लास्टिक के खिलौने बनाने के लिये ऋण

*४--श्री राजाराम शर्मा--क्या बस्ती जिले में प्लास्टिक के खिलौने बनाने के लिये प्रथम और द्वितीय योजना काल में सरकार द्वारा किसी को कर्ज दिया गया है? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया और उससे कितने रुपये का सामान तैयार हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रथम भाग--जी नहीं, केवल प्लास्टिक के खिलौने बनाने के लिये कोई धनराशि नहीं दी गई।

द्वितीय भाग--प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारी

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में आजमगढ़ जिले के कितने खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारी अन्य विभागों में भेजे गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आजमगढ़ जिले के ४ कर्मचारी अन्य विभागों में भेजे गये ।

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के उक्त कर्मचारियों ने अपने-अपने विभागों द्वारा प्रादेशिक सरकार के खाद्य सचिव के पास १९६० में आवेदन-पत्र भिजवाया है कि उन्हें पुनः खाद्य विभाग में ले लिया जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपर्युक्त कर्मचारियों के इस विभाग में फिर से आने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है।

खटीमा व सितारगंज तहसील के किसानों की मांगें

*७--श्री प्रतापसिंह--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तहसील खटीमा के नेतृत्व में तहसील खटीमा और सितारगंज के काश्तकारों ने कोई प्रदर्शन २८ मार्च, १९६१ को तहसील के सामने किया? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले की माल अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*८--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की माल की अदालतों में इस समय कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें कितने तीन वर्ष से अधिक की अवधि से चल रहे हैं ?

*९--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में १९६०-६१ में माल की अदालतों म कुल कितने दुरुस्ती कागजात, दाखिल खारिज तथा इस्तकरार के मुकदमे निपटाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

[१८ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हैण्डीक्राफ्ट्स हजरतगंज, लखनऊ का शो रूम

*१--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेन्ट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स का हजरतगंज (लखनऊ) स्थित शो रूम अभी तक क्यों नहीं खोला गया तथा यह शो रूम कब तक खुल जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कोई उपयुक्त दूकान उपलब्ध न होने के कारण यह शो रूम अभी तक नहीं खोला गया। जैसे ही कोई दूकान मिल जायगी, यह शो रूम खोल दिया जायेगा।

*२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष १९५७-५८ से अब तक की उक्त शो रूम की बिक्री को देखकर औसतन इस शो रूम के बन्द होने पर कितना घाटा सरकार को वहन करना पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शो रूम के बन्द होने से वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में लगभग ३१,६०० रुपये का घाटा हुआ है।

खाद्यान्नों का स्टाक

*३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—विधान सभा के दिनांक २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि २६ फरवरी, १९५९ के प्रातः काल जिन-जिन केन्द्रों पर सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों का जो स्टाक था उसमें जो खाद्यान्न मार्गस्थ था वह सम्मिलित नहीं था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उस खाद्यान्न की मात्रा जो अब केन्द्रों पर पहुंच चुकी होगी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम तथा समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये लाभप्रद न होगा। सदस्य महोदय यदि किसी विशेष सेंटर के बारे में सूचना चाहते हों तो उपलब्ध की जा सकती है।

*४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ की समाप्ति के बाद १ अप्रैल, १९५८ को प्रातःकाल शेष खाद्यान्न का स्टाक (balance) प्रत्येक सेन्टरवाइज क्या था और यह कुल स्टाक प्रदेश में कितना था ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—१ अप्रैल, १९५८ को सरकारी गोदामों में कुल २४,९१,३५९ मन खाद्यान्नों का स्टाक था। सेन्टरवाइज ब्योरा उपलब्ध है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर उनका अवलोकन कर सकते हैं।

लाल इमली मिल, कानपुर सम्बन्धी औद्योगिक विवाद

*५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की लाल इमली मिल के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद के सबन्ध में औद्योगिक अदालत के अध्यक्ष, श्री ब्रजमोहन लाल ने ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन व मंहगाई भत्ते के अधिकार के औचित्य को जनवरी, १९६१ में स्वीकार कर लिया है और प्रबन्धकों तथा ठेकेदारों को आदेश दिया है कि १९५६ व १९५८ के कार्यकाल के ८० हजार रुपये का भुगतान किया जाय ? यदि हां, तो रुपया दिलाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस मिल के इस प्रकार के ७१ श्रमिकों को राजाज्ञा दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८ के अनुसार वेतन व मंहगाई भत्ता न दिये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न एक औद्योगिक विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण (प्रथम), इलाहाबाद ने एक निर्णय दिया है। इस निर्णय का पालन हाई कोर्ट, इलाहाबाद की आज्ञा दिनांक १७ मार्च, १९६१ द्वारा रोक दिया गया है। अतः इस समय उक्त निर्णय के पालन करवाने के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर एवं जिले में १९५८ और १९६० के दिनों में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें किन-किन तारीखों में कहां-कहां खोली गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९१-७९२ पर)

*७-८--श्री ऊदल--[१० अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ४२-४३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

कोपागंज-कसारा सड़क

*९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी श्रमदान मार्ग, कोपागन्ज-कसारा, जिला आजमगढ़ को सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर लेने के लिये क्षेत्रीय विकास समिति कोपागन्ज ने २३ दिसम्बर, १९५९ को कोई प्रस्ताव स्वीकृत करके उनके पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां। कोपागन्ज-कसारा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले ली गई है।

*१०--श्री मदन पांडेय--[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोटबाग नाका, लखनऊ में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*११--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कोट बाग नाका पर सरकार द्वारा दी हुई टीनों में और झोपड़ियों में जो करीब तीन सौ देहात के बाढ़ पीड़ित ६ माह से पड़े हुए हैं, क्या वह उनको मकान बनाने के लिये कहीं ऊंची जमीन देने पर तथा और सहायतायें देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोट बाग नाका के आश्रय ग्रहों में इस समय देहाती क्षेत्र का कोई बाढ़ पीड़ित परिवार नहीं है। हां, बाढ़ के समय ग्राम सैथा के लगभग ६-७ परिवार वहां अवश्य आये थे जो वापस जा चुके हैं। इस ग्राम के १२ परिवारों को ग्राम मौरा में बसा दिया गया है तथा शेष १८२ परिवारों के पुनर्वास हेतु इसी ग्राम में ऊंचे स्थान पर भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्षतिग्रस्तों को दी गई आर्थिक सहायता इस प्रकार है :--

	रु०
मकान तथा बीज के लिये तकावी	१२,६५०
अहेतुक सहायता	३,९९०

इसके अतिरिक्त आटा, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई, चना, सत्तू तथा कम्बल भी वितरित किया गया।

मऊनाथ भंजन में सहकारी सूत मिल की आवश्यकता

*१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में सहकारिता के आधार पर सूत बनाने की कोई मिल खोलने का उनका विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं।

वाराणसी में औद्योगिक स्थान स्थापित करने की योजना

*१३--श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में किन-किन स्थानों में औद्योगिक आस्थान योजना लागू करने पर वह विचार कर रही है या लागू कर कर चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--काशी विद्यापीठ में एक औद्योगिक आस्थान स्थापित हो चुका है। इसके अतिरिक्त तृतीय पंच वर्षीय योजना में एक बड़ा औद्योगिक आस्थान और एक हरिजन औद्योगिक आस्थान वाराणसी में खोले जायेंगे।

रामनगर पावर हाउस व वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की पेंशन

*१४--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १९४९--५० में जब रामनगर वाराणसी के पावर हाउस व वाटर वर्क्स सरकार ने अपने कब्जे में लिये उस वक्त कुछ कर्मचारियों को छटनी की गई और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनको मासिक पेंशन दी जायगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पेंशन देना शुरू कर दिया है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--भारत सरकार और हिज हाइनेस बनारस के महाराजा के बीच ५ सितम्बर, १९४९ को एक, करारनामा हुआ था जिसके मुताबिक पूर्व बनारस राज्य का इलाका उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाने की व्यवस्था थी। उस करारनामे की शर्तों में एक शर्त इस प्रकार थी जो उसके अनुच्छेद ७(१) में दी गई थी :

"The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of the permanent members of the public services of Banaras on conditions which will be not less advantageous than those on which they were serving on the first day of August, 1949, or the payment of reasonable compensation."

इसी प्रत्याभूति (guarantee) के अनुसार विलीन राज्यों के कर्मचारियों को पेंशन अथवा ग्रेच्युटी अथवा दोनों, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार, दी गई है या दी जा रही है। कदाचित् माननीय सदस्य के प्रश्न में इसी (guarantee) की ओर संकेत है क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य आश्वासन रियासत के किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया।

वाराणसी पावर हाउस तथा वाटरवर्क्स के छटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या २७ है जिनमें से १५ कर्मचारियों को, जो पावर हाउस में काम करते थे, पेंशन अथवा ग्रेच्युटी दी जा चुकी है। बाकी कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी विभिन्न कागजात अभी एकत्रित किये जा रहे हैं और एकत्रित हो जाने पर उनके पेंशन या ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

*१५--१६--श्री रामदुलारे मिश्र--[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

पर्यटन उद्योग प्रोत्साहन योजना

*१७--श्री प्रतापसिंह--क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस वर्ष से पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां।

निम्नलिखित योजना बनाई गई है:--

(१) बद्री-केदार मार्ग पर ५ पिलग्रिम शेड ७,००,००० रुपये की लागत पर बनवाये जायेंगे।

(२) दो टूरिस्ट बंगले मिर्जापुर व हरद्वार में एक-एक लाख रुपये की लागत पर बनाने की योजना है।

(३) एक टूरिस्ट बंगला चित्रकूट में ६०,००० रुपये की लागत पर व एक टूरिस्ट बंगला मथुरा में १,२५,००० रुपये की लागत पर बनवाये जायेंगे।

इनके अतिरिक्त नैनीताल, मसूरी और लखनऊ में क्लाक रूम एवं रिसेप्शन सेन्टर (Cloak room-cum Reception Centre) खोले जायेंगे। जहां पर यात्री २४ घंटे तक ठहर सकेंगे और अपने ठहरने का स्थायी रूप से प्रबन्ध अन्य स्थान पर कर सकें। इन सब पर निर्माण कार्य चालू वर्ष से शुरू हो जायगा।

*१८-१९--श्री झारखंडे राय--[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२०--श्री प्रतापसिंह तथा श्री बदलूराम (जिला बहराइच)--[१६ मई, १९६१ के प्रश्न ११७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड इविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार के विचाराधीन अपीलें

*२१--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत कमिश्नरों के निर्णयों के विरुद्ध कितनी अपीलें सरकार के सचिवालय में १९६०-६१ में विचाराधीन थीं तथा उनमें से कितनी अपीलों का निर्णय हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९६०-६१ में राज्य सरकार के समक्ष १,३०५ अपीलें विचाराधीन थीं। उनमें से ६४१ अपीलों पर निर्णय हो चुका है।

*२२--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अपीलों में से कितनी अपीलें छः मास तथा एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त अपीलों में से ३८१ अपीलें छः मास से तथा १८५ अपीलें एक वर्ष से विचाराधीन हैं।

लखनऊ जिले में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा २०९ के अनिर्णीत मुकदमे

*२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में धारा २०९ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत इब्तदाई व अपेलेट अदालतों में कितने मुकदमें ऐसे विचाराधीन हैं जो तीन साल से पहले के दायर किये हुए हैं? अब तक उनमें जजमेंट न होने के क्या कारण हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, तथा आयुक्त, लखनऊ मंडल, की अपलट अदालतों में ऐसा कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लखनऊ जिले की इब्तदाई अदालतों में ऐसे केवल आठ मुकदमे विचाराधीन हैं इन मुकदमों में अभी तक निर्णय न होने के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं।

(१) बोर्ड की एक रूलिंग के कारण सभी मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित गांव समाज को प्रतिवादी बनाया गया।

(२) कुछ मुकदमों में तनकीह दीवानी की अदालत में फैसले के लिये भेजनी पड़ी।

(३) चुनावों तथा गत अक्तूबर की बाढ़ के कारण न्यायाधीश कुछ तिथियों में मुकदमों की कार्यवाही न कर सके।

(४) मुकदमों के फरीकैन ने गवाही पेश करने में काफी समय लिया।

(५) कुछ मुकदमों में एक न एक फरीक की गैरहाजिरी में इकतरफा कार्यवाही हुई और फिर वह उलटी गई।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कार्यालय, लखनऊ से रोजगार मिलना

*२४---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष के अन्त में लखनऊ के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कार्यालय में रजिस्टर्ड बेकार उम्मेदवारों की संख्या क्या थी और इस कार्यालय द्वारा कितने आदमी गत वर्ष काम पर लगाये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१९६०-६१ के अन्त में १३,८३८ बेकार प्रार्थी रजिस्टर्ड थे तथा इस अवधि में ४,२९३ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

*२५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस समय उक्त कार्यालय के स्टाफ के वेतन तथा उसकी स्थापना का वार्षिक व्यय क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१,१६,००० रुपये।

राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ की कथित उच्चीकरण योजना

*२६---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जब श्री केशवदेव मालवीय इस प्रदेश के उद्योग मन्त्री थे तब उन्होंने राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ के तत्कालीन प्रिन्सिपल, श्री एच० एल० वर्मा द्वारा इस संस्था के उच्चीकरण की एक योजना बनाई थी ? अगर हां, तो वह क्या है और उसका कौन-कौन-सा अंश कार्यान्वित किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्री वर्मा द्वारा बनाई गई ऐसी कोई योजना सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

*२७---२८---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---[तेरहवें मंगलवार के लिये प्रश्न ११७-११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

टेहरी के राजकीय महिला चिकित्सालय में डाक्टरनी का न होना

*२९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) तथा श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या टेहरी (गढ़वाल) के राजकीय महिला चिकित्सालय में लगभग साल भर से कोई चिकित्सक नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*३०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा श्री चन्द्रजीत यादव—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नर्सों तथा कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग तथा आगरा पागलखाना में दाखिल होने के लिये सर्टिफिकेट

३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षित नर्सेज (Trained Nurses) की कुल संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२,३८४ ।

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी ओर से प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नर्स (Nurse) व कम्पाउन्डर (Compounder) की शिक्षा देने का प्रबन्ध है तथा उक्त प्रकार की शिक्षा देने में कितना समय लगता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की ओर से इस प्रदेश में नर्स की शिक्षा देने का प्रबन्ध लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, गोरखपुर व मेरठ में है। सामान्य नर्स प्रशिक्षण (General Nurses Training) की अवधि तीन वर्ष है।

प्रदेश में सरकार की ओर से कम्पाउन्डर की शिक्षा देने का इस समय कोई प्रबन्ध नहीं है ।

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरे के पागलों के अस्पताल (Mental Hospital) में पागलों के दाखिल करने के लिये और जिलों के सरकारी अस्पताल के डाक्टर के सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाती और केवल आगरे के सिविल सर्जन के सार्टिफिकेट पर दाखिल होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य नहीं है।

*३४–३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नये विकास क्षेत्र

*३६—श्री प्रतापसिंह—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में कितने नये विकास क्षेत्र खोले जायेंगे और कहां-कहां ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में ३८१ नये विकास क्षेत्र खोले जाने की आशा है। ये विकास क्षेत्र जिन स्थानों पर खोले जायेंगे उनकी †सूची संलग्न है ।

*३७–३९—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०–४१—श्री रामदुलारे मिश्र तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—[चौदहवें बुधवार के लिये प्रश्न ६–७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४२—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[१७ मई, १९६१ के प्रश्न ३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

---

†सूची छापी नहीं गई ।

अनप्रूव्ड डी०पी० ओज़०

*४३--श्री रामेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे डी० पी० ओज० हैं जो न तो पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव्ड हैं और न पी० सी० एस० इम्तहान ही पास हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पांच ।

*४४--श्री रामेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे व्यक्ति कितने दिनों से उक्त पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--एक १९५३ से, एक १९५८ से, दो १९५९ से और एक १९६० से ।

समथर टाउन एरिया अधिकारियों के विरुद्ध गबन के मुकदमे की वापसी

*४५--श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि समथर टाउन एरिया के अधिकारियों के विरुद्ध कोई गबन का मामला जो झांसी की सेशन अदालत में चल रहा था उसे सरकार के आदेश पर १ अप्रैल, १९६१ को वापस ले लिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । इस मामले को वापस लेने के कारण निम्नलिखित हैं:--

अभियोग पार्टीबन्दी के आधार पर लगया गया था, अभियुक्तों की नेकनीयती स्पष्ट थी, और कथित अभियोग के कारण समथर नोटीफाइड एरिया कमेटी के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था ।

*४६--श्री गोविंदसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह--[हटा दिया गया ।]

*४७-४८--श्री अमरनाथ--[पंद्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बागपत तहसील में चकबन्दी सम्बन्धी लेखपालों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता न मिलने की शिकायत

*४९--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या यह सही है कि १९५९-६० में निम्न कर्मचारियों के वेतन-क्रम में की गई साढ़े सात रुपये की वृद्धि तहसील बागपत, जिला मेरठ की चकबन्दी में काम करने वाले लेखपालों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५९-६० में निम्न कर्मचारियों के वेतन-क्रम में कोई वृद्धि शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। परन्तु उपरोक्त वर्ष में महंगाई भत्ते में २.५० रुपये की वृद्धि अवश्य की गई थी । इसका वसूल १९६०-६१ में जो महंगाई में वृद्धि हुई उस सबका भुगतान तहसील बागपत में चकबन्दी लेखपालों को कर दिया गया है ।

*५०--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया ऐसी व्यवस्था करेगी कि पुराने एरियर के साथ उन्हें यह रकम यथासंभव शीघ्र मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजगंज तहसील में सहकारी उद्योग धंधे

*५१--श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की महाराजगंज तहसील में अब तक कितने उद्योग धंधे सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--२ धन्धे--

(क) गुड़ खांडसारी उद्योग ।

(ख) सीप बटन उद्योग ।

समथर टाउन एरिया सम्बन्धित मुकदमे की वापसी

*५२--श्री गौरीशंकर राय तथा श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि समथर टाउन एरिया, जिला झांसी की टाउन एरिया के चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध चलने वाला दफा ४०९ वगैरह का मुकदमा सरकार ने १ अप्रैल, १९६१ को वापस कर लिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*५३--श्री गौरीशंकर राय तथा श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुकदमे को वापस लेने में झांसी के सरकारी वकील का मतभेद था क्योंकि उक्त मुकदमे में पूरे सबूत थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*५४--श्री गौरीशंकर राय तथा श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुकदमे को वापस करने के लिये दो बार एडवोकेट जनरल को तथा एक बार लखनऊ के सरकारी वकील को सरकार ने भेजा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

रीजनल फूड कन्ट्रोलर, लखनऊ के अन्तर्गत पुराने कर्मचारी

*५५--श्री उग्रसेन--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर, लखनऊ रीजन के कार्यालय तथा उनके अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों में कितने अधिकारी व कर्मचारी अलग-अलग ऐसे हैं जो लखनऊ में ही पांच वर्ष से भिन्न-भिन्न पदों पर या एक ही पद पर बने हुए हैं और उन्हें निरन्तर पांच वर्ष तक लखनऊ में ही रखने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रीजनल फूड कन्ट्रोलर, लखनऊ रीजन के कार्यालय तथा उसके अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों में एक अधिकारी तथा ४७ कर्मचारी पांच वर्ष से भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारी का स्थानान्तरण विचाराधीन है। ४७ कर्मचारियों में से २६ लिपिक वर्ग के हैं जिनका स्थानान्तरण करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, शेष २१ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जाता।

*५६--श्री रामसुन्दर पांडेय--[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

भूमि विक्रय सम्बन्धी धारा को कुमायूं में न लागू करना

*५७--श्री गोविंदसिंह बिष्ट--U. P. Regulation of Agriculture Credit Act, 1940 की धारा २४ के अन्तर्गत भूमि के विक्रय की आज्ञा देना बन्द करने के विषय पर दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर व पूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भूमि विक्रय संबंधी कार्यवाही चालू करने के संबंध में उन्हें तथा उनके सचिवालय को प्रश्नकर्ता के कई पत्र गत दो वर्षों में मिले ? अगर हां, तो उन पर कब व क्या आज्ञा हुई तथा इस आज्ञा को जिले में अब तक न भेजने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय सदस्य का १४ मई, १९५९ का केवल एक पत्र राजस्व सचिव के नाम प्राप्त हुआ था पर उसके पूर्व ही सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि U. P. Regulation of Agriculture Credit Act, 1940 की धारा २४ के अन्तर्गत कुमायूं में कार्यवाही स्थगित रहेगी अतः उस पत्र पर कोई आज्ञा नहीं दी गई और न कोई आदेश जिले में भेजे गये।

*५८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९—श्री गनेशचन्द्र काछी—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मिश्रिख तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने में अनियमितता

*६०—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में २८ मार्च, १९६१ से लगायत ३१ मार्च, १९६१ तक भूतपूर्व तहसीलदार द्वारा अनुदान वितरण किया गया है ? यदि हां, तो कितने हजार रुपये का वितरण किया गया और वह रुपया तहसील के किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, १०,५६५ रुपये का वितरण किया गया । यह रुपया तहसील के १९ गांवों में १७३ व्यक्तियों को बांटा गया जिनकी सूची माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

*६१—श्री मूलचन्द—क्या न्याय मंत्री को यह सूचना मिली है कि उपर्युक्त वितरण के सिलसिले में कोई शिकायत जिला अधिकारियों को मिली है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मुख्य शिकायत यह है कि अनुदान वितरण ऐसे लोगों कर दिया गया जो वास्तव में बाढ़ पीड़ित नहीं थे । इस के अतिरिक्त कुछ और अनियमितताओं की भी शिकायत हुई है। जांच अभी जारी है ।

मथुरा संग्रहालय से मूर्ति ले जाने की कथित घटना

*६२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा में एशियायी देश के दूतावास का एक अधिकारी कुषाण कालीन बोधिसत्व की दो फुट ऊंची एक मूर्ति अपनी कार में रख कर मथुरा संग्रहालय से भागने की चेष्टा में था और संग्रहालय के कर्मचारियों ने उसे रोक कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, मूर्ति कब्जे में कर ली गई और उक्त अधिकारी को छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*६३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया ।]

*६४—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्राम सेवकों को ऊंची ट्रेनिंग देने की योजना

*६५—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या योग्य ग्राम सेवकों को ग्रामीण स्तर पर ऊंची ट्रेनिंग के लिये छात्रवृत्ति देने की योजना पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विचार-विमर्श अथवा पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

*६६—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल पास और ५ वर्ष का अनुभव रखने वाले ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं को दो साल की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद वे, निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर National Council for Rural Higher Education द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा के योग्य समझे जायेंगे। यह डिप्लोमा सरकारी नौकरी के लिये किसी विश्वविद्यालय की डिग्री के बराबर मान्य है। यह विचार किया जा रहा है कि ट्रेनिंग का समय Study leave माना जाये जिसका खर्चा राज्य सरकार देगी। इसके अलावा भारत सरकार छात्रवृत्ति देगी। यह योजना अभी विचाराधीन है और इन सब बातों पर निर्णय लिया जाएगा।

*६७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम सेवकों (छात्रों) को ऊंची ट्रेनिंग देने का प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि भारत सरकार ने इस संबंध में अभी १२ छात्र-वृत्तियां (Scholarships) देना स्वीकार किया है, अतः ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक बैच में उत्तर प्रदेश के लगभग इतने ही ग्राम सेवक प्रशिक्षित हो सकेंगे।

*६८—श्री प्रतापसिंह—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६९—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[हटा दिया गया।]

*७०—७२—श्री रामस्वरूप वर्मा—[पंद्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७३—श्री जंगबहादुर वर्मा—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७४—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७५—श्री होरीलाल यादव—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७६—श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

मलेरिया विभाग, गोंडा में हरिजन कर्मचारी

*७७—श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा के अन्तर्गत मलेरिया विभाग में जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक कितने नये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५३६।

*७८—श्री दीनदयालु करुण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ? उनमें अलग-अलग हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त कर्मचारियो के पद और हरिजनों की संख्या अलग-अलग निम्नलिखित है:—

पद			कर्मचारियों की संख्या जो भर्ती किये गये	कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या
सर्वलेन्स इन्सपेक्टर	..	..	२५	१
हाउस विजिटर	..	..	९२	५
भंगी ..	..	..	१	१
फील्ड वर्कर ३ माह के लिये	..	..	१७०	१७
सुपीरियर फील्ड वर्कर ३ माह के लिये		..	३२	२
फील्ड वर्कर ५ माह के लिये	..	..	१७०	१४
सुपीरियर फील्ड वर्कर ५ माह के लिये		..	३७	१
फील्ड वर्कर १२ माह के लिये	..	..	२	..
मैकेनिक ..	..	..	१	..
लेबोरेटरी टेक्निशियन	..	..	१	..
ड्राइवर ..	..	..	३	..
क्लीनर ..	..	..	२	..
योग			५३६	४१

*७९-८१—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—[पन्द्रहवें मंगलवार के लिये प्रश्न १८—२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८२-८३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जनाने अस्पताल

*८४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जनाने अस्पतालों की संख्या कितनी है और उसमें कितने अस्पताल नगरों में हैं तथा कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में सरकारी जनाने अस्पतालों की संख्या १४५ है जिनम ५१ अस्पताल नगरों में हैं तथा ९४ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों के भत्ता में कमी

*८५—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई० टी० आई०) का प्रान्तीयकरण किस सन् में हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पहली नवम्बर, १९५६ ।

*८६—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय-करण के पहले इन केन्द्रों में काम करने वाले प्रशिक्षकों का भत्ता प्रतिमास कितना था और जब से प्रान्तीयकरण हो गया तब से कितना मासिक भत्ता उनको मिलता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९३–७९४ पर)

*८७—श्री राजाराम शर्मा—क्या उपर्युक्त प्रशिक्षकों का मासिक भत्ता कम हो गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ? क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत मिलने वाले भत्ते की दरें प्रान्तीय सरकार की दर से अधिक और भिन्न हैं। किन्तु भत्ते की दरों में विभिन्नता होने पर भी केन्द्रीय सरकार में ३१ अक्तूबर, १९५६ को मिलने वाले कुल मासिक वेतन (Total emoluments) में कमी नहीं आने दी गई क्योंकि शासन ने प्रान्तीयकरण की तिथि पर उनको मिलने वाले वेतन को सुरक्षित कर दिया था।

अल्मोड़ा जिले की कथित निर्माण योजनायें

*८८—श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अल्मोड़ा जिले में सिमतोला, पातल देवी हीराडुंगरी तथा मोहन जलाशय में पार्क व पिकनिक ग्राउन्ड बनाने तथा मटेला व पातल देवी में तैरने के तालाब बनाने की व ग्रेनाईट हिल कालीमठ, बिनसर में ग्रीष्मावास के निर्माण की योजना थी ? अगर हां, तो इन योजनाओं का क्या हुआ और क्या इनमें से शेष योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। ऐसी कोई योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नहीं थी। न इनमें से कोई भी योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है।

*८९—श्री राजेन्द्रसिंह—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिलान्तर्गत अग्रगामी विकास खण्डों पर व्यय

*९०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया अग्रगामी विकास खण्डों पर व्यय हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला इटावा के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रमशः कुल १६.७३ व १८.२८ लाख रुपया अग्रगामी विकास खण्डों पर व्यय हुआ।

*९१—श्री गोविंदनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पिडारा तथा टेहरी-गढ़वाल स्त्री चिकित्सालयों में डाक्टरनी न होना

*९२—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्य मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिडारा स्त्री चिकित्सालय, जलेसर, जिला एटा में चिकित्सक कितने समय से नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अस्पताल में जनवरी, १९६१ से कोई महिला चिकित्सक नहीं है।

*९३—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल में कितने स्त्री चिकित्सालय हैं और उनमें आज कल चिकित्सक हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला टेहरी-गढ़वाल में एक महिला चिकित्सालय टेहरी में है तथा उसमें आज कल कोई चिकित्सक नहीं है ।

सैनिक स्कूल, लखनऊ में भर्ती के लिये सुरक्षित स्थान न होना

*९४—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सैनिक स्कूल, लखनऊ में सैनिकों के बालकों के लिये स्थान सुरक्षित करने तथा उन्हें शिक्षण शुल्क में सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

हमीरपुर तथा झांसी जिले में पाइरोफिलिट पदार्थ मिलना

*९५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि हमीरपुर जिले में राठ तहसील में Pyrofilitte नाम के खनिज पदार्थ का पता चला है ? यदि हां, तो वह लगभग कितने क्षेत्रफल में है और उसके पाये जाने के मुख्य-मुख्य स्थान कौन-कौन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। निर्दिष्ट पदार्थ हमीरपुर जिले में ग्राम गुराहरी के पास करीब ५,७१,७२५ वर्ग फीट के क्षेत्रफल में स्थित ४० फीट ऊंची एक छोटी पहाड़ी में पाया गया है। इसके अतिरिक्त यह झांसी जिले के बिजरौ तथा धनकुवा क्षेत्रों में भी पाया गया है ।

*९६—श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार उसको निकालने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की ओर से खनिज पदार्थों को निकालने, बेचने या प्रयोग में लाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर इसको निकालने के लिये कोई Mining Lease लेना चाहे तो सरकार उस पर विचार करेगी।

*९७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९८-९९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विकास क्षेत्रों में पंचायत के प्रधानों का प्रशिक्षण

*१००—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नव-निर्वाचित प्रधानों के प्रशिक्षण जो विकास क्षेत्रों द्वारा चलाये गये हैं उन पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया और कितने प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास क्षेत्रों में क्षेत्र विकास समिति के सदस्यों के लिये अध्ययन शिविर संगठित किये गये जिसमें पंचायत के प्रधानों की संख्या अधिक थी। लगभग ३२,६०८ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया और इस पर कुल १,३८,८६०.७१ रुपये व्यय हुए।

प्रधानों का अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं है ।

पुलिस अधिकारियों को कथित एक्सटेन्शन

*१०१—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के कितने गजटेड अफसरों को १९६१ में ५८ वर्ष की अवस्था के बाद कार्य करने की अनुमति दी गई है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में किसी गजटेड आफिसर को ५८ वर्ष की अवस्था के बाद कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है।

*१०२—१०४—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—[पन्द्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ८०—८२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

मोहनलालगंज तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१०५—श्री रघुवीरसिंह, श्री दुर्योधन, श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत), श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री मदन पांडेय—तहसील मोहनलाल-गंज, जिला लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध मौजा हलीमाबाद के काश्तकारों द्वारा की गई कौन-कौन-सी शिकायतें प्रारम्भिक जांच में अंशतः सत्य प्रतीत हुईं तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या सजा दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्बन्धित सुपरवाइजर कानूनगो तथा लेखपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सत्य प्रतीत हुयीं। सम्बन्धित लेखपाल शिकायती पत्र की जांच से पूर्व ही सेवाच्युत किया जा चुका था, अतएव उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही अभी जारी है।

गन्ना विकास समिति, रामकोला खेतान तथा पंजाब केन यूनियन में बीज का गन्ना

*१०६—श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामकोला की खेतान केन यूनियन और पंजाब केन यूनियन द्वारा १९६०-६१ में कितना-कितना गन्ना बीज के लिये रिजर्व रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना विकास समिति, रामकोला, खेतान के लिये लगभग ७५,००० मन और पंजाब केन यूनियन के लिये लगभग ८०,००० मन गन्ना बीज के लिये १९६०-६१ में रिजर्व किया गया था।

चक्की भूसाडोही और देवरिया का सीमा विवाद

*१०७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ और देवरिया जिलों की ओर से पैमाइश एवं अभिलेख क्रियायें समाप्त हो गयीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विवादग्रस्त भूमि में पैमाइश का कार्य २५ जून, १९६० को समाप्त हो चुका है। अभिलेख सम्बन्धी कार्य अभी जारी है।

*१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमा सम्बन्धी विवाद का अन्तिम हल सरकार द्वारा क्या निकाला गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त सीमा सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि चक्की भूसाडोही के पास दोनों जिलों की सीमा नदी की धार नहीं बल्कि मेड़ें हैं। मेड़ों का निर्णय पैमाइश द्वारा हो गया है। अतः अब इन जिलों के बीच सीमा का विवाद नहीं है। नदी के प्रभाव से काश्तकारों की भूमि में जो भी हेरफेर हो उसका निर्णय सम्बन्धित एस० डी० ओ० प्रचलित नियमों के अनुसार करते रहेंगे।

*१०९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चक्की भूसाडोही जिला आजमगढ़ के निवासियों के रहने के स्थान को ऊंचा करने की योजना पर देवरिया जिले के किसानों द्वारा रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

उक्त योजना में तेलिया कुर्मी, जिला देवरिया, के निवासियों ने इस उद्देश्य से रुकावट डाली कि आजमगढ़ के कुछ किसान जिन्होंने उस भूमि में झोपड़ियां डाल रक्खी थीं, स्थाई रूप से वहां न रहने लगें।

मातृ शिशु सेवा केन्द्र, बस्ती की दाई के साथ बलात्कार की जांच

*११०---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ३० जुलाई, १९६० को मेटरनिटी सेन्टर, बस्ती की एक दाई के साथ बस्ती के स्वास्थ्य विभाग के किसी डाक्टर ने बलात्कार किया था और इस सम्बन्ध में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को भी कोई शिकायत दी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। सरकार को कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। जांच करने पर सूचना मिली है कि मात शिशु सेवा केन्द्र, पुरानी बस्ती की एक दाई ने दिनांक १ अगस्त, १९६० को अपने एक पत्र में, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सम्बोधित था, ऐसा आरोप विभाग के एक डाक्टर पर लगाया था। पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई थी, इसलिये विभागीय अधिकारियों ने इस मामले पर पुलिस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की।

सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने २ मई, सन् १९६१ को बताया कि केस सन्देहजनक था और कोई प्रमाण न मिलने के कारण चालान नहीं किया जा सका, इसलिये पुलिस ने जांच बन्द कर दी।

*१११---श्री रामलाल---क्या यह भी सही है कि इस घटना की शिकायत स्थानीय अधिकारियों को भी दी गई थी और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---चूंकि मामला पुलिस की जांच के लिये दे दिया गया था इसलिये उनकी रिपोर्ट आने के पहले स्थानीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट २ मई को प्राप्त हुई है। अब विभागीय कार्यवाही हो रही है।

इलाहाबाद जिले के लिये विकास कार्य योजना

*११२---श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)---विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७ वें गुरुवार (३०-३-६१) के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इलाहाबाद शहरी क्षेत्र में जिन विकास योजनाओं पर कार्य हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*११३—विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७ वें गुरुवार के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के ग्रामों में ततीय पंचवर्षीय योचना में जो विकास कार्य होने हैं उनकी सूची क्या है और क्या यह विकास कार्य जिला नियोजन समिति द्वारा अथवा महापालिका द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

एटा जिले में उद्योगों के लिये सहायता

*११४—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में उद्योग समिति द्वारा १९५८-५९, १९५९-६०, व १९६०-६१ के तीन वर्षों में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आवश्यक सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल, लखनऊ के लिये मशीनों का क्रय

*११५—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक किन-किन फर्मों से कितने-कितने रुपयों की machinery and equipment खरीदे गये और उनका भुगतान कब और कैसे किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना अभी एकत्रत की जा रही है।

पिथौरागढ़ पी० डब्ल्यू० डी० मजदूर यूनियन तथा भारत-तिब्बत सीमावर्ती विधायक संघ की मांगें

*११६—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ फरवरी, १९६१ को चीफ इंजीनियर बार्डर से पी० डब्ल्यू० डी० गैंग मजदूर यूनियन पिथौरागढ़ का प्रतिनिधि मंडल मिला था ? यदि हां, तो उसने किन-किन मांगों के लिये चीफ इंजीनियर से निवेदन किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (बार्डर) से पूछताछ की गई। उन्होंने सूचित किया है कि फरवरी २८, १९६१ को पिथौरागढ़ के एक वकील साहब एक दूसरे सज्जन के साथ उनसे मिले थे। वकील साहब ने अपने को पिथौरागढ़ पी० डब्ल्यू० डी० मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि बतलाया था। वकील साहब ने लिखित रूप से कोई मांगें नहीं कीं, केवल मौखिक बातचीत की। बातचीत के दौरान में उन्होंने मुख्य रूप से मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करने की मांग की थी।

*११७—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास १९५८ से ४ अप्रैल, १९६१ तक भारत-तिब्बत सीमावर्ती विधायक संघ की ओर से सीमा सुरक्षा एवं विकास के संबंध में कितने प्रस्ताव आये हैं ? उनमें से कितने पर सरकार ने निर्णय ले लिया है और कितनों पर लेने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५९ में इस संघ द्वारा मुख्य मंत्री जी को भेजा हुआ एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सीमान्त भोटियों की सुरक्षा तथा विकास सम्बन्धी समस्यायें व उन्हें हल करने के ११ सुझाव दिये गये थे जिनमें से सभी पर कार्यवाही की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त सचिवालय के अन्य संबंधित विभागों से भी यह सूचना एकत्रत की जा रही है।

गोरखपुर क्षेत्र में उद्योग विकास सेमीनार

*११८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--गोरखपुर क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुए सेमीनार के संबंध में सातवें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के संदर्भ में क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्रीय आयुक्त गोरखपुर ने उद्योगों के विकास के लिये प्रशासन की ओर से दी गई सुविधाओं को अपूर्ण बताया है और कुछ अन्य संस्तुतियां भी भेजी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--कमिश्नर, गोरखपुर के विचार अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

हरिद्वार नगरपालिका के मुकदमे

*११९--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिद्वार नगरपालिका के मुकदमे अब किस आधार पर रुड़की की अदालतों में भेजे जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय में ज्येष्ठ कर्मचारियों की सम विभाजन सम्बन्धी नीति तथा प्रशासन विभाग द्वारा पक्षपात की शिकायत

*१२०--**श्री गौरीशंकर राय, श्री मुक्तिनाथराय, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्यमंत्री को फरवरी, १९६१ में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सरकारी सचिवालय की विभिन्न ब्रांचों में ज्येष्ठ कर्मचारियों के सम विभाजन की नीति के अनुरूप जो स्थानान्तरण सितम्बर, १९६० में किये गये हैं उसका कार्यान्वयन व्यवहार में इस प्रकार किया गया है कि उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप ८ वर्ष से अधिक की सेवा वाले द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, जब कि चार वर्ष की सेवा वाले द्वितीय श्रेणी सहायक प्रथम श्रेणी सहायकों के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ है ।

*१२१--**श्री गौरीशंकर राय, श्री मुक्तिनाथराय, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री प्रतापसिंह**--यदि हां, तो शिकायत की मुख्य मुख्य बातें क्या है और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उल्लिखित शिकायतें विशेषतः शाखाओं में ज्येष्ठ कर्मचारियों के सम-विभाजन की नीति के विरुद्ध थीं और उसमें सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा पक्षपात किये जाने का भी उल्लेख था । इस शिकायत पर पूरे तौर से सरकार विचार कर रही है यथासम्भव कोई ऐसा उचित प्रबन्ध करने का विचार है जिससे कि हर व्यक्ति को पदोन्नति के लिये समान अवसर प्राप्त हो ।

नई चकबन्दी कमेटियां

*१२२--**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम सभाओं के चुनाव सम्पन्न हो जाने के बावजूद जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही है अभी तक नई चकबन्दी कमेटियां नहीं बनी हैं और पुरानी ही कमेटियां काम कर रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम सभाओं के चुनाव के उपरान्त नई चकबन्दी कमेटियां बनाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । जब तक नई कमेटियां नहीं बनतीं, पुरानी कमेटियां काम करती रहेंगी ।

*१२३—श्री व्रजविहारा मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नई चकबन्दी कमेटियां कब तक बन जायेंगी और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आशा है कि नई चकबन्दी कमेटियां नई भूमि प्रबन्धक कमेटियों के निर्माण के बाद शीघ्र ही बन जायेंगी। इस सिलसिले में आवश्यक आदेश चकबन्दी आयुक्त ने जारी कर दिये है।

गुड़ विकास योजना को स्थायी न करना

*१२४—श्री दुर्योधन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९३७-३८ से चलती रहने वाली गुड़ उन्नति योजना को अब तक स्थायित्व नहीं प्रदान किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हां।

(ख) इसकी अभी जरूरत नहीं समझी गई।

*१२५—श्री दुर्योधन—क्या यह सत्य है कि प्रथम तथा द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत गुड़ विकास योजना का कोई विस्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१२६—श्री दुर्योधन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गुड़ खांडसारी योजना का कौन-सा कार्य निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा और कौन-सा कार्य चीनी आयुक्त द्वारा सम्पादित होता है ? क्या मितव्ययिता की दृष्टि से दोनों स्थानों का कार्य एक विभाग द्वारा नहीं चलाया जा सकता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) उद्योग विभाग के निदेशक विकास संबंधी तथा चीनी आयुक्त लाइसेंसिंग संबंधी कार्य करते हैं।

(ख) जी नहीं।

पोखरा ग्राम में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*१२७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत कप्तानगंज विकास क्षेत्र में गत तीन वर्षों में क्षेत्रीय समिति (एडवाइजरी कमेटी) ने कितनी बार यह प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा कि उपर्युक्त ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पोखरा में एक ट्यूबवेल लगवा दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दो बार इस आशय के प्रस्ताव पास हुए कि न्याय पंचायत, पोखरा के अन्तर्गत गांव अकेलवा में एक ट्यूबवेल लगवा दिया जाय।

*१२८—श्री धनुषधारी पांडेय तथा श्री रामलाल—क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव पास होने के बाद कुछ ट्यूब वेलों का प्राविधान जिला बस्ती में हुआ था ? यदि हां, तो पोखरा ग्राम में एक ट्यूबवैल न लगाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, १० ट्यूबवेलों का प्राविधान वर्ष १९५९-६० और १० का १९६०-६१ में हुआ, लेकिन उक्त ग्राम में चन्दो ताल तथा अन्य नाले आदि द्वारा सिंचाई होती है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप लगाने का प्राविधान उक्त ग्राम में नहीं किया गया।

*१२९---श्री धनुषधारी पांडेय तथा श्री रामलाल---क्या इस समय भी उक्त ब्लाक के अन्तर्गत कुछ ट्यूबवेलों का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त ग्राम में एक ट्यूबवेल लगाने का विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

कुण्डा में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का आदेश

*१३०---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्राम कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में कोई राजकीय अस्पताल कायम करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ग्राम कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विकास आयुक्त द्वारा आदेश हुए हैं ।

जब तक भवन निर्माण कार्य पूरा न हो जाये यह कहना कठिन है कि उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्र कब तक चालू हो सकेगा ।

पडरौना तहसील में तकावी का बकाया

*१३१---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला देवरिया की तहसील पडरौना के उन लोगों की संख्या क्या है जिनके जिम्मे पांच सौ रुपये से अधिक की तकावी की रकम ७ अप्रैल, १९६१ तक बकाया थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला देवरिया की तहसील पडरौना में १९ व्यक्तियों के जिम्मे ७-४-१९६१ तक ५०० रुपया से अधिक की तकावी की रकम बाकी थी ।

शाहजहांपुर जिले में आबपाशी के लिये तकावी

*१३२---श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में अलग-अलग तहसीलों के वास्ते १९६०-६१ में आबपाशी के कुएं बनाने के लिये तकावी के रूप में कितना-कितना रुपया सरकार की ओर से दिया गया ?

*१३३---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलग-अलग तहसीलों से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र काश्तकारों ने तकावी के वास्ते दिये थे और कितनो-कितनो को उनमें से तकावी दी गयी ?

*१३४---क्या यह सही है कि १९६०-६१ में सरकार की ओर से आबपाशी के लिये तकावी देने का बहुत-सा रुपया व्यपगत हो गया ? यदि हां, तो यह रुपया तकावी में क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आवश्यक सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में ईंटों के भाव में अन्तर

*१३५---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रदेश में कोयले के अभाव के फलस्वरूप हाल में चिमनी की ईंटों का दाम पहले से बढ़ गया है ? यदि हां, तो १९६० तथा १९६१ में उक्त प्रकार की ईंटों के दामों में कितना अन्तर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोयले के अभाव के फलस्वरूप प्रदेश में ईंटों के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई । प्रश्न नहीं उठता ।

*१३६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या जिला देवरिया में कोयले से पकायी गई ईंटों तथा लकड़ी से पकाई गई ईंटों के दाम में भी अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। जो अन्तर है वह इस प्रकार है :--

ईंट	अन्तर उन भट्ठों के दामों में जो ५ मील के अन्दर के स्टेशन से कोयला पाते हैं	अन्तर उन भट्ठों के दामों में जो ५ मील के बाहर के स्टेशन से कोयला पाते हैं
	रु०	रु०
अव्वल	६	६.५०
दोयम	६	६.५०
सोयम	६	६.५०

गोरखपुर जिले में घाघरा के कटाव से पीड़ितों को सहायता

*१३७--श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में गोरखपुर जिले में घाघरा नदी से किन-किन गांवों में कितने-कितने घर नदी के पेट में विलीन हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना संलग्न तालिका के स्तंभ २ व ३ में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९५-७९६ पर)

*१३८--श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा उपर्युक्त कटाव से पीड़ित गांवों में किन-किन गांवों को कितनी-कितनी सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गांव वार सहायता का विवरण उक्त तालिका के स्तम्भ ४ से ७ तक में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९५-७९६ पर)

हैण्डलूम हाउस, झांसी में गबन

*१३९---श्री लक्ष्मणराव कदम----क्या विकास मंत्री प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या १४ व १५, दिनांक १६ मार्च, १९६१ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी पुलिस अधिकारियों के पास आडिट रिपोर्ट के अनुसार पहुंचने वाली सूचनानुसार यू० पी० का हैण्डलूम हाउस, झांसी में कपड़ा व नकदी मिलाकर लगभग ५० हजार रुपये का गबन है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट के अनुसार झांसी पुलिस को सूचना कब पहुंची और कितने मूल्य का कपड़ा व कितना नकद रुपया गायब है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कुल ५९,५५४ रु० ६८ न० पै० का गबन पाया गया है। आडिट रिपोर्ट झांसी पुलिस को १ मार्च, १९६१ को भेजी गयी है। ४३,७९७ रु० ५ न० पै० का कपड़ा तथा १५,७५७ रु० ९३ न० पै० का नकद गबन हुआ है।

मौदहा विकास खंड के अधिकारियों की भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी

*१४०---श्री डूंगरसिंह, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह---क्या यह सत्य है कि हाल ही में हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खण्ड में एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है जिसके फलस्वरूप उस विकास खण्ड के करीब-करीब सभी अधिकारी गिरफ्तार कर लिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, आरोपों से संबंधित विकास अधिकारी गिरफ्तार किये गये थे ।

*१४१---श्री डूंगरसिंह, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह---यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ? उनमें किस-किस पद के अधिकारी हैं और उन पर क्या-क्या आरोप हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उनकी संख्या १० है। १ बी० डी० ओ०, ४ ए० डी० ओ०, २ वी० यल० डब्लू० तथा ३ पंचायत मंत्री के पद पर कार्य करते थे। इन पर सरकारी धन के गबन करने, कागजात में जालसाजी करने, अनुचित ढंग से धन उपार्जित करने के लिये क्रिमिनल कांस्पिरेसी करने तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं ।

*१४२---श्री डूंगरसिंह, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह---क्या इस सिलसिले में कुछ गैर-सरकारी लोग भी गिरफ्तार हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें कुछ ग्राम समाज के प्रधान भी सम्मिलित हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, दो व्यक्ति अब भी प्रधान हैं, किन्तु एक व्यक्ति पंचायत के नये चुनाव के बाद अब प्रधान नहीं है ।

राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में कर्मचारियों के क्वार्टर

*१४३---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ तथा ब्रांच प्रेस में कितने कर्मचारी काम करते हैं तथा उनमें से कितने एसेंशियल सर्विस में लगे हुए घोषित किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राजकीय प्रेस, ऐशबाग तथा ब्रांच प्रेस, लखनऊ में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ११०८ है, जिसमें से १०३५ एसेंशियल सर्विस के हैं ।

*१४४---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त राजकीय प्रेस कर्मचारियों के रहने के लिये कितने आवास स्थान (quarters) की व्यवस्था सरकार की ओर से वहां पर की गई है तथा उसमें रहने वाले कर्मचारियों से क्या कोई किराया भी वसूल होता है ? यदि हां, तो किस रेट से किराया लिया जाता है तथा क्वार्टरों का एलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त प्रेसों के कर्मचारियों के लिये कुल ९४ आवास स्थानों की व्यवस्था की गई है। उनसे सरकारी नियमानुसार वेतन का १० प्रतिशत किराया लिया जाता है। आवास स्थानों का अलाटमेन्ट एसेंशियल सर्विस वर्ग के केवल उन कर्मचारियों को किया जाता है जिनकी सेवायें सरकारी कार्य के हेतु अति आवश्यक समझी जाती हैं ।

*१४५---श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि उक्त राजकीय प्रेस के कर्मचारियों के निवास के हेतु बने हुये क्वार्टर में से कुछ क्वार्टर गत कई वर्षों से unserviceable तथा बिना किराये के घोषित किये गये हैं ? यदि हां तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वे क्वार्टर्स खाली हैं या उनमें कोई रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐशबाग प्रेस के ११ क्वार्टर अनसर्विसएबिल होने के कारण केवल उस समय तक के लिये किराया या मुक्त घोषित किये गये थे जब तक उनको मरम्मत न हो जाय। सन् १९५९–६० में उपरोक्त क्वार्टरों की मरम्मत के लिये व्यवस्था की गई थी और अब उन क्वार्टरों की मरम्मत करीब-करीब पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्मति से उन क्वार्टरों का किराया निर्धारित किया जायगा। इस समय इन क्वार्टरों में प्रेस कर्मचारी रहते हैं।

बतरौली में हरिजन बस्ती को अग्नि से क्षति

*१४६—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या तहसील सलेमपुर के पूर्व स्थित बतरौली, टोला खेम छपरा, जिला देवरिया में दिनांक ७ अप्रैल, १९६१ को अग्निकाण्ड से सम्पूर्ण हरिजन बस्ती जल गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, केवल ३ घरों को छोड़कर करीबन सम्पूर्ण हरिजन बस्ती को क्षति पहुंची।

*१४७—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—यदि हां, तो उपर्युक्त बस्ती में घरों की संख्या क्या थी, आग लगने से कितने जानवर और आदमी मरे तथा कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपर्युक्त बस्ती में ३९ घर थे। आग लगने से एक लड़के तथा ६ बकरियों की जान गई। सम्पति की अनुमानित क्षति ५,००० रु० की है।

इस सम्बन्ध में पीड़ित परिवारों को अब तक १९० रुपये की अहेतुक सहायता दी जा चुकी है। उनके अस्थाई आवास के लिये फूस तथा बांस की झोपड़ियां भी सहयातार्थ बनवा दी गई हैं।

उत्तराखंड क्षेत्र में निर्माण विभाग के वर्कचार्ज्ड स्टाफ का वेतन तथा भत्ता

*१४८—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखंड क्षेत्र में कार्य करने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज्ड स्टाफ को क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तराखंड क्षेत्र में कार्य करने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज्ड स्टाफ के दो वर्ग हैं। पहले वर्ग में वे कर्मचारी आते हैं जिन्हें एक निश्चित वेतन-क्रम में वेतन दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के पद तथा उनको दिये जाने वाले वेतन-क्रम का विवरण संलग्न तालिका सं० १ में दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता भी दिया जाता है।

दूसरे वर्ग के कर्मचारी वे हैं जिन्हें बाजार भाव के अनुसार उनकी योग्यता और वरिष्ठता देखकर वेतन दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के पद तथा उनको इस समय दिये जाने वाले वेतन का विवरण संलग्न तालिका सं० २ में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९७–७९८ पर)

*१४९— श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि उत्तराखंड क्षेत्र में अन्य सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को बार्डर वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, इन कर्मचारियों को भी अधिक मजदूरी तथा भत्ता दिलायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऊपर बताये गये प्रथम वर्ग के कर्मचारियों को बार्डर भत्ता दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दूसरे वर्ग के कर्मचारियों को, जिन्हें बाजार भाव के अनुसार वेतन दिया जाता है, बार्डर वेतन या भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में न्याय बेंचों के विचाराधीन मुकदमे

*१५०—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या न्याय मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बाराबंकी की हैदरगढ़, नवाबगन्ज, रामसनेहीघाट व फतेहपुर तहसीलों की न्याय बेंचों में ६ मास, ९ मास व १ वर्ष से कितने-कितने मुकदमे चल रहे हैं, जिनका फैसला अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हैदरगढ़ तथा नवाबगंज की न्याय बेंचों में क्रमशः २ तथा १३ मुकदमों का, जो ६ मास से अधिक पुराने हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ९ मास तथा १ वर्ष से अधिक पुराने कोई मुकदमे फैसले के लिये बाकी नहीं है।

रामसनेही घाट व फतेहपुर की तहसील में बेंच का कोई न्यायालय नहीं है।

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के एक कर्मचारी का निष्कासन

*१५१—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीटयूट, लखनऊ के कितने स्थायी व अस्थायी कर्मचारी, १ दिसम्बर, १९६० से ३० जनवरी, १९६१ तक कार्यमुक्त किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कथित काल में केवल एक अस्थायी कर्मचारी को कार्य मुक्त किया गया।

*१५२—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त निष्कासित व्यक्तियों में कितने १० साल से ज्यादा समय से काम करते रहे हैं और कितने सात साल से ज्यादा समय से काम करते रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निष्कासित व्यक्ति सरकार के उद्योग विभाग के अन्तर्गत ९ वर्ष से कार्य कर रहा था।

*१५३—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या मुख्य मन्त्री को १० फरवरी १९६१ को कोई प्रार्थना-पत्र उपर्युक्त निष्कासित कर्मचारियों का मिला है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, किन्तु सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना सरकार उचित नहीं समझती।

अतारांकित प्रश्न

राजस्व विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना

१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह—क्या न्याय मन्त्री राज्य सरकार के राजस्व विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्व विभाग की दो योजनायें अर्थात् जोत चकबन्दी योजना तथा पर्वतीय क्षेत्र पैमाइश क्रियाओं सम्बन्धी योजना (Scheme relating to cadastral survey in hill districts) तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं जिनका ब्योरा† संलग्न सूची में, जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है, दिया गया है।

---

†ब्योरा छापा नहीं गया।

२—४—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह—[हटा दिये गये ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये उठा, लेकिन आपकी दृष्टि मेरी ओर तक नहीं पहुंच सकी, इसलिये मैं उसके लिये आधे घंटे की डिबेट मांगता हूं।

श्री बन्दराम गुप्त (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में भी आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न था प्रश्न संख्या १३० पर; इसे पहले मैंने अल्पसूचित प्रश्न के रूप में दिया था। यह पहले अप्रैल माह में ११ तारीख को आया। उस समय इसको स्थगित कर दिया गया। आज १३० नम्बर पर आया और मेरे प्रश्न का नम्बर ही नहीं आया.....

श्री अध्यक्ष—आप इसको मेरे कमरे में आकर कहें। जब और प्रश्नों पर सदस्यगण ज्यादा समय ले लेते हैं तो इसका नम्बर कैसे आ सकता है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मेरे सवाल थे वे न तो स्थगित ही हुये और न उनके मुझे उत्तर ही प्राप्त हुये। हो सकता है विभाग की तरफ से कुछ आदेश आये हों, मगर उनको स्थगित होना चाहिये था....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में बात करें। इसके लिये मैं यहां इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं एक आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मेरे प्रश्न १५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये हैं, १९ को सदन की बैठक स्थगित हो जायगी, तो यह १५वां गुरुवार कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—अगर सत्रावसान नहीं हुआ, तो यह प्रश्न चलते रहेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सत्रावसान की कोई आशंका है?

श्री अध्यक्ष—मैं अभी कैसे कह सकता हूं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कुछ प्रश्नों के बारे में न तो स्थगित ही लिखा जाता है और न उनका उत्तर ही मिलता है तो या तो उनके आगे स्थगित लिखा जाया करे या उनका उत्तर मिला करे, इसके लिये तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं देखूंगा उसे।

'स्वतंत्र भारत' में छपे श्री गोविन्दनारायण तिवारी के भाषण के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—श्रीमन्, १७ मई, के 'स्वतन्त्र भारत' नामक पत्र में मेरे द्वारा यहां पर दिये गये स्पष्टीकरण के बारे में छपा है कि मैंने कहा है कि मैंने मुलजिम को अपने घर रखा और उसकी जमानत की। मैंने उस दिन की कार्यवाही भी देखी, और मुझे याद है कि मैंने ऐसी बात नहीं कही जिस तरह से उसमें छपी है। इसलिये आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और उसे ठीक होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—'स्वतन्त्र भारत' के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, उसको उन्होंने सुना भी होगा। वह तैयार भी हो गया है। तो आप कृपया मेरे दफ्तर से जो सही उनका भाषण है उसके अनुसार स्पष्टीकरण देते हुये कि गलती हो गई जिस पर खेद है और जैसा कि हमेशा पत्रों का तरीका रहा है कि वे लिखते हैं कि हम खेद प्रकट करना चाहते हैं, इत्यादि, कहते हुये जो सही उनका वक्तव्य है, उसको दे देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यह चीज छापी जायगी।

२७ अप्रैल, १९६१ के प्रश्न १४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों में श्री रामसुन्दर पांडेय के कथन के सम्बन्ध में न्याय मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्टीकरण शायद न्याय मन्त्री जी ने दिया है कि प्रश्नोत्तरों के सिलसिले में उन्होंने शायद कुछ कहा था और अब उन्होंने उसका स्पष्टीकरण लिखित भेज दिया है। वह मैं सदन को सुना देता हूं। वह इस प्रकार है—

"मैं आपका ध्यान श्री रामसुन्दर पांडेय जी के प्रश्न संख्या १४, दिनांक २७ अप्रैल, १९६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने अपने प्रश्न में पूछा था कि उनका ३ अगस्त, १९६० का पत्र, जो माननीय न्याय मन्त्री जी को भेजा गया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई? मैंने अपने उत्तर में यह निवेदन किया था कि ऐसा कोई पत्र मुझे मिला हुआ प्रतीत नहीं होता, किन्तु श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने अपने अनुपूरक प्रश्न में यह कहा था कि उनके पास उस पत्र की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी। उनके ऐसा कहने का यह आशय था कि पत्र वास्तव में मेरे दफ्तर में प्राप्त किया गया था और मेरा उत्तर गलत था किन्तु अब मुझको उन्होंने दूसरा पत्र दिनांक २७ अप्रैल, को भेजा तो उससे प्रतीत हुआ कि उपरोक्त ३ अगस्त, १९६० का पत्र उन्होंने तत्कालीन मंत्री को भेजा था और उसका उत्तर उनको कृषि निदेशक से १४-९-१९६० को प्राप्त हुआ था। मैंने इस विषय पर कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त की। उससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम सुन्दर पांडेय ने अपना पत्र तत्कालीन कृषि मंत्री को भेजा था और उसका उत्तर उनको उनके विभाग से प्राप्त हो गया था। अतएव मुझको यह स्पष्टतया निवेदन करना है कि मेरा उनके १४ अप्रैल को दिये गये प्रश्न का उत्तर ठीक ही था और उनका यह कहना कि उनको मेरे विभाग से उस पत्र की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, गलत था।

यह सूचना मैं आपको अपने ३ मई के स्पष्टीकरण के संबंध में दिये गये आपके आदेश के अनुसार दे रहा हूं।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या इस विषय पर अब प्रश्न किये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—इस पर प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं। अगर बाद में प्रश्न करना चाहें कि यह गलत उत्तर है तो वह आप मेरे पास लिख कर भेज सकते हैं और बाद में अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं जब कि वे प्रश्न स्वीकृत होकर सदन में उनका उत्तर पढ़ा जाय।

किसानों को वितरित बीज का सवाई न लेकर मूल्य लेने के आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—मैंने कोई कामरोको प्रस्ताव तो स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन भीखा लाल जी का नियम ५२ के अनुसार जो विषय है उसको स्वीकार किया है और उसको मैं पढ़ देता हूं—

"उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने अभी हाल में ही यह आदेश जारी किया है कि कृषि बीज भण्डारों से रबी का बीज, जो किसानों को दिया गया था, वह गल्ले के रूप में सवाई न लिया जाय बल्कि उसकी नकद कीमत वसूल की जाय। जिस समय बीज वितरित किया गया था उस समय किसानों से सवाई बीज वापस करने के लिये बांड भरवाया गया था परन्तु अब उस बांड की शर्तों के विपरीत सवाई बीज की कीमत नकद मांगी जा रही है। इसके अतिरिक्त इस समय गेहूं का बाजार भाव १३ व १४ रुपय मन के बीच में है परन्तु किसानों से गेहूं की कीमत १९ व २० रुपया प्रति मन के हिसाब से मांगी जा रही है। अन्य बीजों का भाव भी इसी प्रकार निश्चित किया गया है। सरकार द्वारा जारी किया गया उपरोक्त आदेश अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण तथा नियम विरुद्ध है। उसने किसानों को एक नई परेशानी में डाल दिया है और उनमें क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ''

अब कृषि मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--मान्यवर, इस वक्त सूचना मेरे पास नहीं है । कल इसको दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--ठीक है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था । कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मिल ओनर्स एसोसिएशन में गन्ने के दाम पुनः फिक्स करेंगे तो मंत्री जी इसका जरूर जवाब दे दें, डेढ़ करोड़ किसानों में इससे हलचल मच गयी थी।

श्री अध्यक्ष--मैं उसे मंत्री जी के पास भेज दूंगा । कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे तो उग्रसेन जी ने मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव भेजा था, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है, मैं उसको भी आपके पास भेज दूंगा, तो उसका भी ख्याल करते हुए आप वक्तव्य देंगे । उन्होंने जो कहा है कि आपने कोई भाषण दिया तो उसको कवर करते हुए आप जिक्र करें ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैंने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया । गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में, कि सरकार उसे घटाने जा रही है मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया ।

श्री उग्रसेन--उसमें शब्द है "Re fixation of Cane Prices"

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था, आपने उसको अस्वीकृत कर दिया है । हमारे लखीमपुर जिले में वन विभाग ने ४ हजार गायों को तड़पा-तड़पा कर मार डाला, यह बात अखबारों में छपी और कांग्रेसमैनों ने भी कहा और गाय और बछड़े बेच दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में उसको ले लिया है और कल उसका जवाब देने के लिए कहा है ।

नियम ५२ के प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--एक निवेदन मेरा भी है । २८ अप्रैल को एक नोटिफिकेशन श्रम विभाग की तरफ से निकाला गया और इसमें १० मई के पहले चीनी वेज बोर्ड के मुताबिक मजदूरों को बढ़ोत्तरी मिलने वाली थी, अब वह तारीख २१ मई कर दी गयी है । २१ मई तक मिल बन्द हो जायगी तो वह मजदूरों को मिल नहीं पायेगी । तीन दिन से उसको दिया है ।

श्री अध्यक्ष--एक ही रास्ता है कि अल्पसूचित तारांकित भेज दीजिये और कल जवाब आपके पास आयेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठिये ।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं ही क्यों बैठूं जब और कोई नहीं बैठता । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो नियम ५२ का प्रस्ताव आपके सामने आया है इसका सरकार अभी उत्तर दे सकती है । यह प्रत्यक्ष की चीज है, इसमें कोई देर करने की जरूरत नहीं है । किसानों

[श्री टीकाराम पुजारी]
की जो चीज सदन के सामने है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरा भी नियम ५२ का प्रस्ताव था, उसमें मैंने कहा था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, गल्ला ९-१० रुपया मन बिक रहा है, सरकार चुपके बैठी हुई है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं समझता हूं, किसानों को इस बीमारी से बचाना बहुत जरूरी है। सवाई के बीज को कैसे वह लौटायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अगर आप नहीं बैठते तो आपको सदन छोड़ना होगा। आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी---प्रजा सोशलिस्ट वालों से कभी नहीं कहा, मुझ से कहा जाता है कि बैठ जाऊं। मैं बैठ जाऊंगा।

(श्री टीकाराम पुजारी बैठ गये।)

नियम ५३ के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के निर्माण न होने के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५३ के अनुसार जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। वह इस प्रकार से है :-

"गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ के अन्तर्गत अभी तक विश्वविद्यालय के कोर्ट का निर्माण नहीं हो सका है। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों का गठन नहीं हो सका है और गत ५ वर्षों से प्रशासन द्वारा नामांकित एक 'एडहाक एक्जीक्युटिव कौन्सिल' कार्य कर रही है। यह एक काम-चलाऊ व्यवस्था है। अतः विश्वविद्यालय की प्रगति रुकी हुई है और १४ जिलों की सर्वसाधारण जनता में साधारण रूप से तथा पठित समुदाय में विशेष रूप से बड़ा असंतोष है। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक, जो शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, यह अनुभव करने लगे हैं कि स्वशासित संस्थाओं के संचालन में प्रशासन पर्याप्त बल नहीं दे रहा है और उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है जिससे प्रजातंत्र के विकास में जनता को आशंका पैदा हो रही है।

चूंकि विधान सभा का सत्र शीघ्र ही समाप्त हो रहा है और शिक्षा सत्र अग्रिम जुलाई में प्रारम्भ होगी, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के उपर्युक्त विषय पर शिक्षामंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये इस आदरणीय सदन में विवाद के लिये २ घंटे के समय की मांग करता हूं। व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न है।"

इस विषय को मैंने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि इसके लिये एक घंटे का समय काफी होगा, दो घंटा रखने में बहुत देर हो जायगी। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इसके लिये कब समय देंगे ? आज तो शायद शाम को मीटिंग वगैरह है, क्या कल वक्तव्य दे सकेंगे ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---मैं आज भी वक्तव्य दे सकता हूं और कल भी दे सकूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई खास बहस की बात नहीं थी . . .

श्री अध्यक्ष---बहस की बात इसमें नहीं है। आपको वक्तव्य देना होगा और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा होकर वह समाप्त हो जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर---अगर आपकी आज्ञा हो तो आज ही दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---इस प्रकार के प्रश्न के लिये समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम इस तरह से है---

".....allow such time for discussion not exceeding two and a half hours as he may consider appropriate in the circumstances:"

मैं सिर्फ एक घंटा ही दे रहा हूं । अब आज और कल का समय विधेयक के लिए निश्चित हो चुका है तो उसके बाद ही समय मिलेगा, या अगर सदस्य राजी हो जायं तो उसी में से एक घंटा निकाला जा सकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, एक घंटे का समय बहुत कम है, दो घंटे कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं आज शाम को ही दे सकता हूं . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान् जी, मेरा निवेदन यह है कि बोलने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय क्योंकि प्रजा वाले ही बोलते रहते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये, नहीं तो लाचार होकर कहना पड़ेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं तो सच्ची बात कहता हूं ।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं । आप आदेश दें तो आज दे दूं या कल ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आज पांच बजे आप अपना वक्तव्य दे दें और कल पांच बजे के बाद बहस हो जाय, यह ज्यादा अच्छा है ।

आचार्य जुगलकिशोर---अच्छी बात है ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन् जी, मेरा नम्बर नहीं आता है । सदन में सबका हक बराबर होना चाहिए । मुझे अपनी परवाह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के सदन को छोड़ दें यदि आप नहीं बैठते ।

[* * * *]

श्री टीकाराम पुजारी---आप सरकार को चलाने वाले हैं । सदन में आप के द्वारा न्याय नहीं होगा तो कौन करेगा ?

(श्री टीकाराम पुजारी अपने स्थान पर बैठ गये ।)

गर्मियों में नैनीताल जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय मुख्य मंत्री नैनीताल जाने के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, गर्मियों में सचिवालय के तथा अन्य उच्च अधिकारियों के नैनीताल जाने की परम्परा १९४७ के पूर्व से चली आती थी । ये अधिकारी इस समय में सरकारी कार्य का संचालन नैनीताल से ही किया करते थे । उनके

नोट---[* * * *] उक्त अंश श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

साथ उनके कुछ सहायक कर्मचारी भी जाया करते थे। नैनीताल तक डाक ले जाने और ले आने तथा सरकारी कर्मचारियों के नैनीताल में रहने की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर हुआ करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी यह प्रथा बनी रही। सरकार द्वारा जो सुविधायें पहले प्रदान होती थीं, समय-समय पर संशोधित कर वह जारी रखी गयीं। गर्मियों में मंत्रि-परिषद् के सदस्य नैनीताल जाते रहे। मंत्रि-परिषद् की बैठकें और विधान मण्डल की समितियों की भी बैठकें नैनीताल में होती रहीं। जो सुविधा दी जाती थी, उसके दृष्टिकोण से सरकारी अधिकारी दो श्रेणियों में विभाजित कर दिये गये थे। पहली श्रेणी उन अधिकारियों की थी जो अपने खर्चे पर नैनीताल जाते थे, किन्तु जिनकी डाक ले जाने तथा ले आने और जिनके साथ जाने वाले कर्मचारियों के आने जाने तथा रहने का खर्च सरकार द्वारा किया जाता था। इसी श्रेणी के अधिकारी रिसेसिंग आफिसर्स कहलाते थे। दूसरी श्रेणी उन अधिकारियों की थी जिन्हें सरकारी कार्य सम्पादन के लिये अनिवार्यरूप से नैनीताल रहना पड़ता था। यह श्रेणी "रिक्वायर्ड आफिसर्स" की कहलाती थी। दूसरी श्रेणी में केवल सचिवालय के कतिपय अधिकारी होते थे।

पिछले चार पांच वर्षों में नैनीताल जाने का खर्चा औसतन सवा लाख से लेकर ढाई लाख रुपए तक का रहा है। यद्यपि इस मद पर व्यय तुलनात्मक दृष्टि से अधिक नहीं था तथापि जनता में तथा समाचार-पत्रों में पहाड़ जाने की सुविधा की व्यवस्था की प्रत्येक वर्ष आलोचना होती थी। आलोचना विशेषकर इस बात की थी कि गरीब जनता की कमाई से प्राप्त किया राज्य कोष का धन मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के पहाड़ जाने के आराम के लिये अपव्यय किया जाता है। अन्य बातें भी कही जाती थीं, जैसे उदाहरण के लिये यह कहा जाता था कि पहाड़ पर जा कर मंत्रिगण और अधिकारी नीचे रहने वाले जिलों के निवासियों की समस्याओं से दूर हो जाते थे। यह भी कहा जाता था कि जिन लोगों को इन सरकारी अधिकारियों से कार्य पड़ता था उन्हें नैनीताल तक जाने का खर्चा करना पड़ता था। यह भी कहा जाता था कि पहाड़ पर जाकर सरकारी कार्य शिथिल रूप से होता था। आलोचना की बहुत सी बातें केवल भ्रम और प्रचार पर आधारित थीं। जैसा कि पहले कहा गया, पहाड़ पर जाने की व्यवस्था का व्यय राज्य के सारे खर्चे को देखते हुए नगण्य सा था। फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक व्यापक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सा बन गया था कि राज्य के कोष से खर्चा लेकर मंत्रियों तथा अधिकारियों का पहाड़ पर जाना दोष से मुक्त नहीं है।

इन सारी बातों पर विचार किया गया। राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इस व्यवस्था से भ्रामक विचार उत्पन्न होते हैं और शासन ऐसी समालोचना का विषय बनता है जिससे जनता की निष्ठा शासन में कम होती है तो ऐसी व्यवस्था को बन्द कर देना ही जनहित में होगा। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने इस वर्ष यह निर्णय किया कि गर्मियों में पहाड़ पर जाने की सुविधा के लिए मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के लिये कोई व्यय न किया जाय।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मंत्रियों को अधिकार है कि एक निवास-स्थान उनको लखनऊ में मिले और जब वह नैनीताल में रहें तो एक निवास-स्थान नैनीताल में मिले। फिर भी जिस दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया उसको ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि यदि दौरे को छोड़ कर अन्य अवसरों पर मंत्रिपरिषद् के सदस्य नैनीताल में ठहरें तो वे निवास-स्थान का किराया देवें। मंत्रियों को केवल इतनी सुविधा प्राप्त होगी कि चूंकि वे सरकारी कार्य करते रहेंगे, उनके साथ जाने वाले पर्सनल स्टाफ तथा अन्य सरकारी कर्मचारी जिन्हें कार्यवश नैनीताल बुलाना आवश्यक समझें, साधारण भत्ता प्राप्त होगा। कामरोको प्रस्ताव में कहा गया है कि नैनीताल जाने के विषय में इस वर्ष निर्णय देर से किया गया। इस

वर्ष निर्णय करीब करीब उसी समय पर किया गया जब इस पर निर्णय पिछले वर्षों में किया गया था। पिछले वर्षों में रिसेस सम्बन्धी आदेश जिन तारीखों में किये गये, वे इस प्रकार हैं:—

१९५८	..	..	..	अप्रैल,	२९,	१९५८
१९५९	..	..	..	मई,	७,	१९५९
१९६०	..	..	..	मई,	४,	१९६०
१९६१	..	..	..	मई,	१,	१९६१

मंत्रि-परिषद् तथा अधिकारियों के नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थानों पर न जाने से इन स्थानों की आर्थिक परिस्थिति पर कोई बुरा असर न पड़े, इसका सरकार को पूरा ध्यान है। पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को टूरिस्ट्स के आगमन से विशेष लाभ होता है। इस को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया है कि टूरिस्ट ट्रेफिक को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाय। टूरिस्टों को एक सुविधा यह दी जा रही है कि नैनीताल में जो सरकारी इमारतें हैं, उनकी आवश्यकता यदि सरकारी कार्य के लिये न हो तो वे टूरिस्टों को दी जायं। सरकार की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि फूलबाग एरोड्रोम आल इंडिया एयर लाइन्स के यात्रा मार्ग में रख लिया जाय और दिल्ली और लखनऊ से हवाई जहाज फूलबाग होकर आया जाया करें। यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकी तो नैनीताल और समीपवर्ती स्थानों पर बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या काफी बढ़ेगी। टूरिस्टों के अलावा सरकारी अधिकारी और मंत्रिपरिषद् के सदस्य भी अपने दौरे में नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जाते रहेंगे। सरकारी अधिकारियों को, जिन के पास साधन हैं, अवकाश देने की सुविधा दी जायेगी जिसमें वे अवकाश लेकर गर्मियों में जिन स्थानों पर समय व्यतीत करना चाहें तो व्यतीत कर सकें। जहां तक सदस्यों के सुविधापूर्वक रहने की व्यवस्था हो सकेगी विधान मण्डल की कुछ समितियों की बैठकें भी थोड़े समय के लिये नैनीताल में बुलाई जा सकेंगी। इसके अलावा सुविधानुसार सरकार यदि किसी सम्मेलन को बुलाना चाहेगी तो उसे भी बुला सकेगी। ऐसी आशा की जाती है कि इस प्रकार पहाड़ पर न जाने के निर्णय से नैनीताल या पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष असर न पड़ेगा अपितु टूरिस्ट ट्रेफिक की जो सुविधा प्रदान की जायेगी, उससे यात्रियों की संख्या आगामी वर्ष में उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना होगी जिससे यहां की आर्थिक स्थिति में विकास ही होगा।

पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अविच्छिन्न अंग है। इस क्षेत्र की उन्नति और विकास की ओर सरकार पूर्णतः जागरूक और प्रयत्नशील है। सरकार का पूरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हो। एक व्यापक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिये गर्मियों में सरकारी खर्चे से पहाड़ों पर जाने की सुविधा को हटा लेना आवश्यक हुआ, किन्तु इस निर्णय को कार्यान्वित करने के साथ ही साथ इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इसके कारण एकाएक कोई आर्थिक कठिनाई न उत्पन्न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में सन् ४७ के बाद पहले भी एक बार निर्णय किया गया था कि सरकार नाम मात्र के लिये ही नैनीताल जाय, लेकिन इस बात को देखते हुये कि (१) केवल गर्मियों में या सितम्बर-अक्तूबर में ही वहां का दौरा हो सकता है और वह बरसात व जाड़ों में नहीं हो सकता, इस कारण मंत्री लोग या सरकारी अधिकारी भले ही नैनीताल न जायं लेकिन फिर भी उन्हें पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में ही दौरा करना होगा और नैनीताल से अल्मोड़ा, नैनीताल से पिथौरागढ़, या नैनीताल से रानीखेत आदि जाने में कम खर्च होगा बनिस्बत इसके कि लखनऊ से उन स्थानों को जाया जाय? तो नैनीताल से ही दौरा करने में कम खर्च होगा। वहां रहने से...

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मैंने जो कारण बताया उसको देखते हुये सव ा लाख की बचत नहीं होगी बल्कि और अधिक व्यय होगा...

श्री अध्यक्ष---क्या आप का सजेशन है कि वह भी बन्द किया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर नैनीताल नहीं जाते हैं तो यहीं से सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को ७ पहाड़ी जिलों का दौरा करना होगा जिसमें अधिक खर्चा होगा। इस विषय में पहले भी प्रयोग हो चुका है, लेकिन जब देखा गया कि खर्च उस तरह से और ज्यादा हो रहा है और टी० ए०, डी० ए० में ज्यादा देना पड़ रहा है...

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो क्या सरकार ने ऐसा प्रयोग पहले किया था और समझा था कि उससे बचत नहीं हुई और इसीलिये यह निर्णय जाने का फिर किया गया था ? इस बात को देखते हुए, इसी साल विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है कि सीमावर्ती क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसकी प्रशासकीय और मनोवैज्ञानिक स्थिति दृढ़ करनी चाहिए, इस बात को देखते हुए इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने, जो वक्तव्य मैंने अभी पढ़ा, उसमें कई बातें स्वतः स्पष्ट कर दीं जिनका जिक्र माननीय तिवारी ने किया है। सरकार ऐसा तो मानती नहीं है कि वहां कोई बहुत लम्बा-चौड़ा खर्च हम करते हैं। १४०-१५० करोड़ के बजट में अगर २-३ लाख पहाड़ जाने में खर्च कर दिया और वहां के लोगों को संतुष्ट कर लिया तो न जाने में कोई बहुत भारी बचत हो जाय, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों का हिल एक्सोडस के सम्बन्ध में था और सरकार ने उसी को सामने रख कर यह निर्णय लिया।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों के दौरे इत्यादि का संबंध है, मैंने कह दिया है कि सरकारी कर्मचारी दौरे के सिलसिले में इन महीनों में वहां जायंगे और नैनीताल में भी जाकर दौरे के सिलसिले में कुछ दिन ठहर सकेंगे। बड़ी भारी आपत्ति इस सदन में कुछ लोगों की तरफ से उठती है कि मंत्री लोग वहां जाते हैं यद्यपि मंत्रियों के ऊपर सिवाय इसके कि उनको मकान मिलता था और कोई खर्च नहीं होता। रिसेसिंग अफिसर भी अपने खर्चे पर जाते हैं, उनके नीचे के कर्मचारियों पर ही खर्च होता है। तो जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों का बना हुआ है, उसमें परिवर्तन लाने के लिये यह निर्णय हुआ और हम समझते हैं कि इस निर्णय से थोड़ी बचत तो होगी ही, हम यह नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि हिल एक्सोडस के नाम से जो लोगों के दिमागों में यह बात भरी हुई है कि सरकार के प्रतिनिधि, सदस्यगण, सरकार के अधिकारी दो-डेढ़ महीने यहां काम नहीं कर सकते, उस विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिये हमने इस निर्णय को इस समय लेना आवश्यक समझा और यह निर्णय लिया है।

जहां तक हमारे इस निर्णय से नैनीताल को नुकसान होने का प्रश्न है, उसके लिये, जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा, हम बराबर चेष्टा करेंगे कि बहुत से वे व्यक्ति, जो अब तक नहीं जाते रहे हैं, इस सदन के सदस्य, गैर-सरकारी आदमी और सरकारी आदमी इन कुमायूं हिल्स को और नैनीताल को पैट्रोनाइज करने के लिये जायं। हम उन्हें निमंत्रित करेंगे और ऐसी सब कार्यवाही करेंगे जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग नैनीताल जायं और नैनीताल ही नहीं बल्कि सारी कुमायूं हिल्स का पर्यटन करके उसका अध्ययन करें और इन क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकता को पूरा करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---सरकार की जो कमेटियां हैं, उनकी मीटिंग के लिये कुछ लोग अभी से प्रयत्न शुरू कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग नैनीताल में की जायं। अगर इन कमेटियों की मीटिंग नैनीताल में हुई तो जो मितव्ययिता सरकार ने की है, वह खत्म हो जायगी, तो इस बात को देखते हुए सरकार इस बात पर विचार करेगी की कमेटियों की मीटिंग नैनीताल में न हों बल्कि लखनऊ में हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कमेटियों की मीटिंग का सम्बन्ध है, सब कमेटियों की मीटिंग तो वहां नहीं हो सकतीं और न सरकार का विचार है कि सब हों, लेकिन कुछ कमेटियों की मीटिंग वहां जगह के अनुसार हम अवश्य करने की चेष्टा करेंगे और वह इसलिये कि हम नैनीताल के निवासियों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहते हैं। आखिर को उनकी भी आवश्यकताएं हैं। उनको ध्यान में रख कर हम अध्यक्ष महोदय पर छोड़ेंगे कि २-३ कमेटियों के सिलसिले में वह लाटरी डाल लें कि कौन कमेटियों की बैठक वहां हो सकती है, उन्हें कराने की हम चेष्टा करेंगे। सारी कमेटियों की बैठक कराने की न हमारी नीति है और न हमने साधन मुहैया किये हैं और जितनी जगह थी वह अब घिर सी गई है। जब से निर्णय लिया है, रोज अर्जियां आती हैं कि लोगों को ठहरने के लिये जगह मिलनी चाहिए। हमारे स्टेट आफिसर उतनी मात्रा में जगह नहीं दे पाये जितनी मात्रा में मांग है। इसलिये कोई इमारत हमारी खाली रहे या कोई आदमी न जाय, ऐसी आशंका हमारे दिल में नहीं है और हम नहीं समझते कि हमारे इस निर्णय से कोई ऐसी बात आने वाली है जिससे कि नैनीताल के निवासियों को कोई तकलीफ़ होगी। जैसी कि हमारे माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह को आशंका है कि वहां सारी कमेटियों की बैठक होगी तो ऐसी न हमारी भावना है न ऐसा हमारा विचार है और न ऐसा हमारा निर्णय है। सिर्फ दो, तीन कमेटियों की बैठक वहां हो सकती है और वह भी तब हो सकती है जब अध्यक्ष महोदय लाटरी डाल कर निर्णय कर लें। इससे अधिक और कोई इन्तजाम नहीं हो सकता।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान विधान परिषद् के माननीय सभापति के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधान परिषद् की सभी समितियों की बैठक नैनीताल में होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हर्गिज मैंने ऐसी बात नहीं कही है। कभी ऐसी बात मैं कह नहीं सकता। जब हमने एक निर्णय लिया है तो उसके पीछे कुछ भावना थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—यह माननीय सभापति, विधान परिषद् ने कहा है।

श्री अध्यक्ष—उसका जिक्र आप यहां नहीं कर सकते।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इस बात को स्पष्ट करेंगे कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पहाड़ के लोगों को जो वहां जा जा करके आश्रित बना दिया है इस आश्रय से उनको मुक्त करे और उनको अपने पैरों पर खड़ा करे और वहां जाने में जितना रुपया सरकार खर्च करती थी उतने रुपये से वहां कुछ उद्योग-धंधे खोले और साथ ही साथ सरकार अपने इस निर्णय को कि इस साल वह नैनीताल नहीं जायगी पूर्ण रूप से कार्यान्वित करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने जो निर्णय लिया है वह आजकल की वस्तुस्थिति को देख कर के लिया है और उसको उसी रूप में वह कार्यान्वत करने जा रही है। जो उद्योग-धन्धों की बात कही गयी है तो सरकार तो टूरिज्म को भी एक बड़ा उद्योग-धन्धा समझती है और उसको बढ़ाने के लिये जितनी मात्रा में धन व्यय करने की आवश्यकता है उसको व्यय करने के लिये वह उद्यत है और रहेगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने और सालों के आंकड़े दे कर यह बता दिया कि इस साल जल्दी निर्णय लिया गया, क्या उन्हें यह ज्ञात है कि अन्य सालों में देर से निर्णय लेने पर भी वहां जाने का निर्णय लिया गया लेकिन इस साल न जाने का निर्णय लिया गया जिससे कि सारे टूरिस्ट्स ने पहले ही अपना प्रोग्राम दूसरे स्थानों के लिये बना लिया था और अब वहां नहीं जा सकेंगे तो तात्कालिक कौन-सा उपाय सरकार कर रही है जिससे इस साल वहां की अर्थव्यवस्था खराब न हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मैं तो इस बात से ही अनुमान लगा सकता हूं कि जितनी हमारे पास जगह है उसकी इतनी मांग है और हम ने तमाम जगह को देते हुये भी थोड़ी सी जगह कमेटियों वगैरह के लिये रख ली है। हम तो परेशान रहते हैं कि किस तरह से लोगों की मांग को पूरा करें। तो सरकार जाय या न जाय, मुझे तो कोई दिक्कत मालूम नहीं पड़ती।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)——एक वाक्य में क्या मैं यह समझूं कि केवल हिल एग्जोडस की संज्ञा नहीं रह गयी, बल्कि बाकी सभी काम, कमेटियों का जाना, सरकारी अफसरों का जाना, उसी प्रकार से होता रहेगा और खर्चा भी उतना ही होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मेरे वक्तव्य को सुनकर अगर माननीय सदस्य यही समझे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उनकी समझ में कुछ भूल प्रतीत होती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——क्या यह देखते हुये कि ज्यादा आबादी वाला जिला अल्मोड़ा है, जो कमेटियां नैनीताल में नहीं जायंगी क्या उनको अल्मोड़ा या अपने रानीखेत में करने की कृपा करेंगे और जो यह मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियां फैल गयी हैं ये एक साल के अन्दर ठीक हो जायंगी तो क्या सन् ६२ में फिर हिल एग्जोडस होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सन् ६२ में क्या होगा, उसकी बात तो मैं जानता नहीं हूं। वह तो जो सरकार उस समय आयेगी वही निर्णय लेगी। अगर सदन यह चाहता है और उधर के बैठने वाले सभी चाहते हैं कि नैनीताल जाना चाहिये तो उन्हें यह बात साफ-साफ कहनी चाहिये। वे जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं उधर के बैठने वाले तो साफ साफ कहें (नहीं, नहीं की आवाजें।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी ने साफ कह दिया है कि नैनीताल जाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सोशलिस्ट पार्टी के दो लीडर्स पहाड़ों पर घूम रहे हैं।

श्री उग्रसेन——पहाड़ों पर मौज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह सीमावर्ती प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने जो नैनीताल न जाने का निर्णय लिया है उससे सरकारी खजाने में कितनी बचत होगी ? इसका क्या कुछ अनुमान लगाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मैं समझता हूं कि नैनीताल के जाने में ढाई तीन लाख रुपया खर्च होता था। हमने जो कहा है कि दो तीन कमेटियों की मीटिंग वहां होगी, उसमें ५०–६० हजार रुपया खर्च होगा। इसको निकालकर बाकी सब बच जायगा। इसके अलावा वहां पर हमारी मकानों की आमदनी बढ़ जायगी। अभी तक तो उनका कुछ किराया मिलता नहीं था। मकानों की आमदनी और कमेटियों की मीटिंग का खर्चा सब मिलाकर करीब-करीब बराबर हो जायगा। इसलिये दो तीन लाख रुपये की बचत हो जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह——श्रीमान् जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि २–३ कमेटियों की मीटिंग वहां होगी। इसके माने यह हैं कि सरकार किसी बात पर कड़ाई के साथ नहीं रुक पाती है। इसलिये अव्यवस्था फैली हुई है .....

श्री अध्यक्ष——आप तो राय दे रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

कुंवर श्रीपालसिंह——श्रीमन्, प्रश्न पूछने से पहले भूमिका नहीं बाधूंगा तो कैसे बात बनेगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नैनीताल न जाने का अपना विचार प्रगट किया है, क्या उसको वह दृढ़ता के साथ पकड़ेंगे और किसी प्रकार से कोई चीज सरकार की तरफ से नैनीताल नहीं जायगी, मंत्री जी इस पर स्टिक करेंगे या नहीं ?

श्री प्रतापसिंह——मान्यवर, हमारा जो प्रस्ताव है वह यह नहीं है कि सरकार नैनीताल जाय या न जाय। मुख्य मंत्री जी ने नैनीताल में कुछ कहा और यहां पर वह अपोजीशन पर दोष मढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक असर की बात दूसरी है। यहां पर आर्थिक असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि चीन का हमला हुआ और नैनीताल समर कैपिटल न बना तो वहां के लोगों की मनोवैज्ञानिक दशा और भी खराब होगी। होटल इंडस्ट्री को मुख्य मंत्री जी किस रूप में सब्सटीयूट करेंगे और दूसरे लोग जो दूध, सब्जी वगैरह बेचते थे उनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे ?

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मुख्य मंत्री जी नैनीताल जाने के मामले में प्रतापसिंह जी की वकालत पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——माननीय प्रताप सिंह जी वकालत करते हैं तो ठीक करते हैं, उसकी उनको कोई शर्म नहीं है। इसलिये आपकी आपत्ति निराधार है, क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र से आता हो और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, वह अगर वहां के निवासियों की मांग को सदन में प्रस्तुत करता है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। ऐसी बातों को मैं अशोभनीय समझता हूं। जहां तक होटलों का संबंध है, मैंने आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया था तो वहां पर जून के महीने तक कोई जगह खाली नहीं है। रोज आवेदन-पत्र आते हैं और जगह नहीं मिल पा रही है। नैनीताल जाने वालों में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है। यदि वहां की म्युनिसिपैलिटी पर या वहां की इकोनामी पर कोई असर पड़ेगा तो सरकार अवश्य वे कार्य करेगी जिनसे वहां की इकोनामी पर कोई इफेक्ट न पड़े और उसे दूसरी तरह से मदद देगी।

कुंवर श्रीपालसिंह——श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। वह तो प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब देने लगे, हमारा जवाब ही नहीं दिया। हमने तो यह पूछा था कि जो अपनी बात कही उस पर यह सरकार दृढ़ता से कायम रहेगी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अपनी नीति पर वह बिलकुल कायम है और कायम रहेगी और जब सरकार ने इस बात की घोषणा की थी उस समय भी यह साफ कर दिया था कि मंत्रिगण यदि जाना चाहेंगे और दौरे पर जायंगे तो जायेंगे ही, लेकिन यदि वहां रहेंगे तो अपने खर्चे पर रहेंगे। सरकारी कर्मचारी जाना चाहेंगे तो अपने खर्चे पर रहेंगे, दौरे के अलावा, और सरकार बहुत सी जगह पर कमेटियां करती है, कभी मिर्जापुर में करती है, कभी देहरादून में करती है, कभी तराई भावर में करती है। उसी नीति का अनुसरण करते हुए यदि वह आवश्यक समझती है कि कोई कमेटी नैनीताल में बुलायी जाय तो उससे वह गुरेज करने वाली नहीं है। उसकी नीति यह है कि जहां वह मुनासिब समझती है वहां कमेटी बुला लेती है और आज की परिस्थिति में जबकि वहां के लोग असंतुष्ट हैं और चाहते हैं कि यह फैसला, जो इस साल लागू हुआ, वह इस साल नहीं लागू होना चाहिये था, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जहां तक उनकी भावनाओं का आदर किया जा सकता है उसका आदर करते हुए और अपनी बचत की योजना को सामने रखते हुए यदि वह कोई कमेटी वहां करने का निर्णय लेती है तो उसकी उस नीति में और उस निर्णय में कोई भिन्नता नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)——क्या इस बात को देखते हुए कि नैनीताल का दिन ठंडा होता है और बुन्देलखंड की रात ठंडी होती है और इस बात को देखते हुए कि पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत गरीब है और बुन्देलखंड भी बहुत गरीब है, क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि एक वर्ष नैनीताल जाया करें और एक वर्ष बुन्देलखंड जाया करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——यदि बुन्देलखंड में भी पहले सरकार जाती रही होती और यदि कोई निर्णय बुन्देलखंड के विरुद्ध इस प्रकार से हम लेते तो हम उस बात पर भी विचार कर लेते जिसकी तरफ माननीय तिवारी जी ने ध्यान आकृष्ट किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–सरकार की बात मैं नहीं करना चाहता–जहां तक कमेटी का सवाल है, जैसा उन्होंने कहा कि यू० पी० में कहीं भी कमेटी कर सकते हैं और पहाड़ों को लोग ज्यादा अच्छा मानने लगे हैं तो रानीखेत और अल्मोड़ा में भी कोई कमेटी लगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––रानीखेत में कमेटी होती रही है और आवश्यकता पड़ेगी तो रानीखेत में भी कमेटीज होंगी ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किस आधार पर कहा जाता है कि केवल सरकार के जाने से ही वहां की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है ?

श्री अध्यक्ष––यह तो आप राय पूछ रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का भी आदेश जारी करने वाले हैं या कुछ प्रयत्न करने वाले हैं कि जाड़ों में और बरसात में आमतौर से भौगोलिक कारणों से लोग पहाड़ नहीं जाते हैं, तो इस बात का भी आदेश वह दे रहे हैं कि बारहों महीने लोग पहाड़ों पर जा सकें और बदरीनाथ और केदारनाथ के किवाड़ भी जाड़ों में खुल सकें ?

श्री अध्यक्ष––यह इससे उठता नहीं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) ––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में उन्होंने बतलाया है कि इन स्थायी समितियों के साथ कुछ सम्मेलन वहां हो सकेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि वह सम्मेलन सरकारी होंगे या गैरसरकारी होंगे, किस प्रकार के होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं एक सम्मेलन का जिक्र कर देना चाहता हूं और वह सम्मेलन–कमिश्नर्स कान्फरेंस–मैं वहां बुलाना चाहता हूं । कमिश्नर्स को वहां मैं बुलाऊंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कमेटियों में शादीशुदा जायेंगे या वह लोग जायेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है और क्या प्रजा सोशलिस्ट वालों को बिना किराये वह वहां बुलाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर देने के लिए नाम नहीं पुकारा गया ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)––अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने यह निश्चय करके कि पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए एक भेद पैदा कर दिया है.....

श्री अध्यक्ष––आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी––मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैदानी इलाके के मेम्बर पहाड़ जाना लग्जूरियस समझते हैं और पहाड़ के लोग समझते हैं कि गर्मियों में पहाड़ पर लोगों को जाना चाहिये । मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस बचत को सामने रखते हुए और जिस गलत भावना को सामने रखते हुये यह निश्चय किया था कि हम नैनीताल नहीं जायंगे वह एक गलत भावना है तो उसी के लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो मेम्बर मैदानी इलाके के हैं वे जब गर्मी में यहां पर पंखा और कूलर इस्तेमाल करते हैं तो क्या सरकार उनको हटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)––मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर विरोधी दल को मंजूर हो तो मेरा यह प्रस्ताव है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को विकेन्द्रित करके ५४ जिलों में बांट दिया जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि विरोधीदल की ओर से ऐसा सुझाव आयेगा कि वे ऐसा चाहते हैं तो इस पर विचार करेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के हिल एक्सोडस न करने की वजह से नैनीताल की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जैसा उत्तर में कहा गया कि करीब दो लाख रुपये की सरकार को बचत होगी और एक लाख रुपया वहां की सरकारी इमारतों से किराये का मिलेगा जो नैनीताल में हैं, तो क्या यह तीन लाख रुपया नैनीताल के टूरिस्ट उद्योग को उन्नत करने के लिये सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह सुझाव है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--आज के वक्तव्य में और पूर्व घोषणा में एक बहुत बड़ा अन्तर होने के कारण क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे भ्रमित करने के लिये ही पूर्व घोषणा थी या आज जो वक्तव्य दिया गया है उसमें कुछ मनोविज्ञान को बदलने की चेष्टा है ? इन दोनों बातों में कौन सी सही बात है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जो जो रिसर्च इन्स्टीट्यूट हैं--जैसे प्लानिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिनमें गर्मियों म रिसर्च नहीं होती, रिसर्च आफिसर गर्मी मे पसीना बहने के कारण नहीं रिसर्च कर पाते तो उन रिसर्च की संस्थाओं को गर्मियों में पहाड़ पर भेजने की कृपा करेंगे ताकि वहां पर रिसर्च का काम ठीक से हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस तरह की संस्थाओं को वहां भेजने का कोई विचार नहीं किया है, लेकिन यदि कोई संस्था इस प्रकार की योजना हमारे पास बनाकर भेजेगी कि वहां जाकर उस स्थान में अधिक अनुसंधान करके कोई खास योजना बनाकर हमको दे सकते हैं तो उस पर विचार करेंगे, क्योंकि सरकार यह नहीं समझती हैं कि पहाड़ पर जाने से कोई इनर्जी पैदा हो जाती है ।

माताटीला तथा शारदा सागर में गबन की जांच स्थगित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने अपने कामरोको प्रस्ताव द्वारा मेरा ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया । शासन के पास सचिवालय में इस सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं थे, परन्तु छानबीन करने पर मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की एक पत्रावली मिली जिसमें इस मामले पर विचार किया गया था । इस पत्रावली को देखने से ज्ञात हुआ कि भूतपूर्व डिप्टी चीफ इंजीनियर ने माताटीला में अधिक व्यय होने की शिकायत की जांच की थी और उसकी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता को दी थी । उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मामले अंकित किये थे जिनमें अधिक व्यय किया जाना प्रतीत होता था । मुख्य अभियन्ता ने इन मामलों की आगे जांच कराने के बजाय पिछले महीने यह आदेश दे दिया कि मामला खत्म समझा जाय । यह उन्होंने इस विचार से किया कि माताटीला में अधिक व्यय होने के संबंध में एक जांच समिति बैठी थी जिसकी रिपोर्ट शासन के पास पहुंच चुकी थी । शासन इस विचार से सहमत नहीं है कि जिन मामलों का जिक्र भूतपूर्व डिप्टी चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में है उनकी जांच की जरूरत नहीं है और शासन ने यह फैसला किया है कि जिन मामलों का जिक्र डिप्टी चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में है उनकी पूरी जांच श्री घनानन्द पांडे, वाइस चांसलर, रुड़की यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे विभाग के निष्पक्ष उच्चाधिकारी द्वारा करायी जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय सिंचाई मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि डिप्टी चीफ इंजीनियर और उनके जो सहयोगी लोग थे जिन्होंने मौके पर जा कर जांच की थी, उन्हीं लोगों के हाथों में क्या सरकार जांच का काम सुपुर्द करेगी ताकि जांच ठीक से की जा सके ?

श्री राममूर्ति--मैंने यह कह दिया है कि यह जांच अपने विभाग के अलावा किसी दूसरे विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा कराने की कोशिश की जायगी और यह भी कह दिया कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह जांच वाइस चांसलर, रुड़की यूनिवर्सिटी द्वारा करायी जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर ने यह रिपोर्ट की है और जो रिटायर हो गये हैं, उनको भी इस जांच समिति में रखा जाय ताकि अपने पुराने अनुभव से वह जांच समिति को फायदा पहुंचा सकें ?

श्री राममूर्ति--मैंने इस बात पर अभी विचार नहीं किया है, लेकिन अगर उनसे कुछ मालूमात करने की जरूरत हुई तो उनसे पूछा जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना खर्च होना चाहिये उससे जब ज्यादा खर्च हो गया है तो क्या कुछ आंकड़े हैं कि कितना एक्सेस हो गया है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं है ;

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जिन लोगों ने पहले इसकी जांच की है और जिन्हें काफी मालूमात हैं उन्हें समिति में रखने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, वह डिप्टी चीफ इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं और मैंने अभी इस मसले पर गौर नहीं किया है कि आया वह जांच समिति में शामिल किये जा सकते हैं या नहीं। लेकिन बाकी और जो अफसर हैं उन से पूछा जायगा और पूरी अच्छी तरह से जांच करने की कोशिश की जायगी और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैंने इस मामले को काफी गंभीर और संगीन समझा है और इसमें जितनी उचित और सख्त कार्यवाही की जा सकती है, वह की जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की ओर गया है जो उस समिति ने स्वयं वहां जाकर और मौके की जांच पड़ताल करके और विभागीय अधिकारियों से जिरह करके दी है और क्या जांच के समय उस पर वह ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--उस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है लेकिन वह देख ली जायगी और जिन बातों की तरफ उसने इशारा किया है उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि जिस कमेटी ने जांच की है उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि जिस फाउन्डेशन में दो लाख खर्च होना चाहिये था वहां १२ लाख हो गया है और दस लाख ज्यादा पेमेंट हो गया है ?

श्री राममूर्ति--अभी उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास हाल ही में आयी है, डिटेल में उसे मैं देख नहीं पाया हूं, इसलिये इस तरह की कोई बात कहने में मुझे दिक्कत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--दयानन्द पांडेय की जो जांच समिति बन रही है, उसके विषयों में क्या सरकार यह भी रखने का सोच रही है कि जो फाउन्डेशन में अधिक खर्च हो गया है उसकी भी जांच कर ली जाय और वगैरा उसके टर्म्स आफ रेफरेंस सदन में पहले रखने की कृपा की जायगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हमारी तो यह कोशिश होगी कि माताटीला के सम्बन्ध में जो भी अपव्यय हुआ है या जो भी गड़बड़ी हुई हो किसी भी अधिकारी द्वारा, उन सब को वह समिति देखे।

श्री अध्यक्ष—अब श्रम मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कमेटी के बारे में नहीं कहा, केवल उस व्यक्ति के बारे में कहा है, मैं उसी सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं उसको देखूंगा। अब मैं कोई और प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू न किये जाने के सम्बन्ध में सहारनपुर सूती मिल मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—अध्यक्ष महोदय, वस्त्रोद्योग वेतन मंडल की सिफारिशें मोटे तौर से दो भागों में विभाजित हैं :—

(१) आपरेटिव्ज और क्लर्कों को वेतन वृद्धि,

(२) जहां संकलित वेतन दिया जाता है वहां उसे मूल वेतन और महंगाई भत्ते में अलग-अलग करना और महंगाई भत्ते का जीवन निर्वाह सूचक अंक से सम्बद्ध करना।

उपरोक्त मद संख्या (१) सम्बन्धी सिफारिशें कानपुर की सूती मिलों में कार्यान्वित की जा चुकी हैं। इन मिलों के श्रमिकों को जीवन निर्वाह सूचक अंक के आधार पर महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है। अतएव जहां तक कानपुर की मिलों का सम्बन्ध है, उपरोक्त मद संख्या (२) के विषय में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

आपरेटिव्ज की वेतन वृद्धि सम्बन्धी सिफारिशें भी सामान्यतः रामपुर, लखनऊ, उझानी, मोदी नगर तथा सहारनपुर की सूती मिलों में कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कानपुर के बाहर की कुछ मिलों में श्रमिक संकलित वेतन पा रहे हैं। वेतन मंडल ने अपनी रिपोर्ट के परिच्छेद १०७ में यह सिफारिश की है कि जहां संकलित वेतन दिया जाता हो वहां उसे मूल वेतन और महंगाई भत्ते में अलग-अलग किया जाय और उपयुक्त विधि से महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचक अंक से सम्बद्ध करके उसमें पर्याप्त वृद्धि की जाय।

कानपुर के बाहर की मिलों में संकलित वेतन के विभाजन की कार्यवाही के दौरान में मोदी-नगर, सहारनपुर, लखनऊ, और रामपुर की मिलों में क्लर्कों को वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में अन्तरिम समझौते हुये थे, दोनों पक्षों ने भी समझौता करके इस प्रश्न को आपस में तय कर लिया था। सहारनपुर मिल के क्लर्कों ने १० रुपये प्रतिमास की अन्तरिम वेतन वृद्धि स्वीकार कर ली थी। इसे स्वीकार करते समय क्लर्कों ने वचन दिया था कि उक्त वेतन वृद्धि पाने के बाद जब तक इस विषय में सरकार का पूर्णरूप से अन्तिम निर्णय न हो जायगा तब तक वे लोग वेतन मंडल की सिफारिशों के संबंध में और कोई मांगें न प्रस्तुत करेंगे। सेवायोजकों द्वारा यह समझौता कार्यान्वित किया जा चुका है।

सहारनपुर मिल तथा कानपुर के बाहर की अन्य मिलों में संकलित वेतन के विभाजन तथा महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचक अंक से संबद्ध करने के लिये उपयुक्त विधि निकालने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। पहले इस मामले को मध्यस्थ द्वारा तय कराने का विचार किया गया था। उझानी के सूती मिल के सेवायोजकों तथा श्रमिकों ने इस मामले को मध्यस्थ

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

निर्णय हेतु भेजने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं । मोदीनगर में भी सेव - योजकों तथा श्रमिकों ने इस मामले को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना स्वीकार कर लिया है । सरकार इस मामले को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किये गये मध्यस्थ द्वारा तय कराने का प्रयत्न कर रही है ।

सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के दौरान में लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स सहारनपुर की "एकता समिति" के संयोजक श्री शिवचरन गुप्त ने ८ अप्रैल, १९६१ को प्रबन्धकों को भूख हड़ताल की एक नोटिस दी जिसमें उन्होंने यह धमकी दी कि यदि क्लर्कों के वेतन क्रम तथा महंगाई भत्ते संबंधी वेतन मंडल की सिफारिशें एक मास के अन्दर कार्यान्वित न की गयीं तो वे भूख हड़ताल कर देंगे । सरकार को इस नोटिस की कोई प्रति नहीं मिली । ११ अप्रैल, १९६१ को अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी सहारनपुर को इस नोटिस की एक प्रति मिली । संराधन अधिकारी ने श्रमिकों को तुरन्त इस बात की राय दी कि वे भूख हड़ताल न करें और सरकार की संराधन विधि (conciliation machinery) से अपनी शिकायतें दूर कराने के लिये वैधानिक कार्यवाही करें । ४ मई, १९६१ को सरकार को क्लाथ मिल कर्मचारी यूनियन सहारनपुर द्वारा वितरित एक छपा पर्चा मिला जिसमें ४ मांगों का उल्लेख था । इनमें से एक मांग का संबंध वेतन मण्डल की सिफारिश कार्यान्वित किये जाने से था । इस पर्चे में यह भी कहा गया था कि यदि ये मांगें स्वीकार न की गईं तो श्री टी० एस० प्रीतम २० मई, १९६१ से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे ।

सहायक श्रमायुक्त (Assistant Labour Commissioner) ने भी श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को इस मामले को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना स्वीकार करने के लिये समझाया था परन्तु उन्होंने इसे न माना । श्री शिवचरन गुप्त ने ८ मई, १९६१ से भूख हड़ताल शुरू कर दी है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---इसके पहले जो भी समझौते के प्रयत्न सहारनपुर के टेक्सटाइल वर्कर्स और मिल मालिकों के बीच हुये जैसा कि स्टेटमेंट में भी बताया गया है, नाकामयाब रहे तो क्या माननीया मंत्राणी जी यह विचार करेंगी कि दोनों पक्षों के प्रमुख मनुष्यों को यहां पर बुलाकर और खुद उनके बीच में पड़कर कोई समझौता करावेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उत्तर प्रदेश के हर कारखाने में जब भी झगड़ा हो और मैं यहां बैठकर तय करूं तो फिर लेबर डिपार्टमेंट को तो बन्द कर देना चाहिये । जो साधारण तरीका है वह यही है कि उसमें जो लेबर आफिसरान हैं वह सब अपने काम को पूरा करेंगे । अगर वह सब चीजें नाकामयाब हो जायं तब उसके बाद मैं उसमें दखल दूंगी ।

श्री मदन पांडेय---जैसा कि माननीया मंत्राणी जी के उत्तर से स्पष्ट है कि जब लोकल मशीनरी फेल हो जाय तब हमें यहां इंटरवीन करना चाहिये और जैसा कि उनके वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि वहां जो सारी कोशिशें हुईं वह बेकार थीं तो इस बात को देखते हुये और मजदूरों की मांग में इतना बल है और जैसा परिच्छेद १०७ में वेज बोर्ड रिपोर्ट का उल्लेख है उसको देखते हुये और साल भर पहले मध्यस्थ निर्णय को मजदूरों ने माना और उसके बाद से मध्यस्थ ने कोई निर्णय अभी तक दिया नहीं है क्या माननीया मंत्राणी जी इस मामले में इंटरवीन करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जिस ढंग से वे इस केस को रख रहे हैं वह उस तरह पर नहीं है । सहारनपुर में क्लर्क लोग समझौता कर चुके थे और उन्होंने अन्तरिम वेज वृद्धि १० पये का ले ली थी । उसके लेने के बाद अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह सारी बातें फेल हुईं । उसके बाद भी हमारे अफसर खुद उनके बीच में जाते हैं और समझौता कराने की कोशिश करते हैं जो कानपुर के बाहर के ४/५ कारखाने हैं जिनमें इस विषय में फैसला करवाना

था उनमें से कई में मिल मालिक और मजदूरों में समझौता करके Arbitration को मान लिया है । सहारनपुर वाले मामले में पार्टली कामयाबी हो गई और पार्टली उनके केस बाकी हैं जिनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है । अगर आबिट्रेशन से तय हो जाय तो अच्छा है अगर न तय हो तो जिस पैराग्राफ का आपने जिक्र किया है उसके अनुसार मशीनरी बना दी जायगी और अगर वह सूटेबिल मशीनरी नाकामयाब रहे तो फिर मेरे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का प्रश्न उठेगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि इस मामले में अर्बिट्रेटर सम्पूर्णानन्द जी बनाये गये थे और माननीय सम्पूर्णानन्द जी सारे मामलों में से तीन में से एक आइटम को ही तय कर पाये । यह मामला इतना गम्भीर है कि कानपुर को और सहारनपुर को सभी एक चर्चा में जोड़ा जाता है । ६१ पया हर मजदूर को विद डी०एफ० ए० मिल जाता है कानपुर में और ६१ पया सिर्फ मिलता है सहारनपुर में । तो इस बात को ध्यान में रखते हुये मंत्राणी जी इस बात की व्यवस्था करेंगी कि यह लेबर डिपार्टमेंट के सम्हालने के मान का मामला नहीं है और अगर उनके सम्हाले सम्हलता तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी आर्बिट्रेटर नहीं होते, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये वे स्वयं इस बात का प्रयास करेंगी और अपना मजबूत हाथ मिल-मालिक पर डालेंगी कि ये सारे मामले तय हो जायं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आर्बिट्रेशन के मार्फत ही यह मामला सुलझाने की कोशिश अब भी की जा रही है । अगर वह फेल हो जायें तो हर बात में तो दखल नहीं देंगे लेकिन जरूरत पड़ेगी तो देंगे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बेजबोर्ड (काटन) की जो सिफारिशें निकलीं, जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में ३ मार्च को छपी हैं उसमें ६ पया इन्क्रीमेंट, सेपरेट ग्रेड्स और क्लेरिकल स्टाफ के लिये इन्क्रीमेंट और सबके लिये डी०एफ०ए० की व्यवस्था, ये सिफारिशें थीं जो कि टक्सटाइल मिल कानपुर में लागू कर दी गयीं ? जबकि एक ही विभाग के अन्तर्गत दोनों मिलों का नियंत्रण है तो सहारनपुर के लिये भी इसको लागू करने की कृपा करेंगी जिससे वहां के वर्कर्स को सहूलियत मिल सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---लागू करने की कोशिश तो हर वक्त है और उसकी पूरी चेष्टा हम करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीया मंत्राणी जी यह बतायेंगी कि गत वर्ष नैनीताल की ट्राइपार्टाइट कान्फरेन्स में जो फैसले हुये थे उनमें से एक तो तत्काल लागू कर दिया गया था और दो के लिये डा० सम्पूर्णानन्द आर्बिट्रेटर नियुक्त किये गये । लेकिन जो लागू किया था उसको लागू करते समय आज से ६ महीने पहले जो बजट नोटीफिकेशन किया था उसमें आश्वासन दिया था कि बाकी के फैसलों को भी जल्दी से जल्दी सहारनपुर में लागू करेंगे लेकिन इतनी देर लगने के कारण ही यह भूख हड़ताल हुई है और मिल मालिकों ने भी पर्चे में छपाया है कि अगर सरकार फैसला कर दे तो हम को लागू करने में गुरेज नहीं होगा तो क्या सरकार तत्काल फैसला करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने जैसा बताया ४-५ मिल जो कानपुर के बाहर हैं, तीन मिलों में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का फैसला हो गया है । दोनों पक्षों की राय लेकर सहारनपुर वाली मिल में भी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि यह काम हो ।

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक दो सवाल की ही इजाजत दूंगा ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्राणी जी को ज्ञात है कि मजदूरों ने वहां पर एक साल पहले जो संपूर्णानन्द जी आर्बिट्रेटर बनाये गये थे उनको पुनः आर्बिट्रेटर मानने से इन्कार कर दिया है, तो क्या मंत्राणी जी स्वंय या दूसरे व्यक्ति को जिसके प्रति मजदूर भी अपनी सहमति रखते हों, आर्बिट्रेटर बनाकर मामले को तय करने का विचार कर रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आर्बिट्रेटर तो वही नियुक्त होंगे जो दोनों पक्षों को मंजूर होंगे । अगर कोई आर्बिट्रेटर लेबर को मंजूर नहीं है तो सवाल नहीं उठता है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या इस बात को देखते हुये कि मिल-मालिकों और मजदूरों को मंत्री जी का हस्तक्षेप पसन्द होगा तो शीघ्रातिशीघ्र इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझायेंगे जिससे भूख हड़ताल से कोई अन्य नयी परिस्थितियां उत्पन्न न हो सकें ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । आप क्यों सजेस्ट करते हैं, मजदूर खुद करेंगे ?

श्री गेंदासिंह---क्या यह उम्मीद की जाय कि माननीय मंत्री जी दोनों पक्षों से किसी एक ऐसे आर्बिट्रेटर को मनवाने की चेष्टा करेंगे जिससे यह मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह सवाल तो मैं सुपरफ्लुअस और रिडेंडेंट समझती हूं---मेरे पिछले जवाब देने के बाद ।

श्री अध्यक्ष---उनका मतलब यह है कि वह करेंगी जरूर ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भूख हड़ताल, जो मिल गेट पर हो रही है, क्या अभी जारी है ? यदि हां, तो उसे समाप्त करने के लिये सरकार ने और मंत्री जी ने विशेष कर क्या कोशिश की है और क्या करना चाहते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने तो अभी बताया कि हमारे आफिसर गये हैं, उनको समझाया है और आर्बिट्रेशन स्वीकार कराने के लिये कोशिश जारी है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) ---एक निवेदन इसी संबंध में करना है कि नैनीताल का, माताटीला का, टेक्सटाइल के मामले तो पहले रख लिये, लेकिन जो प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है और जो ९ तारीख को सबसे पहले रखा जाना था, लेकिन उसको दुर्भाग्यवश आखिर में डाल दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---वह इसलिये ताकि आप आराम से उस पर बहस कर सकें और प्रश्न पूछ सकें ।

नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारूद पकड़े जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर पिछले २--३ महीनों के अन्दर बारूद आदि काफी मात्रा में पकड़ा गया है । सबसे पहला केस जिला सीतापुर का है । २४--२--१९६१ को सीतापुर के एक व्यक्ति हाजी अल्ताफ हुसेन तम्बाकू वाले को १२ पेटियां मेहरोत्रा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से ले जाते समय पकड़ा गया । इनमें २० मन १३ सेर पोटेशियम क्लोरेट पाया गया ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुये ।)

यह पेटियां बम्बई से न्यू काश्मीर ऐण्ड ओरियन्टल ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीतापुर भेजी गयी थीं और इन पेटियों के बारे में यह कहा गया था कि इनमें बरीता पाउडर है जो एक प्रकार का केमिकल है। ९ मार्च, १९६१ को इन्हीं हाजी अल्ताफ हुसेन के कब्जे से १३ पेटियां और बरामद हुईं जिनमें २३ मन १० सेर पोटेशियम क्लोरेट था। यह पेटियां मेसर्स जमाल हुसैन अली हुसैन कामर्शियल चैम्बर, बम्बई से बम्बई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत सीतापुर भेजी गईं। इन पेटियों को सीतापुर की पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पेटियों से नमूने निकाल कर केमिकल एग्जामिनर के पास भेजे गये और उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह पोटेशियम क्लोरेट है। इन केसों की सी० आई० डी० जांच कर रही है।

खुर्जा, जिला बुलन्दशहर तथा सहारनपुर में पिछले दिनों में बारूद आदि की बरामदगी हुई है। स्थिति इस प्रकार है कि एक व्यक्ति अब्दुल हमीद को, जो जिला बुलन्दशहर का निवासी है, देहली की पुलिस ने देहली में ९ अप्रैल, १९६१ को गिरफ्तार किया जबकि वह कुछ बाम्ब ले जा रहा था। इससे पहले देहली में बम्बों की कुछ घटनायें हो चुकी थीं। इसलिये देहली की पुलिस इस बात का पता लगाने में सतर्क थी कि बारूद आदि देहली में कहां से आता है। अब्दुल हमीद की गिरफ्तारी पर पता लगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से यह केमिकल प्राप्त होते हैं। देहली की पुलिस २७-४-१९६१ को बुलन्दशहर आई और स्थानीय पुलिस की सहायता से खुर्जा निवासी जयचन्द की दुकान की तलाशी ली और उसके यहां से ६२५ क्रैकर्स (पटाखे) कब्जे में ले लिये।

देहली की पुलिस को यह भी पता लगा कि सहारनपुर में भी बारूद आदि का स्टोर है। देहली की पुलिस ने २ मई, १९६१ को सहारनपुर जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से बलराजराय मनोहरलाल फर्म की फैक्टरी की तलाशी ली और उनमें से करीब ७००० पाउण्ड बारूद आदि बरामद हुआ। आर्म्स ऐक्ट, एक्सप्लोसिव्ज ऐक्ट और पाइजन्स ऐक्ट के अन्तर्गत केस रजिस्टर किये गये और इनका अनुसंधान हो रहा है। ८-५-१९६१ को स्थानीय पुलिस ने इस फर्म के गोदाम की तलाशी ली और उसमें से ४ बड़े बक्से और ९ बोरों में बारूद आदि पकड़ा।

देहली पुलिस ने नजीबाबाद, बिजनौर, गंगोह (जिला सहारनपुर) में भी तलाशी ली परन्तु वहां केवल १८४ क्रैकर्स, १ पाउंड पटपटियां, साढ़े पांच छटांक पोटेशियम क्लोरेट और १६ पाउंड मन्सल बरामद हुये।

डी० आई० जी०, देहली की रिपोर्ट से, जो आई० जी० पी० यू० पी० को प्राप्त हुई है, विदित होता है कि अभी तक की जांच से इस मामले में कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है। यह बरामदगी आतिशबाजी लाइसेन्सदारों से हुई है और उन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। सीतापुर में पोटेशियम क्लोरेट तम्बाकू के दुकानदार से बरामद हुई। सी० आई० डी० और इन्टेलीजेन्स विभाग जांच कर रही है कि इतनी मात्रा में पोटेशियम क्लोरेट सीतापुर क्यों लाई गई। अभी तक की जांच से इसमें कोई राजनैतिक या साम्प्रदायिक उद्देश्य नहीं मालूम होता है। हाल ही में आई० जी० पी०, उत्तर प्रदेश ने समस्त पुलिस कप्तानों को आदेश दिये हैं कि वह बारूद आदि के मामले में अधिक सतर्क रहें और यह भी आदेश दिये जा रहे हैं कि पुलिस कप्तान आदि बारूद की दुकानों का यथा सम्भव मुआइना करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मंत्री जी ने कुछ विशेष लोगों के नाम बताये एक-नाम जयचन्द बताया तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी ऐसे जय चन्द लोगों का सम्बन्ध पाकिस्तान से है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यदि किसी का नाम जयचन्द हो तो उसको इतिहास का जयचन्द बताना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तक की जांच का नतीजा यही है कि कोई राजनैतिक या साम्प्रदायिक उद्देश्य नहीं था, स्मगलिंग का उद्देश्य ही मालूम पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि स्मगलिंग वगैरह का खास कारण यह है कि पांच सात हजार पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में विसा के बाद ओवर-स्टे कर रहे हैं और यहां पर इतने ज्यादा ट्रांसमीटर्स हैं जिनके द्वारा यहां की खबरें दूसरे दिन ही पाकिस्तान के रेडियो पर निकल जाती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। शायद वह यह समझते हैं कि केवल उनका ही दल राष्ट्रीयता का ठेकेदार है। ऐसा नहीं है। सरकार सतर्क है, सी० आई० डी० जांच कर रही है, दिल्ली की पुलिस से सम्पर्क है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि आगरा में भी गत सप्ताह बहुत ही बड़ी मात्रा में बारूद पकड़ी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---ट्रांसमीटर के द्वारा कोड में खबरें देकर बारूद आती है। मेरे विसा और ट्रांसमीटर के सवाल का उत्तर नहीं आया।

श्री रामस्वरूप यादव---देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिये सरकार सभी आवश्यक कार्यवाही करती रहती है। यह मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि ट्रांसमीटर हैं या ओवर-स्टे करने वाले बारूद लाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---कृपया मंत्री जी बतलावेंगे कि जो आजकल शादियों में पटाखे और चरखियां इस्तेमाल होती हैं वे भी इन पेटियों में मिली हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्मगलिंग की बात मालूम होती है। पोटैशियम क्लोरेट नहीं मिलना चाहिये था, उसके रखने की इजाजत नहीं है। प्रदेशीय और दिल्ली की पुलिस कोशिश कर रही है कि इसके लाने का सोर्स और मंशा क्या है, यह मालूम हो जाय। यह ब्लीचिन्ग में मिलों में काम आती है और बहुत हाईली एक्सप्लोसिव है। ज्यादा सूचना मैं जनहित में नहीं दे सकूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इस बात को देखते हुये कि पिछले साल कानपुर जिले में सरसौल और विधनू में बारूद अधिक जमा रहने के कारण १०,१२ आदमियों की जनहानि हो चुकी है और जब सरकार स्वीकार करती है कि स्मगलिंग हो रही है तो क्या वह ऐसी योजना तैयार कर रही है कि स्मगलिंग रोकी जा सके और जनहानि रोकी जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये २, ३ चीजें ऐसी हैं जो सफेद रंग की हैं। पोटैशियम क्लोरेट का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जाता है। एस० पीज० को हिदायत दे दी गई है कि वह स्वयं भी मुआयना करें क्योंकि दिल्ली की पुलिस का यह कहना है कि वे स्वयं काफी सतर्क हैं और आस-पास के जिलों से ऐसी चीजें आती हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह ज्ञात है कि जो व्यक्ति दिल्ली में पकड़ा गया जिसके पास गोले पकड़े गये थे वह पाकिस्तानी नागरिक है और यहां रहने की उसकी अवधि समाप्त हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं है। इसी देश का रहने वाला है। १०९ का सजायाफ्ता भी है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---जिन लोगों ने इतनी मात्रा में बारूद इकट्ठी की वे जेल में हैं या बाहर हैं ? उन्हें क्या सजा दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव––खुर्जा में जयचन्द के यहां से क्रैकर्स निकले थे। पुलिस ने कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। सहारनपुर में जहां पोटैसियम क्लोरेट और फासफोरस निकला, वे भागे हुये हैं। वह एक हिन्दू सज्जन हैं, फर्म बलराजराय मनोहरलाल। तीसरे सीतापुर के थे, उन्हें दोनों बार गिरफ्तार किया गया। दोबारा गिरफ्तार करने से मालूम होता है कि पिछली बार उनकी जमानत हो गई थी। दोबारा वह जमानत पर हैं या नहीं, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)––सीतापुर में यह माल बाहर की किस एजेंसी के द्वारा आया था, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव––मैंने मूल उत्तर में ही एजेंसी का नाम पढ़ दिया। जिस नाम से वह भेजा गया वह फर्जी है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)––क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरैठा पाउडर क्या है, जैसा उन्होंने कहा ?

श्री रामस्वरूप यादव––वह बेरियम क्लोराइड कहलाता है। इसके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––खुर्जे में बारूद को पकड़ना क्यों उचित समझा और उस व्यक्ति को पकड़ना उचित क्यों नहीं समझा ?

श्री रामस्वरूप यादव––२५ क्रैकर्स को टैस्ट करने के लिये ले गये हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खुर्जा और सहारनपुर में जिन लोगों के पास यह विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुये वे लाइसेंसी हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव––सीतापुर वाले लाइसेंसी नहीं थे। सहारनपुर वाले थे। पोटैसियम क्लोरेट का लाइसेंस नहीं था।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)––यह देखते हुये कि देश में पंचमांगी सक्रिय हैं क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वह विस्फोटक पदार्थों का लाइसेंस न देकर अपने माध्यम द्वारा उन्हें बिकवाये ?

श्री रामस्वरूप यादव––ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर खुर्जा और दिल्ली में जिस बड़े पैमाने पर बारूद मिल रही है उसे देखते हुये क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि कोई पाकिस्तानी या किसी विदेशी या हमारे कम्युनिस्ट भाइयों का षडयंत्र तो नहीं है कि वे देश में अराजकता फैलाने का विचार कर रहे हों, क्या सरकार इसका पता लगाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव––जब किसी ऐसे विषय की जांच होती है, यानी जब हाई एक्सप्लोसिव्स वगैरा पाये जाते हैं, तो यह भी जांच की जाती है कि इसमें कोई सांप्रदायिकता तो नहीं है या कोई दूसरा देश तो इसमें गड़बड़ी नहीं कर रहा है जो कि हमारे देश में अव्यवस्था लाना चाहता है या केवल स्मगलिंग का मामला है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)––क्या सरकार को यह पता है कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता बार्डर का दौरा कर रहे हैं, तो क्या वे इन चीजों को हिन्दुस्तान में भिजवा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के व्यक्ति मिले हैं इसलिये इस विषय में कोई साम्प्रदायिकता की बात नहीं है, तो क्या सरकार अन्तिम रूप से इस निर्णय पर पहुंच गयी है कि इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है अथवा सरकार के दिमाग में कोई संदेह अभी बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि आज तक जो शहादत मिली है, जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है उससे तो कोई साम्प्रदायिक उद्देश्य मालूम नहीं पड़ता है । लेकिन अभी पूरी जानकारी प्राप्त होना है, इसलिये अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह अब्दुल हमीद जो ९ अप्रैल को पकड़ा गया और उससे संबंधित ही एक दूसरे पाकिस्तानी नागरिक के पास से ९ बम निकले, यह चीज समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उसमें ये व्यक्ति पकड़े गये हैं, यह बात ठीक है । लेकिन वे पाकिस्तानी थे, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी इन पकड़े हुए व्यक्तियों के पोलीटिकल एफीलीएशन का पता लगायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---यह तो उन्होंने बता दिया । अनावश्यक है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी इसका कारण बतायेंगे कि जो भी पोटेशियम क्लोराइड की घटनायें पकड़ी गयी हैं वे सब दिल्ली की पुलिस ने ही पकड़ी हैं तो क्या इस प्रदेश की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि यह काम दिल्ली की पुलिस से ही कराया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोराइड नहीं है । सीतापुर में तो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही पकड़ा है । दोनों जगह की सी० आई० डी० मिल कर काम कर रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब तक कुल कितनी तादाद में ये एक्सप्लोसिव पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने यह बता दिया था । सीतापुर में १२ पेटियों में २० मन १३ सेर पोटेशियम क्लोरेट था और १३ पेटियों में २३ मन १० सेर था ।

इसके अलावा थ्रोनडाउन क्रेकर्स ५१ बोरी पकड़े गये जिसमें से प्रत्येक में ६१ मन तथा १६५ पौंड टूटे हुए बक्सों में था और २८० पौंड अच्छे बक्सों में । इसके अतिरिक्त २४६ पौंड चेम्पियन क्रेकर्स, ११ क्रेस्ट चेम्पियन क्रेकर्स, ब्रूटपुटिया २४ पेटी जिसमें से प्रत्येक में ५० पौंड, सफेद और पीला फासफोरस ४४ गैलन, पोटेशियम क्रेकर्स १६५ पौंड तथा क्रेकर्स और स्पार्किल्स ४० पौंड पाये गये ।

श्री अधिष्ठाता---अब मैं समझता हूं कि प्रश्न समाप्त किया जाय ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि खूब इत्मीनान से पूछने के लिये ही इसको बाद में रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता---उसके लिये २० मिनट का समय दिया गया और उदारता के साथ प्रश्न पूछने का मौका दिया गया ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, एक सवाल पूछने दिया जाय ।

क्या सीतापुर की पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन-कौन से लाइसेंस होल्डर्स ने इसका उपयोग किया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सी० आई० डी० के पास जांच है, अब पता चल रहा है कि कौन से लाइसेंसी उपयोग करते थे, लेकिन जिनके यहां वह पकड़ा गया वह लाइसेंसी नहीं थे ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---जब वह लाइसेंसी नहीं थे तो वह माल नहीं बेच सकते थे, परन्तु जो उपयोग करते थे उनका पता चला ?

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कहा है कि जांच हो रही है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, अभी तक उन्होंने कोई जांच ही नहीं की । यहां वाले क्या कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिल्ली की पुलिस पर यू० पी० को पूरा भरोसा है, यू० पी० की सी० आई० डी० भी कर रही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने निर्णय किया है कि हम सन् ६२ में राज्य पर कब्जा करेंगे ? तो क्या यह सब कुछ जो हो रहा है उसमें उनका हाथ तो नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता---इसके जवाब की जरूरत नहीं है ।

अब इस प्रश्न को समाप्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०
खंड ६ में प्रस्तावित संशोधन (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता---अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी होगा ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं कल खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरंकित भाग (५) में किये गये नये संशोधन को हटाने के विषय में कह रहा था । जो अंश बढ़ाया जा रहा है और जिसको मैंने हटाने का प्रस्ताव किया है वह शब्द यों हैं कि "एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ग्राम क्षेत्र न हो पर जिसका निवास-स्थान, जिला जिसमें खंड स्थित है, में हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो ।"

यह अंश जो बढ़ाया जा रहा है इसकी केवल मन्शा यह है कि कुछ ऐसे विधान सभा के सदस्य भी अब उन क्षेत्र समितियों में जा सकेंगे जो कि ऐसे देहाती क्षेत्र से आये हुये नहीं है । मैंने कल सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि गांव पंचायतें जो बनेंगी उन में राजनीति को बू न आने पाये या पार्टीबाजी न हो । इसी प्रकार के विचार हमारे देश के अग्रगण्य लोगों ने भी दिये हैं । अभी ४ रोज पहले जयपुर में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् हुई थी जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण तथा देश के अन्य प्रमुख नेताओं ने तथा कम्युनिटी

---

† ११ मई, १९६१ की कार्यवाही से ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अग्रस्थी]

डिपार्टमेंट के श्री एस० के० डे ने भी भाग लेया था और अपने विचार व्यक्त किये थे। उन सबसे यह जाहिर होता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों की चुनी हुई समितियों में चाहे वह क्षेत्र समितियां हों या पंचायत उनमें राजनीति का अखाड़ा न बनना चाहिये और राजनीतिक दल राजनीतिक दलों की हैसियत से भाग न लें। मैंने पहले भी बताया था कि यह विचार सदन के सदस्यों के प्रारम्भ से ही रहे हैं। इसी प्रकार के विचार देश के बड़े-बड़े नेता भी दे रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार का यह कदम उठाया जाना कि क्षेत्र समितियों में विधायकों को बैठाने का प्रबंध करना बिलकुल अनुचित होगा। साथ ही जो सरकार ने यह नया संशोधन किया है कि उन क्षेत्रों के विधायक लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आते हैं वह भी उसमें बैठ सकते हैं, यह तो उन्होंने कोढ़ में खाज पैदा कर दिया है। सरकार के पास बहुमत उन लोगों का है जो कांग्रेस विचारधारा के हैं और उनमें भी बहुमत शहरी क्षेत्र वालों का है। इसी विचार से सरकार ने सोचा है कि क्षेत्र समितियों में शहरी क्षेत्र वालों को जाने दिया जाय जिससे जहां कहीं कांग्रेस वालों का अल्पमत हो वहां उनको शक्ति मिले और उसके बल पर क्षेत्र समितियों में मनमाना काम किया जाय। मेरा यह आक्षेप निर्मूल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझ सका कि क्षेत्र समितियों में सरकार ने इन्हें बढ़ाने का क्यों इतना प्रयास किया है।

आज सरकार को कम से कम क्षेत्र समितियों को अपने इस कार्य के लिये मुक्त रखना चाहिये जो कि उन्हें इष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य उन लोगों के द्वारा होना चाहिये जो वहां पैदा हुए हों, वहां निवास करते हों और वहां की समस्याओं से परिचित हों। उनके कार्यों के संबंध में एक मखौल-सा बना लिया जाय, बाहर के लोग वहां बैठकर सलाह मशविरा में दखल दें तो यह होगा कि जो ग्रामीण लोगों की विशेष समस्याएं हैं उनको कोई प्रमुखता नहीं दी जाएगी और एक उपहासास्पद ढंग से उन पर विचार होगा। तो मैं अपील करूंगा कि इस संबंध में जो देश और प्रदेश की विचारधारा है, हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट और विकास के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके विचारों को लें। उनको देखते हुए यह उचित होगा कि सरकार उस उपधारा को वहां से हटा ले।

श्रीमन्, मालूम होता है कि सरकार को कुछ घबराहट सी है; उसी वजह से सरकार इस तरह की बात कर रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले। उससे कोई हानि नहीं होगी। उससे कुछ बाहर के लोगों को आने से रोका जा सकेगा और अगर यह किया जायगा तो वह बड़ा सराहनीय कदम होगा। मैं आशा करता हूं कि जिस भावना से मैंने इसे रखा है, मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री रामलखन मिश्र—यह तो ध्वनि प्रसारक यंत्र का दोष है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि जो इसका स्वरूप पहले था उसमें ऐसे संशोधन आ गये हैं जो बहुत ही उद्देश्यपूरक हैं। उन संशोधनों का यदि किसी मोटिव से अर्थ लगाया जाय तो फिर कोई कार्य किसी तरीके से किया ही नहीं जा सकता है और मुझे स्मरण आता है कि जैसा चश्मा होता है वैसा ही दृश्य बाहर दिखायी पड़ता है। अभी हमारे विरोधी पक्ष के एक सज्जन बोल रहे थे कि जो सुधार हुआ है, नागरिक क्षेत्रों में विकास का जो अवसर दिया गया है वह तो कांग्रेस के अल्पमत को पूरा करने के दृष्टिकोण से या राजनीतिक भावना से हुआ है। यदि कोई त्रुटि रह गयी हो और उसकी पूर्ति कर दी जाय उस पर इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है और यह एक विचारदोष ही कहा जा सकता है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इतिहास के पट के ऊपर समाज जहां पहुंच चुका है उसके आगे के अधिकार हमारे मंत्री जी ने इसमें दिये हैं और जो लोग यहां रहेंगे वे देखेंगे

कि गांव के एक-एक टुकड़े में उसके झंडे दिखायी पड़ेंगे। मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि जैसी परिस्थिति है और जैसी हमारी राजनीतिक लिप्सा आगे बढ़ रही है उसके दृष्टिकोण से इन सुधारों को कार्यरूप में लाने में मुझे तो बहुत कठिनायी दिखायी पड़ती है। क्षेत्र समिति में जो और कठिनाइयां थीं उनको मंत्री जी ने सुधारा है और वह बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे बजट अपने अंश से पूरा कर सकेंगी। उसमें ऊपर के अधिकारी केवल सुझाव के रूप में अपने विचार दे सकेंगे लेकिन क्षेत्रीय समितियां या जिलों की परिषदें विचार कर के बजट को स्वीकार कर सकेंगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात अवश्य रह गयी है कि हमारी ग्राम सभाओं को कुछ रुपया विशेष अनुदान के रूप में मिलना चाहिये क्योंकि जो उनके पास है उससे तो कोई कार्य वे कर ही नहीं सकतीं। मैं नहीं जानता कि वह किसमें से दिया जा सकता है लेकिन यह बहुत आवश्यक है वरना ये छूछे कारतूस की तरह रह जायंगी।

एक और बड़ा क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया है और मैं मंत्री जी को उसके लिये पुनः बधाई देता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष चरित्रनामे में जो लिख सकेंगे वह इस परिवर्तन के अनुसार अविकल रूप में उसमें अंकित हो जायगा। अबकी बार यह बहुत ही साफ रूप में रखा गया है कि परिषद् के अध्यक्ष यदि चरित्रनामे में कुछ अंकित करना चाहते हैं तो वह अविकल रूप से अंकित हो जायगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इसे पंचायत राज न कह कर इंसपेक्टर राज या सरकारी कर्मचारी राज इसका नाम लिया जाता तो कोई भेद की बात नहीं होती। आज अपनी अयोग्यता के कारण या अपने आर्थिक ह्रास के कारण गांव के लोग उठ नहीं पाते हैं। इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। यह तभी सम्भव है जब कोई शिक्षण पद्धति हम लायें। हम नियम बना देंगे और वह लागू भी हो जायेंगे और विधान सभाओं या पार्लियामेंट में बहस करने के लिये या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण में भले ही बड़ा महत्वपूर्ण दिखलायी पड़े लेकिन इसको व्यावहारिक जगत में लाने के लिये हमें ग्रामीणों को शिक्षा देनी चाहिये कि उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हुये हैं।

लेकिन वह क्षेत्र समिति के स्तर पर या जिला के स्तर पर नहीं दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्च करके उनको शिक्षित करना चाहिये जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें। आज उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं उनको भी वह नहीं जानते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। सेक्रेटरी अपनी मर्जी से उनसे हस्ताक्षर करा लेता है। वह अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं और अर्थपीड़ित रहते हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी दयनीय होती है कि उनके हृदय में कभी उल्लास नहीं आता है और न आ ही सकता है क्योंकि इस अर्थ संचालित संसार में यह मापदंड है कि जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तब तक उनकी मानसिक अवस्था ऊपर नहीं उठ सकती है। जो लोग गांव में रहते हैं वह बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिये इसको स्वीकार करने के बाद जो सुधार किये जायं उनका विशेष रूप से गांवों में प्रचार होना चाहिये।

श्रीमन्, हम देखते हैं कि आज पंचायतों में, चाहे पंचायती अदालतों के रूप में देखा जाय जिसको हम सरपंच कहते हैं या गांव सभा के सभापति के रूप में देखा जाय, तो जो अधिकार इनको दिये गये हैं या इनको प्राप्त हैं, उसी के अनुसार उनकी मानसिक अवस्था को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है जिससे उनके ग्रहण करने की शक्ति में विकास हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस विधेयक में संशोधन काफी मात्रा में हैं और इसके लिये केवल समय दो दिन का ही बाकी रह गया है। माननीय सदस्य जनरल डिसकशन के रूप में बहुत-सी बातों को उठा रहे हैं। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उनको भी उठा रहे हैं। मैं उनके भाषण को रोकना नहीं चाहता हूं लेकिन जो संशोधन है उसी के ऊपर यदि माननीय सदस्य कहें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा संशोधनों के लिये जाने के पक्ष में हूं। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, उचित है। हमारा ऐसा खयाल है कि शायद वह अपना भाषण समाप्त करने ही जा रहे थे।

श्री रामलखन मिश्र—मान्यवर, मैं अपने विषय को और विस्तार न देकर थोड़े समय में ही समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय अवस्थी जी ने यह बात कही और अगर वह इसको अपने ऊपर लागू करें तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। मान्यवर, मैं पुनरुक्ति नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारे विधेयक में एक मूल दोष होता है; वह यह कि जो हमारे विधेयक में है उसको कैसे कार्य रूप में परिणत किया जायगा इसका ध्यान सामाजिक अवस्था के अनुसार नहीं रखा जाता है। इसलिये जैसी हमारी सामाजिक अवस्था है उसके अनुसार कोई बात ग्रामीणों के हृदयंगम हो सके इसकी व्यवस्था होना आवश्यक है। यह केवल आदर्शवाद होकर न रह जाय इस ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। क्षेत्र समिति को अधिकार देना चाहते हैं उसके संबंध में यह दृष्टिकोण अपनाया जाय कि क्षेत्र समिति को अधिकार पर्याप्त रूप में रहें और उनके कार्य में कोई रुकावट न आये। मैंने सूक्ष्म रूप में इस ओर संकेत कर दिया है। मैं अब अपने विषय को और विस्तार नहीं दूंगा। अन्त में मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि नियम जो बनें वह ऐसे होने चाहिये कि वे साकार हो सकें और सहूलियत के साथ हृदयंगम हो सकें और ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हों।

***श्री रूर्मासिह** (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो संशोधन रखे गये हैं, मैं समझ रहा था कि हमारा वर्तमान मंत्रिमंडल ऐसे संशोधन लायेगा जिससे ग्रामीण जनता को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस हो सके। विधायकों के लिये, एम० पीज० और विधान परिषद् के सदस्यों के लिये पहले ही विधेयक में व्यवस्था थी कि जिस क्षेत्र में वह रहते हैं वहां की क्षेत्र समिति के सदस्य वह हो सकते थे, लेकिन यह संशोधन लाकर उन ग्रामीणों पर जो ग्राम सभा के सदस्य हैं या क्षेत्र समिति के सदस्य हैं उनके ऊपर एक और भार डाला गया है। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री महोदय उनको अपने अधिकार में लेने के लिये इन सदस्यों को इस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं और यह संशोधन उसके लिये लाये हैं। यह संशोधन इस प्रकार का है कि जिले के अन्दर कोई भी सदस्य, चाहे वह एम० पी० हो या बिधान परिषद् का सदस्य हो या विधान सभा का सदस्य हो, वह जिस क्षेत्र समिति को चुन ले उसका सदस्य हो सकता है। शहर के अन्दर जो इस किस्म के एम० पी० वगैरह हैं उनके लिये यह मौका मंत्री जी ने दिया है जिसमें वह यह चाहते हैं कि जहां उनका अल्पमत हो या जहां वह अपना असर डाल सकें, क्षेत्र समिति को अपने कब्जे में कर लें और अपने असर से कांग्रेस पार्टी को प्रोत्साहन दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह इस बात की प्रार्थना करूंगा कि कम से कम ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये वह उत्साहित करें और इस किस्म का संशोधन जो उन्होंने पेश किया है उसको वह वापस ले लें तो बड़ा बेहतर होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री कुंवरकृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस वक्त माननीय सदन के सामने पेश है उस पर दो आक्षेप किये गये हैं। एक तो यह कि जो विधायक नगर से चुने गये हैं और उनके क्षेत्र में कोई ग्राम नहीं पड़ता है उनको यह मौका दिया गया है कि वह किसी ब्लाक को, किसी क्षेत्र समिति को चुन लें जिसमें कि वह सदस्य होना चाहते हैं। इस पर आक्षेप यह किया गया है कि सरकार की नीयत खराब है और वह चाहती है कि क्षेत्र समिति पर कब्जा करे, जहां उसका अल्पमत हो वहाँ वह अपना बहुमत बनाती चाहती है, इस नीयत से यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि जो विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात को उठाये हैं वह थोड़ा-सा इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स से सफर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं। उन्होंने यह कैसे मान लिया कि नगर से जो लोग चुने जायेंगे वह कांग्रेसी ही होंगे, उनके सदस्य नहीं होंगे? मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहां से यह चीज आ गई है कि वह कांग्रेसी ही सदस्य हों तभी उस क्षेत्र समिति को चुन सकते हैं और विरोधी दल के कोई सदस्य हों तो वह नहीं चुन सकते हैं। यह चीज जो उठायी जा रही है वह बिल्कुल निराधार है। इसके कोई मानी नहीं होते हैं सिवाय इसके कि जैसा मैंने कहा कि इंफीरियारिटी काम्प्लेक्स अलबत्ता है कि वरोधी दल का कोई नहीं चुना जायगा, कांग्रेसी ही चुना जायगा।

दूसरी चीज यह कि नगर में वह रहते हैं ग्राम में नहीं रहते, इसलिये उनको वहां पर सदस्य नहीं होना चाहिये। इसमें कुछ थोड़ा बहुत तत्व हो सकता था लेकिन जब इस माननीय सदन ने इस बात को मान लिया कि विधायकों का क्षेत्र समितियों में होना आवश्यक है तो उसके मानी यही थे कि विधायक लोग जो हैं उनको तजुर्बा ज्यादा होता है, वह सभी परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ होते हैं और विधान सभा या विधान परिषद्, राज्य सभा या लोक सभा की बातों से ज्यादा अवगत होते हैं और ऊपर की भी बातें जानते हैं, अपने जिले की भी बातें जानते हैं; तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कि यह विशेष योग्यता हो वह क्षेत्र समिति का सदस्य हो जाता है, तो क्या वह इस क्षेत्र समिति में ज्यादा लाभकर नहीं होगा? क्या वह उसकी समस्याओं को हल करने में सहयोगी नहीं बनेगा। और दूसरी चीज यह कि जितना उसका तजुर्बा है, जितनी उसकी योग्यता है, जितनी ऊपर की प्रदेश की बातें हैं और सारे देश की बातें हैं उससे वह अवगत है तो उसकी रोशनी में वहां पर वह सलाह देगा। दूसरी चीज यह कि वहां पर क्षेत्र समिति में जो क्षेत्र की पार्टीबाजी होगी उससे वह परे होगा। इस लिहाज से भी वह सलाह देगा। जो भी वह सलाह देगा वह निष्पक्ष सलाह देगा और अच्छी सलाह देगा। वह सलाह उचित होगी। उससे क्षेत्र समिति को लाभ होगा न कि हानि होगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो यह संशोधन इसमें आया है.....

श्री रूर्मासह—अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री प्रतापसिंह—मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज २५ कमेटियों का चुनाव हो रहा है और साथ ही इस विधेयक को भी पास करना चाहते हैं; तो यह दोनों चीजें साथ-साथ कैसे चलेंगी?

श्री अधिष्ठाता—पहले कोरम हो जाय तब आप कहिये।

श्री प्रतापसिंह—ऐसे तो अगर हम एक घंटे तक इंतजार करें तो कोरम हो ही जायगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं मुनासिब समझता हूं कि अब कुछ देर के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय। माननीय स्वशासन मंत्री इस बात की व्यवस्था कर लें कि आधे घंटे के बाद जब फिर यह सदन बैठे तो उस समय कोरम अवश्य पूरा रहे।

अब हम उठते हैं और आधा घंटे के बाद फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ६ मिनट पर स्थगित हुआ और २ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जंगबहादुर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधान परिषद् से पास हो कर आया है और जिसे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति और उसका विकास नहीं हो सकता। श्रीमन्, पहले विकास क्षेत्र में उसी क्षेत्र से संबंधित सदस्य उसके सदस्य होते थे और राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद्, लोक

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

सभा के सदस्य जो हैं वे जिले के स्तर पर किसी क्षेत्र को चु सकते थे और सरकार से स्वीकृति लेकर उस क्षेत्र के सदस्य बन सकते थे। अब उन्होंने यह संशोधन रखा है वह ठीक नहीं है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य लोकसभा या राज्यसभा या विधान सभा के हैं यदि उनके क्षेत्र के सदस्य उस ब्लाक में नहीं हैं तो सरकार उन्हें अपनी स्वीकृति दे कर उनके सदस्य बना देगी। इस तरह से यह सरकार उन क्षेत्र समितियों पर हावी हो जायेगी और इसके कारण ग्रामों का उत्थान नहीं हो पायेगा। इससे यह होगा कि जो उसके सदस्य होंगे वह गांव के निवासी होंगे और कम पढ़े-लिखे होंगे और गरीब लोग रहेंगे। वे सत्तारूढ़ दल के या राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा, या विधान परिषद् के सदस्य जिनके हाथ में राज्य शक्ति होगी, उनके मातहत रहेंगे। वे उनसे डरते रहेंगे और इस तरह से कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पायेगा। सरकार तो पूरी शक्ति अपने हाथों में रखना चाहती है और एक नौटंकी में जिस तरह से राजा रानी होते हैं वैसे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों को बना दिया है। उनको कोई शक्ति भी नहीं रही है। उनकी कोई हिम्मत भी नहीं होगी।

एक सदस्य---माइक पर बोलिये, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---जो लोग लोक सभा, राज्य सभा अथवा के सदस्य होंगे उन्हीं का विकास खंड के अधिकारी स्वागत करेंगे और उन्हीं से वे डरेंगे, उन्हीं की बातों को वे मानेंगे। सरकार इस संशोधन को इसीलिये लाई है कि हम पूरी तरह से उन पर हावी हो जायं और अपनी ताकत को कायम रखें। आज, श्रीमन्, देखा यह जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, जिसे अब अन्तरिम जिला परिषद् कहा जाता है, जिन लोगों का बहुमत होता है, जो सत्तारूढ़ दल के लोग होते हैं, उन्हीं लोगों के क्षेत्र में तरह-तरह के विकास के कार्य होते हैं, जितने नलकूप लगते हैं हैन्डपंप या सड़कें आदि बनाई जाती हैं, वे सभी उन्हीं लोगों के क्षेत्र में बनती हैं और अपनी ही सुविधा के लिये अपने ही स्थानों पर सब लोगों को रख लिया गया है और दूसरे जगहों पर जहां यह सुविधा दी भी गयी है जहां सत्तारूढ़ दल के लोग मिलक : नलकूप संबंधी सब रुपया खा गये। मैं हैदरगढ़ विकास क्षेत्र और द्विवेदीगंज विकास क्षेत्र की बात बता रहा हूं जहां हैन्डपंप लगे हुये हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय एक संशोधन उपस्थित है और संशोधन केवल यह है कि विधान सभा और परिषद् के जो सदस्य उस क्षेत्र के हों वह न रहें। माननीय सदस्य मेरा खयाल है कि विषय से बाहर हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है चाहे वह कोई भी बात करें लेकिन इस बात को देखते हुये कि इस विधेयक के लिये कितना समय निर्धारित है बेहतर यही होगा कि वह यदि विषय के अन्दर ही रहें।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मैं तो, अधिष्ठाता महोदय, उन्हीं की बात कह रहा हूं जो कि पदेन सदस्य हैं और जो कुछ उनके द्वारा हो रहा है और मैं इसलिये मिसाल दे रहा हूं ताकि भविष्य के लिये सतर्क रहें। अभी तक तो यह होता था कि जो उस क्षेत्र के जो सदस्य हैं लोक सभा के, विधान परिषद् के या विधान सभा के वही रहते थे अब जिला स्तर के रहेंगे इसका मतलब यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं आये हैं वहां पर बाहर के सत्तारूढ़ दल के लोग आयें और कब्जा करें। इससे जनतंत्र की हत्या होगी और वहां जो गांव का रहने वाला सदस्य है उनके सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी और इन कांग्रेस दल के सदस्यों से अधिकारी लोग भी डरते हैं, उनका स्वागत करते हैं और इन लोगों को इनके मकानों और खेतों तक अपनी मोटरों पर छोड़ने जाते हैं। इस तरह का आतंक इन सदस्यों का बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो विधान सभा, विधान परिषद् के और लोक सभा के सदस्य हैं इनको इसमें रखा ही न जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सदन ने जब मूल अधिनियम पास किया तो इसको स्वीकार कर लिया था और इसलिये जो संशोधन इस समय सामने है उसी पर बोलें। जो सिद्धांत सदन ने पहले से स्वीकार कर लिया है उसके बारे में आप अब न बोलें।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मैं उसी संशोधन के बारे में अपनी बात कह रहा हूं और मोतीलाल अवस्थी जी ने जो संशोधन दिया है उसका समर्थन करता हूं। अगर इस संशोधन को जो विधान परिषद् ने दिया है माना जायगा तो गांव सभा की इकाई क्षीण हो जायगी क्योंकि इन समितियों में सरकारी दल के लोग रहेंगे और सरकारी अधिकारी भी इनके चंगुल में रहेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जो माननीय अवस्थी जी ने संशोधन रखा है मैं उसी के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जैसा कि विधान परिषद् ने संशोधन किया है वह इस प्रकार है। मैं सफाई के लिये पढ़ देना चाहता हूं:--- "क्षेत्रीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे" आदि के बाद पुराना और नया ६ में यह कर दिया है "लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में खंड का कोई भाग सम्मिलित हो एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ग्राम्य क्षेत्र न हो, पर जिसके निवास स्थान जिला, जिसमें खंड स्थित हो, में हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो" तो भी वह क्षेत्र समिति का सदस्य होगा। इस तरह से राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के लिये है।

जहां तक मुझे खयाल है, जो जिला परिषद् की पहली प्रवर समिति बनी थी, आप भी उसके सदस्य थे, उस समय यह प्रश्न विचाराधीन था कि संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य कतई उनके सदस्य न माने जायं और यह करीब-करीब मान भी लिया गया था। फिर दूसरा संशोधन जब आया उसमें यह था कि वह क्षेत्र समितियों के सदस्य तो हो सकते हैं लेकिन उन्हीं के होंगे जो उनके क्षेत्र में पड़ती हैं। ४ ब्लाक हमारे हेड क्वार्टर में हैं और हर एक में कुछ गांव पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य के यहां दो-तीन क्षेत्र पड़ते होंगे। मैं नहीं जानता कि कितने ऐसे हैं जो रेगुलर तरीके से चारों कमेटियों में भाग लेते हों। अब दूसरे जिलों में भी वह चुने गये हैं, जहां उनका निवास स्थान हो उसको चुन लें और सरकार नोटिफाई करे कि हमने मान लिया है तो वहां की क्षेत्र समिति के सदस्य वह माने जायेंगे। तो यह भ्रामक है कि वह कितने सदस्यों के प्रतिनिधि होंगे और कहां-कहां होंगे।

जब कोई कानून बनता है तो उसमें डेफिनिटनेस होती है। जहां के सदस्य वह बनाये जा सकते हैं वहां की पूरी-पूरी जानकारी उनको होनी चाहिये, इसलिये जिस क्षेत्र में वह काम करते हैं और जिस क्षेत्र की उनकी जिम्मेदारी है उस खंड की क्षेत्र समिति के सदस्य हों तो हमें एतराज नहीं है, लेकिन जहां घर हो, छावनी हो, लगाव हो वहां के भी हो सकते हैं और सरकार को भी कभी-कभी जरूरत पड़ेगी। बिजनौर के सदस्य हैं और सहारनपुर में खेती-बाड़ी करते हैं तो वहां के भी सदस्य होंगे। अब यह निवास का प्रश्न कैसे हल होगा? जन्म-तिथि से होगा या इससे होगा कि कब से निवास है, क्या होगा? यह बड़ा अन्याय है। हर जगह के प्रतिनिधि पदेन नहीं होने चाहियें। जनतंत्र में सीधे-सीधे काम होता है, हां, जन संख्या अगर ज्यादा है तो प्रतिनिधि चुन लेते हैं। मैं देखता हूं कि कलेक्टर हर कमेटी में पदेन होता है। मुर्गी पालन में, टिड्डी और चुकन्दर योजना कमेटी में और न जाने कितनी कमेटियों में। मैंने कलेक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है उसी को देख कर कमेटियों में जाता हूं।

श्रीमन्, पदेन सदस्यों से समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर एम० एल० एज० से पूछ लिया जाय कि वह कितनी समितियों में पदेन सदस्य हैं तो वे तुरन्त नहीं बता सकेंगे, जिस तरह से कि किसी आदमी के ज्यादा बच्चे हों और उससे पूछ लिया जाय तो वह उंगली पर गिन कर बतलाता है.....

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आप बहुत विस्तार से कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—मैं अब बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि इस पदेन वाले तरीके से जनतंत्र की सेवा नहीं हो सकती और इससे बड़ी भ्रमात्मक बातें फैलती हैं। अब मैं एक लाइन बलवन्तराय मेहता कमेटी की टडी टीम जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में थी, उसकी सिफारिश के संबंध में जो राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कहा है वह पढ़ना चाहता हूं —

".....democratic bodies should take over the entire general administration and development of the district of the sub-division perhaps other than such functions as law and order, administration of justice and certain functions pertaining to the revenue administration. The National Development Council, at its eighth meeting, decided that a special investigation into such a reorganization of the district administration should be carried out by our team."

इसमें कहते हैं कि जो जनतंत्रीय संस्थायें हैं उनकी जगह पर शासन चलाने के लिये जो संस्थायें बनें उनसे पहली बार अगर गलती हो गई हो तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिये। मेरा कहना यह है कि नीचे की संस्थाओं में अगर सही माने में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वह कभी भी सफलता-पूर्वक सेवा नहीं कर सकेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोतीलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि विधान परिषद् से जो संशोधन आया है उसको हटा दे।

*श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे आशा नहीं थी कि इस संशोधन पर इतना वाद विवाद होगा। जो अधिकांश विचार उपस्थित किये गये हैं वह विधायकों और संसद सदस्यों के ब्लाकों में हिस्सा लेने के संबंध में किये गये हैं। उस संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह सिद्धांत सदन स्वीकार कर चुका है। इस बात को पहले स्वीकार कर लिया गया है कि एम०एल०एज० अपने क्षेत्र के तमाम ब्लाकों में रहेंगे। उनको उनमें रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। प्रश्न या संशोधन केवल यह है कि जो विधायक या विधान परिषद् के सदस्य किसी ब्लाक कमेटी के सदस्य न बनते हों वह एक ब्लाक कमेटी को चुनकर उसके सदस्य बन सकते हैं। प्रस्तावक महोदय ने कहा कि उनको बड़ी घबराहट है। सरकार की तरफ से जब कोई संशोधन आता है तो उनको बड़ी घबराहट और सन्देह होता है। तो जब इस प्रकार की घबराहट और सन्देह पैदा हो जाय तो फिर यह निश्चित बात है कि संतुलित ढंग पर विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। इसलिये उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि सदा किसी की नीयत को संदेह की दृष्टि से देखते रहने से उसका हित-अनहित होता हो या न होता हो स्वयं का भी हित नहीं होता।

अब यह प्रश्न किस प्रकार से उपस्थित हुआ, उसको मैं बता देना चाहता हूं। इसके लिये कहा गया कि यह जनतांत्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ़ है क्योंकि इस तरीके से हम अपने सदस्यों को भेज कर ब्लाक कमेटियों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। यह चीज उठती नहीं है क्योंकि जो विधायक होते हैं या पार्लियामेंट के मेम्बर होते हैं, उनको सरकार तो नामिनेट करती नहीं है और फिर सब लोग सरकार की पार्टी के तो होते नहीं हैं उसके खिलाफ के सदस्य भी हैं और ऐसी बात भी नहीं है कि सरकार ने यह कह दिया हो, सरकारी पक्ष के लोग तो उसमें रहेंगे और विरोधी पक्ष के नहीं रहेंगे। इस प्रकार से वह बात निर्मूल हो जाती है।

यह प्रश्न उठा तब जबकि विधान परिषद् में यह कहा गया कि विधान सभा के सदस्य तो अपने क्षेत्र की सब ब्लाक समितियों के सदस्य हो जायेंगे इसलिये विधान परिषद् के चुने हुए सदस्य भी उसी प्रकार से अपनी ब्लाक कमेटियों के सदस्य हों। अब, श्रीमन्, यह चीज हमने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के सदस्यों और पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये रखी थी लेकिन चूंकि वे भी चुने हुए थे इसलिये उनकी बात में भी वजन था।

श्री. मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि हमारे मंत्री जी, जो बहुत योग्य हैं, विषयान्तर कर रहे हैं। मेरा संशोधन खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरंकित भाग (५) में किये गये नये संशोधन के बारे में है लेकिन माननीय मंत्री जी विधान परिषद् की बात कह रहे हैं। वह आगे आने वाले संशोधन से संबंधित है। इसलिये ये जो समय इस प्रकार ले रहे हैं वह न लें।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधान सभा, लोक सभा से संबंधित है, विधान परिषद् से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, यह चीज मैं उसी की पृष्ठभूमि में दे रहा था, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, पृथकता नहीं है।

तो जब विधान परिषद् के सदस्यों की यह मांग हुई कि जो सिद्धान्त विधान सभा के सदस्यों के लिये स्वीकार किया गया है वह हमारे चुने हुये सदस्यों के लिये भी स्वीकार किया जाय, तो उसमें कुछ वजन मालूम पड़ा। लेकिन वह बात व्यावहारिक न थी क्योंकि उनके क्षेत्र बहुत बड़े हैं, कहीं-कहीं तो पूरी कमिश्नरी ही उनका क्षेत्र है, इसलिये यह चीज मुनासिब नहीं समझी गयी क्योंकि व्यावहारिक न थी लेकिन सिद्धान्त रूप से उसमें कोई एतराज हो नहीं सकता था। इस पर बातचीत हुई और बातचीत में यह कहा गया कि जो लोग आज की व्यवस्था में ब्लाक कमेटियों के सदस्य बन जाते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बनते हैं तो उनको इस बात की छूट दी जायगी कि वह एक ब्लाक कमेटी चुन लें। फिर यह सवाल आया कि विधान सभा के भी ऐसे सदस्य होंगे जो किसी ब्लाक में नहीं आ पायेंगे। तो वहां यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब विधान परिषद् के सदस्यों को यह सुविधा दी गई है तो वह विधान सभा के सदस्यों को भी क्यों न दी जाय। तो उसका इसके साथ मेल करने का जो संशोधन उपस्थित है और जिसका विरोध माननीय अवस्थी जी कर रहे हैं वह इस कारण से आया है। विचारों में मतभेद हो सकता है। यह प्रश्न ऐसा रहा है कि इसी में नहीं बल्कि जो मूल बिल था उस में भी मतभेद था और इधर वाले और उधर वालों के विचार अलग-अलग रहे हैं कि इन विधायकों को ब्लाक कमेटियों और जिला कमेटियों में होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। हों तो वह किस हैसियत से रहे हैं, वह रहा है मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन यह जो संशोधन लाया गया है यदि यह समझा जाय कि वह इस दृष्टिकोण से लाया गया है कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाय तो सरकार का हाथ हो जायगा, यह चीज बिलकुल निर्मूल है।

एक ब्लाक कमेटी में आखिर कितने सदस्य होंगे? ७०-८० से क्या होने वाला है और १०० या उससे ऊपर भी छोटे गांवों में हो सकते हैं। तो एक विधायक के ब्लाक कमेटी का सदस्य बन जाने से न तो प्रजातंत्र प्रणाली का हनन हो सकता है और न शासन के पास कोई कंट्रोल ही आ रहा है कि वह तमाम ब्लाक कमेटियों पर हावी हो जायगी। इसलिये यह कहना बिलकुल निर्मूल है और यह शंका नहीं रहनी चाहिये।

मुझे इतना ही निवेदन करना था। मैं इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि विधान परिषद् के सदस्यों के भावों को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसे माननीय सदन के सदस्य भी स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि जो संशोधन आया है वह ठीक है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा। यह जो हमेशा समझा जाता है कि अगर कहीं गवर्नमेन्ट के सदस्य पहुंच गये तो केवल अधिकारों का प्रयोग करने के लिये पहुंचते हैं, मैं इसको नहीं मानता। इस सदन के भी अधिकतर सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी मनोवृत्ति अधिकार प्राप्त करने की न होगी बल्कि इसके इच्छुक केवल इसलिये रहते हैं कि वह स्थान पर पहुंच कर जनता की सेवा का कुछ काम कर सकें। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में इन ब्लाकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, लोग काम करना चाहते हैं, और यदि किसी आदमी की यह इच्छा

[श्री कैलाशप्रकाश]

है कि वह जो कार्य ब्लाकों में हो रहा है उसको व्यावहारिक रूप में जा कर देखे और उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर सके तो यह चीज कोई नामुनासिब नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूं कि इस चीज को प्रोत्साहन देना चाहिये और जितने भी शहर या देहात के सार्वजनिक उत्तरदायी कार्यकर्त्ता हैं उनका सम्बन्ध कामों से रहना चाहिये ताकि वह वहां की समस्याओं और दिक्कतों को समझ सकें और उनको सुलझाने में अपना सक्रिय योग दे सकें। इसलिये इस दृष्टिकोण से भी विधायकों के विचारों में एक संतुलन लाने के लिये, उनका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर दिलाने के लिये, यह किया जा रहा है। उनको भी तमाम ब्लाक की चीजों को देखने का मौका मिलेगा और उससे प्रदेश की जनता का हित ही होगा और किसी प्रकार से भी अहित होने की सम्भावना नहीं है। इसलिये इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी——अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। पहले तो मैं उनको जवाब दे दूं कि मुझे कोई घबराहट नहीं होती, वैसे आप चाहे जितने बड़े हों लेकिन मैं न डरता हूं, न मुझे कोई घबराहट होती है। मैंने यह शब्द कभी नहीं कहे कि मुझे घबराहट होती है। मैंने यह जरूर कहा था कि मुझे सन्देह है उनकी नीयत पर, फिर दोहरा दूं वह सन्देह मुझे अब भी बना है। जरा आप गौर करें, बहुत लम्बी तकरीर के साथ मेरी बात का जवाब दिया गया और उसमें विशेषता यह है कि मंत्री जी ने कहा कि विधान परिषद् के सदस्यों ने कहा कि हम क्यों मुस्तसना रहें, हमको भी क्यों न मौका दिया जाय। यह सही है कि विधान परिषद् की प्रवर समिति बैठी और उन सदस्यों ने कुछ कहा होगा और मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। यह विवाद अभी आया नहीं है, अगले वाले खंड में आयेगा, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रवर समिति में विधान सभा का एक भी सदस्य नहीं था तो इस विधान सभा के प्रतिनिधि को वहां भेजे जाने की बात कैसे हुई। विधान सभा की प्रवर समिति बनाने के लिये जब यहां कहा गया था तो यह उत्तर दिया गया था कि देर होगी और उसे दबा दिया गया था।

इस विधान सभा में जो बात कही गई थी वह केवल यह थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्षेत्र समितियों में जायं। तो अब विधान सभा के सदस्यों की ओर से वह कैसे कहने लगे कि शहर के हों तो भी जायं और गांव के हों तो भी जायं? कहा यह गया कि शहर वाले सदस्यों को अनुभव के लिये और सिखाने के लिये वहां ले जाना चाहते हैं। तो वहां की धूल और मुसीबत को वह नहीं सह सकते। अगर वह देहाती क्षेत्र के काम करने वाले होते तो आज स्थिति दूसरी ही होती। देहात के अस्पताल खाली हैं, कोई नहीं जाता। मंत्री जी मोटर पर जाते हैं और मोटर पर ही लौट आते हैं। एक घंटा, एक रात रुकना कभी पसन्द नहीं करते। मच्छरदानी तो साथ नहीं ले जाते.....

श्री कैलाशप्रकाश——मंत्री जी तो बहुत रहते हैं देहातों में।

श्री मोतीलाल अवस्थी——मैं जानता हूं जैसे रहते हैं। डाक बंगलों में रहते हैं। मैं उनके लिये ही नहीं, सभी शहरी सदस्यों के लिये कहता हूं कि वह देहाती क्षेत्र में नहीं रह सकते। अब आप क्षेत्र समिति में उन्हें ले जाएंगे। हो सकते हैं कि चहलकदमी और मनोरंजन के लिये वह घंटे, दो घंटे के लिये चले जायं और वोट दे कर लौट आवें। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री उग्रसेन——श्रीमन्, एक शंका है.....

श्री अधिष्ठाता——जी नहीं, इस समय आप कृपा करके बैठें। (श्री कैलाशप्रकाश से) आपको कुछ कहना है?

श्री कैलाशप्रकाश——मुझे कोई खास उत्तर नहीं देना है। मुझे जो बात कहनी थी वह मैं कह चुका।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, एक शंका है. . .

श्री अधिष्ठाता--अभी आप भाषण कर चुके हैं, शंका तभी उठनी चाहिए थी। मेरा खयाल है कि अब कोई मौका नहीं है, आप कृपया बैठें।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (५) में किये गये नये संशोधन हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) का पुनरांकित भाग (५) निकाल दिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब यह बिल पहली बार आया था तो यह कहा गया था कि यह तो फूल प्रूफ है। उस समय कितने ही संशोधन हमने दिये थे, लेकिन सरकार ने एक नहीं माना। आज इसी से सम्बन्धित जो पहला संशोधन था उस पर सरकारी पक्ष से तकरीर करते हुये माननीय रामलखन जी मिश्र ने--वे यहां इस समय नहीं हैं--यह फरमाया था कि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, बड़ा बढ़िया बिल लाये। इसी तरह पहली बार जब यह बिल आया था और यह संशोधन तब नहीं था जो आज है, तो उस समय भी यही कहा गया था कि मंत्री जी ने जो कुछ किया है उस से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो मंत्री जी अगर दिन कहें तो उनके साथी कहते हैं कि जी हां, बिलकुल सही बात है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और अगर उसी सांस में मंत्री जी दिन को रात कहें तो भी उनके साथी कहते हैं कि वाह, बहुत बढ़िया चीज है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि संशोधन अगर उलटा हो जाय तो ठीक है और अगर सीधा हो तो ठीक है। इससे ज्यादा मैं और तर्क क्या दूं कि मंत्री जी ने पहली बार जो तर्क दिये थे आज उनका स्वयं खंडन कर दिया। इसके माने हैं कि मंत्री जी और उधर के बैठने वाले खुद कन्फ्यूज्ड हैं कि रखा क्या जाय। दो बार तो उलट-पलट कर चुके। इसीलिये मैं कहता हूं कि जिसमें सुविधा हो वह सारी की सारी चीज न रहे। जब हम यह कहने लगे कि एम० एल० ए० और एम० पी० मेम्बर हो सकते हैं, वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। मैं यह नहीं कहता. . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि अपने माननीय सदस्य का किसी प्रकार कोई अनादर न करते हुये, उनके सब आदर को रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इसका संशोधन मूल में भी हो जायगा, लेकिन मूल में संशोधन करने की परिस्थिति में हम नहीं हैं। इस वक्त तो हम इस परिस्थिति में हैं कि जो संशोधन विधान परिषद् से आये हैं उनमें हम चाहें तो हेरफेर कर सकते हैं। इसलिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि यह संशोधन अनियमित है और यह नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अवस्थी जी ने मूल की बात कही, तो मूल तो अब रहा ही नहीं। वह तो संशोधित रूप में आया है। तो संशोधित रूप में जो क्लाज होता है उसे संशोधित किया जा सकता है। हम उस क्लाज को टच नहीं कर सकते जिसमें कोई अमेंडमेंट न आया हो। अगर सरकार ने संशोधन स्वीकार न किया होता तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता था। हम उन्हीं को ले सकते हैं जो संशोधित हुये हैं।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, मैं भी इस संशोधन में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे मित्र अवस्थी जी ने एक उचित प्रश्न उठाया है क्योंकि जैसे मेरे दोस्त विष्ट जी ने कहा स्थिति वह नहीं है। स्थिति यह है कि प्रस्ताव जो सदन में रखा गया था वह यह है कि "विधेयक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाय"। हम समस्त विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव यही स्वीकृत हुआ था कि जो विधान परिषद् ने संशोधन भेजे हैं उनके ऊपर हम विचार करें। माननीय विष्ट जी का जो संशोधन है यह

[श्री कैलाशप्रकाश]

संशोधनों में कोई संशोधन नहीं है। आर्डर में केवल वही संशोधन होंगे जो विधान परिषद् के भेजे हुये संशोधनों को संशोधित करते हों। इसलिये जब तक विष्ट जी कोई और बात न बतायें, क्योंकि उनके संशोधन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया हूं, इस बात में मैं बहुत स्पष्ट हूं कि यदि वे किसी संशोधन को जो विचारार्थ है संशोधित नहीं करते हैं तो उनका संशोधन नहीं लिया जा सकता है। मूल विधेयक की वे धाराएं, जो सदन से पारित हो चुकीं और जो विधान परिषद् ने स्वीकार कर लीं, उनमें कोई संशोधन रखने की इस समय गुंजायश नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपा कर बैठें। मैं अभी रूल बताता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं संशोधन को बताये देता हूं। वह इस प्रकार है कि ---"उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (५) में शब्द "सम्मिलित हो" तथा सेमीकोलन के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं---

"एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ग्राम क्षेत्र न हो पर जिसका निवास स्थान, जिला जिसमें खंड स्थित है, में हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो।"

श्रीमन्, यह प्रस्तावित संशोधन है, इसके पहले शब्दों पर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि नियम में जो प्राविधान है वह यह है कि विधान परिषद् से वापस आने पर जिन संशोधनों को वहां से भेजा गया है उन्हीं पर संशोधन किये जा सकते हैं. . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, वह कौन-सा है, नियम बता दिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, विष्ट जी ने जो संशोधन पेश किया है वह इस प्रकार है कि ---"खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (५) को निकाल दिया जाय।"

श्रीमन्, जो शब्द बढ़ाये गये हैं वह संशोधित हैं और विधान परिषद् में संशोधन हुआ है। इस धारा के ऊपर वाली पंक्ति पर तो भाषण देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन माननीय विष्ट जी का जो संशोधन है वह वैध हो जाता है। जहां तक इस धारा के शब्दों का संबंध है, वह इस प्रकार है कि---

"राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान खंड में स्थित हो"। इस पर, श्रीमन्, विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जो-जो रेखांकित शब्द हैं, वह इस प्रकार हैं कि- -"एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास-स्थान जिला, जिसमें खंड स्थित है, में हो पर ग्राम क्षेत्र में न होकर और जिसने राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो।"

अधिष्ठाता महोदय, यह बाद का संशोधन विधान परिषद् में हुआ है और विष्ट जी का संशोधन इससे संबंध रखता है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह वैध है।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपा करके बैठिये। मैं नियम अभी सुनाये देता हूं। नियम १५३ (२) इस प्रकार है कि---

"यदि परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार न किया जाय, तो परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के विषय से सुसंगत संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई और संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों का आनुसांगिक या वैकल्पिक न हो।"

इसका अर्थ यह है कि सदन में वही संशोधन पेश किये जा सकते हैं जो परिषद् के संशोधनों से संबंधित हों या परिषद् के संशोधनों से आनुसांगिक या वैकल्पिक हों। जो परिषद् संशोधनों को निरस्त करते हों ऐसे संशोधनों को मैं एलाऊ नहीं कर सकता और मैं इस संशोधन को रूल आउट करता हूं।

श्री उग्रसेन––श्रीमन्, मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि विष्ट जी ने जो संशोधन रखा है क्या इस पर यह तर्क नहीं किया जा सकता है कि बढ़े हुये संशोधन को हटा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––वह तो मोतीलाल जी का प्रस्ताव था और वह अस्वीकृत हो चुका।

श्री उग्रसेन––नहीं, मोतीलाल जी का प्रस्ताव यह था····

श्री अधिष्ठाता––आप कृपा करके बैठें। मैं रूलिंग दे चुका हूं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)––श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**––मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (६) में किये गये संशोधन को हटा दिया जाय। श्रीमन्, यह जिसमें संशोधन किया जा रहा है वह इस प्रकार है "राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान खंड में स्थित हो एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान, जिला, जिसमें खंड स्थित है में हो पर ग्राम्य क्षेत्र में न हो और जिसने राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो।" इसमें मेरा जो संशोधन है वह पुनरांकित भाग को हटाने का है जिसके हटाने के बाद उसका अर्थ यह होगा कि "प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान जिला, जिसमें खंड स्थित है में हो पर ग्राम्य क्षेत्र में न हो और जिसने राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो," यह निकाल दिया जायगा। श्रीमन्, यह जो विधान परिषद् के संबंध में बात आ रही है उसमें अभी तक यह बात मौजूद थी कि "राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान खंड में स्थित हो", ये उसमें सदस्य हो सकते थे। राज्य सभा के सदस्य आमतौर से, श्रीमन्, हमारे विधान परिषद् और विधान सभा से चुने जाते हैं, यही उसके क्षेत्र होते हैं। तो राज्य सभा के सदस्य का क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है यह हम नहीं कह सकते। कई जिले भी उसमें हो सकते हैं। और राज्य विधान परिषद् के सदस्य जिनका निवास स्थान हो ऐसे तो थोड़े भी हो सकेंगे। लेकिन वह ऐसे भी हो सकते हैं जिनके क्षेत्र कई जिलों के अन्दर या कमिश्नरियों के अन्दर बंटे हों।

मैं अपने कानपुर की एक मिसाल देना चाहता हूं कि कानपुर में करीब २६ विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य होते हैं। इन २६ सदस्यों में करीब ९ ऐसे हैं जो बाहर देहात से आते हैं। बाकी १७ ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों से हैं या जिनका निवास स्थान शहरों में है। अब उन १७ को यह अवसर दे देना कि वह जाकर उसमें शरीक हों तो आप यह समझ लें कि ९ के मुकाबले में वे १७ अपना बहुमत बना लेंगे। यह कहा जा सकता है कि यह मैं संदेह पर कहता हूं। मेरा सन्देह है और वह सन्देह इसलिये है कि सरकार अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराना चाहती है। अगर इस सरकार ने जिला परिषदों का चुनाव करा दिया होता तो हम सरकार की जल्दबाजी से भय नहीं खाते, लेकिन आज जो उनकी स्थिति है वह उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के मुताबिक, जो सन् १९२२ में पास हुआ, बनी हुई है। उसी अंश को लेकर आज वे अन्तरिम जिला परिषद् बनी हुई हैं। जो जिला परिषद् के अध्यक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और उपाध्यक्ष जिला परिषदों के सर्वेसर्वा हैं उनको इस विधेयक में भी सर्वेसर्वा बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें एक धारा २७० है कि जब तक नई जिला परिषदें न बन जायं तब तक अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन जिला परिषदों के सर्वेसर्वा के रूप में उन क्षेत्र समितियों में चलते रहेंगे। आज जो अन्तरिम जिला परिषदें बनी हुई हैं उनमें इस सरकार के आदमियों का इसलिये बहुमत है कि वह सन् १९५७ की बनी हुई हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से मोतीलाल जी अवस्थी ने पहले आपत्ति की थी उसी प्रकार से यह इनका संशोधन भी अवैधानिक हो रहा है। पुराने खंड ७ के पुनरांकित खंड ६ में संशोधन कर रहे हैं। वह इसी पर संशोधन कर रहे हैं कि खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (६) को निकाल दिया जाय। तो खंड ७ में पुनरांकित खंड ६ के लिये यह संशोधन है जो अवैधानिक है। इस पर विचार नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---यह संशोधन जो चल रहा है इसका खंड ६ के भाग (६) से ताल्लुक है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---इसमें कहा गया है खंड ६ के विषय में, लेकिन वैसे खंड ७ के विषय में ही यह संशोधन हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता---इस समय विधाराधीन भाग (६) है जो खंड ६ का है। मैं समझता हूं कि आपका प्वाइंट आफ आर्डर सही नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने यह बात कही कि आज हमारे सामने इन क्षेत्र समितियों में सरकार द्वारा जो शहरी क्षेत्र से रखे जाने की बात है उसके बारे में हमको सन्देह है। मैं उसी को और साफ किये देता हूं कि जब तक जिला परिषदों का चुनाव न हो ले यह सरकार तब तक उसका कोई जुज बनाती रहेगी और तब तक जिला परिषदों का निर्माण नहीं हो पायेगा। मैं यह अपने विचार की बात कहना चाहता हूं क्योंकि जिला परिषद् का प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचन कराना इसके ध्येय से दूर है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से यह सरकार समझती है कि हमारी शक्ति नहीं रह जायगी। इसलिये उसको कायम रखने के लिये प्रत्यक्ष चुनाव की बात नहीं करती है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि वह येनकेन प्रकारेण जिले के स्तर पर अपनी शक्ति कायम रखने के लिये जिला परिषदों को ले रही है। जिला परिषद विधेयक को लाकर लागू नहीं करना चाहती है। यह इनके इरादे से साफ जाहिर है कि यह चाहते हैं कि क्षेत्र समिति में कब्जा बनाये रखा जाय। उसके लिये २,१ दरवाजे हैं जिसमें बैक डोर से घुसकर अपना कब्जा करना चाहते हैं। जाहिर है कि वह कब्जा करने के लिये जिला परिषद् का कोई भी सदस्य, चाहे वह जिले के कोने में रहता हो, चाहे वह इटावा के किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता हो, वह कानपुर में आ सकता है। मैं उनका आदर करता हूं इसलिये कि वह एक लोकल अथारिटी की तरफ से चुन कर आयेंगे लेकिन वह किसी भी जिले के हों अगर कानपुर को पसंद कर लें तो कानपुर में आ सकेंगे यह कौनसा तरीका है? सरकार किसी भी व्यक्ति को कहीं भी घुसने का मौका दे रही है सिर्फ उनको जिले में कहीं भी रेंटेड हाउस दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिये सरकार का विरोध करता हूं और मैं इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि मेरे आगे के संशोधनों पर विचार हो सके। मैं जानता हूं कि उत्तर में माननीय मंत्री जी लीपापोती करेंगे लेकिन मैं अपनी जगह पर दृढ़ हूं और सरकार की बात पर मुझे विश्वास नहीं है

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी का समर्थन करता हूं। दूसरा कोई मौका नहीं है क्योंकि अगर आप मेरा अगला संशोधन अवैध घोषित कर देंगे तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। मैं यह संशोधन इसलिये लाना चाहता था कि अगर सरकार

मान जाती तो इसमें कुछ भी अवैध नहीं होता। आज हमारे देश में, चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा प्रांत की, दोनों ए० आई० सी० सी० से डाइरेक्ट होती हैं और उनकी नीति एक होती है। प्रांत की विधान सभा यह कहे कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्य वहां रहेंगे और केंद्र के मंत्री यह कहें कि पार्लियामेंट या राज्य सभा या विधान सभा और परिषद् के सदस्य किसी भी क्षेत्रीय समिति या अन्तरिम जिला परिषद् में नहीं रहेंगे, यह दोनों बातें मिल कर विरोधात्मक होने से हास्यास्पद हो जाती हैं। यह तो ५५ और ५८ वाली बात हो गयी। सारे देश में ५५ वर्ष रिटायरमेंट की उम्र है लेकिन यहां ५८ कर दी गयी। इतने दिनों बाद सरकार को कुछ अपनी गलती मालूम हुई है। मैं चाहता था कि कभी तो केंद्र के अनुरूप यहां की सरकार चला करे, लेकिन वहां कुछ और कहा जाता है और यहां कुछ और किया जाता है। इसीलिये मैं अपना अगला संशोधन लाना चाहता था।

श्रीमन्, जहां तक विधायकों का सवाल है, राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों का सवाल है, आप देखें कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितनी जगह है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति, उद्योग समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति, जेल समिति, स्वास्थ्य समिति, ब्लाक समिति और इसके अलावा कितनी ही समितियां जिला स्तर पर हैं। २५ समितियां इस आदरणीय सदन की हैं और इसके अतिरिक्त कितने ही सरकार के बोर्ड हैं जिनकी तादाद करीब ५०, ६० के लगभग है। कई बार माननीय मंत्री जी को लगता है कि कैसे यह दाल भात में मूसलचन्द आ जाते हैं लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। पिछली बार जब यह क्लाज आया था तो कांग्रेस के कितने ही लोगों ने कहा था कि अगर मंत्री जी ने हमें हटा दिया तो हम भी देख लेंगे कि वह कितने दिन रहते हैं। इस धारणा को मिटाने के लिये हमें कमर कस कर बात करनी चाहिये। अभी हाल ही में एक प्रस्ताव आया था कि १८५७ के शहीदों के वंशजों का कुछ सत्कार किया जाय, सबने उसका स्वागत किया लेकिन अन्त में ह्विप ईश्यू हुआ और जिन एक दो लोगों ने उसे नहीं माना उन पर अनुशासन की कार्यवाही हो रही है। विधायकों को सदस्य न बनाने का सिद्धांत ठीक है, लेकिन लोग नाराज होते हैं, इसलिये मंत्री जी उसे नहीं मान सकते। यह एम० एल० ए० और एम० एल० सी० लोग पोलिटिकल बींग (Political be ng) हैं। हम लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं और आप माफ करेंगे, यहां हर एक में कुछ न कुछ पार्टी का भाव छिपा रहता है। तो मेरा इस संशोधन को रखने का अभिप्राय यह था कि हम पालिसी मेकर्स (Policy makers) ही रहें। माननीय मंत्री जी का कहना है कि इतनी बड़ी समिति में थोड़े से विधायक क्या कर सकेंगे।

श्रीमन्, जनता जिनको चुन कर भेजती है वे जब यहां पर अपनी स्वतंत्र राय नहीं दे पाते हैं, पार्टी की आंख उन पर चढ़ी रहती है, वे पार्टी की राय के बाहर नहीं जा पाते हैं तो वहां पर क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं। वे लोग इन्हीं लोगों की गाइडेंस पर चलते हैं। तो जब वहां इतनी तादाद में यह एम० एल० एज० पहुंच जायेंगे तो आप जरा सोचें कि कैसे वहां काम चल पायेगा। वहां भी पूरे तरीके से पालिटिक्स घुस जायेगी, राजनीति का वहां भी प्रवेश हो जायेगा।

श्रीमन्, एक ओर तो सरकार कहती है कि हम रचनात्मक कार्यों में राजनीति का प्रवेश नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ उन संस्थाओं में इन लोगों को रखकर उसको राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। पहले जितनी संख्या में एम० एल० एज० थे अब उनको और यह सरकार बढ़ाने जा रही है। सरकार यह चाहती है कि खुले खजाने वहां पर राजनीति हुआ करे।

श्रीमन्, इसी सदन में २२ या २३ मार्च, १९६० को माननीय विचित्र नारायण शर्मा ने यह कहा था कि यहां सदन में हमारे सदस्य चिल्लाते हैं रुपया रुपया, मगर जो हमारे पास पुलों के लिये रुपया पड़ा हुआ है उसकी मांग कहीं से नहीं हो रही है। मैंने, श्रीमन्, उसके बाद उनको लिखा कुछ पुलों के बनाने के बारे में। उसके बाद कुछ की सेंक्शन हुई और इस्टीमेट्स वगैरह भी बनाये गये। उसमें ६ पुल थे जो सेंक्शन किये गये थे। पुलों के नाम उस समय नहीं

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

बताये गये थे, लेकिन बाद को यह तय हो गया था कि कहां-कहां पर वे बनाये जायेंगे। करीब १ लाख ७५ हजार १०० रुपये का इस्टीमेट बना था तो उनके बनाने के लिये रुपया गया तो एक भूतपूर्व एम० एल० ए०, उनका नाम भी मुझे लेने में कोई संकोच नहीं है, श्री गोवर्धन तिवारी. . . .

श्री अधिष्ठाता—जो व्यक्ति यहां नहीं हैं आप कृपया उसका नाम न लें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं, श्रीमन्, कोई उनके चरित्र पर आक्षेप थोड़े ही कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि कांग्रेसी लोगों की तरफ से यह दबाव सरकार पर डाला गया कि अगर यह पुल बनाये जायेंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी, हमारी कांग्रेस पर असर पड़ेगा। इस तरह की बातें की गयीं। इस प्रकार जो पुल बनने वाले थे वे रोके गये हैं। उनके बारे में यहां ३ बार प्रश्न भी किये गये। फाइनेंशियल हैन्डबुक में यह लिखा है कि जब तक डिटेल्ड इस्टीमेट न बन जायं और सैंक्शन न हो जाय तब तक रुपया नहीं जाना चाहिये। लेकिन जब यह सब ले जाता है, रुपया चला जाता है, फिर बाद में उन पुलों को बदला जाता है। इस मंत्रिमण्डल द्वारा उनको बदल दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार होता है इस सरकार के द्वारा।

मैं आज ही सदन का एक उदाहरण पेश करूंगा। पहले सरकार की ओर से हिल एक्सोडस के बारे कहा गया था कि सरकार पहाड़ पर नहीं जायेगी। लेकिन आज कुछ और ही कहा गया। आज कहा गया कि कमेटियों की बैठकें यू० पी० में कहीं भी हो सकती हैं। मैंने यह भी पूछा था कि रानीखेत और अल्मोड़ा में भी हो सकती हैं या नहीं। इसके उत्तर में कहा गया कि रानीखेत में हो सकती है, अल्मोड़ा में नहीं तो यह है सरकार की नीति . . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं तो, श्रीमन्, उदाहरण दे रहा हूं। अब वहां से माननीय मुख्य मंत्री जी चुन कर आये हैं, अगर वहां मीटिंग नहीं होंगी तो वहां की जनता नाराज हो जायेगी। तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम विरोधी दलों का सहयोग चाहते हैं, दूसरी तरफ से हर काम ऐसा कराया जाय कि वोट कांग्रेस को ही कैसे पड़ें और ६२ में हम कैसे जीतें। कांग्रेसी सदस्यों के क्षेत्रों में बहुत से कार्य कराये जायें और विरोधी सदस्यों के यहां न कुछ हो, यहां तक कि हम तो श्रीमन्, यहांतक समझे कि मानों हम इस देश के निवासी ही नहीं हैं किसी दूसरे देश में रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत विषयान्तर कर रहे हैं। कृपा करके अपने को विषय तक ही सीमित रखें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अब मंत्री जी ने चश्मे की बात कही है। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी जब पहले बिल लाये थे तब चश्मा उनका दूसरा था और अब जो यह बिल लाये हैं तब उनका चश्मा कोई दूसरा है। या तो पहला चश्मा ठीक था या अब वाला, दोनों चश्मे उनके ठीक नहीं हो सकते।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें जनता ने यहां बड़ी-बड़ी नीतियां तय करने के लिये भेजा है और अब यह ठीक नहीं है कि हम प्रांतीय स्तर से उतर कर नीचे जायं। हमें तो यहां के कामों से ही फुरसत नहीं मिलती। बराबर श्रीमन् को घंटी बजानी पड़ती है और कोरम नहीं होता। लोगों को सदन जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिये यहां फुरसत नहीं मिलती तो फिर देहातों में उनको जाकर समितियों में बैठने के लिये कहा जाय तो क्या वे पूरा काम करेंगे ? दूसरी तरफ यह भी कहते जाते हैं कि मेम्बर तो हो सकेंगे लेकिन ये विधायक प्रेसीडेंट नहीं हो सकेंगे। और इस पर बनारस के माननीय सदस्य चले गये, कहते थे कि अब तो बिल को चार चांद लग गये हैं। तो यह सब इससे संबंधित है।

श्री अधिष्ठाता—आप स्वयं समझ रहे हैं कि यह संबंधित नहीं है, इसीलिये यह कहते हैं कि यह सब संबंधित है। आप जो संबंधित है उसी पर बोलें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह जो उपखंड (५) और (६) है यानी (५) में है कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० और (६) में है एम० पीज० उनके लिये है कि वे सदस्य रहने चाहिये। मेरा वक्तव्य दोनों को कवर कर लेता है और उसी सिलसिले में मैं निवेदन कर रहा था।

तीसरी बात यह है कि मैं इतनी सारी कमेटियां गिना चुका हूं इसमें जाने से ही फुरसत नहीं है और जो काम हमें सौंपे गये हैं वही पूरे नहीं होते, तब मंत्री जी हमें बताते हैं कि शहरों के लोग अगर देहातों की कमेटियों में जायेंगे तो उनको अनुभव होगा कि देहातों के क्या मसले हैं। शहरों में जो बेचारे पंखों के नीचे बैठे, गद्देदार कुर्सियों पर बैठे हैं और "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जानें पीर पराई" अगर उनको देहात भेजेंगे, तो मंत्री जी कहते हैं कि शहर के लोग देहातों में दिलचस्पी लेने लगेंगे देहात के कार्यों में और किन कार्यों में? जिनको वे कुछ नहीं जानते। क्या आप उनसे यह आशा करते हैं कि वह एक दिन तशरीफ ले जायेंगे दो चार महीने के बाद और उसी दिन सारा ब्रह्मज्ञान उनको हो जायगा, उनके दिव्य चक्षु खुल जायंगे और सारा महाभारत संजय की तरह से वह देख लेंगे—जब कि उनकी कांस्टीट्युएंसी शहर की है?

चौथी बात यह है कि इससे सरकार का एक बड़ा फेल्योर जाहिर होता है। माननीय मंत्री जी को यह लगा कि अगर यह संशोधन नहीं किया तो शहरों के एम० एल० ए० और एम० पी० खंडों के सदस्य नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे अरबनाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि वे देहात में रहना पसन्द नहीं करते हैं। तो इस व्यवस्था के रखने से डर हो गया है कि अगर हम इसको रखते हैं तो वहां कोई देहात रहेगा ही नहीं। जैसा कि पुराना, बिना संशोधन का बिल है उसके मुताबिक तो सबके सब सदस्य हो जाते हैं, वे चाहे देहात में कहीं रहते हों, उनका नाम रजिस्टर में चढ़ जाता है। लेकिन माननीय मंत्री जी देहात को हिकारत की नजर से देखते हैं, वैसे वोट देहात की जनता के नाम पर ही मांगते हैं। इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस संशोधन को न मानें जो कि इसमें है, अगर वह रूरलाइजेशन करना चाहते हैं, कि ब्लाक के जो मेम्बर होना चाहें वह देहात में जाकर सीधे रहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। आप इस बात पर ध्यान दें कि इस विधेयक में २७३ दफायें हैं, पिछली बार सिर्फ ४० पर ही वाद-विवाद हो पाया था। इसमें संशोधन भी काफी हैं, इसलिये इस प्रकार से समय निर्धारण कर दिया जाय कि प्रस्तावक को ५ मिनट और समर्थक को ३ मिनट का टाइम दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अवस्थी जी की राय, मैं समझता हूं ठीक है।

कुंवर श्रीपालसिंह—प्रस्तावक को ७ मिनट और समर्थक को ५ मिनट दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अधिष्ठाता—यह ठीक है, अगर सदन को एतराज न हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—लेकिन, श्रीमन्, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा टाइम लिया हो उसको सबसे कम टाइम दिया जाय।

श्री टीकाराम पुजारी—व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, २ मिनट ही आगे वालों के लिये रहने दें और ३ मिनट पीछे जो बैठे हैं उनके लिये रहने दें। मैं तो दो तीन दिन से देख रहा हूं कि आप भी ऐसे ही हो जाते हैं कि यह ध्यान ही नहीं रखते कि कौन किस विषय पर बोल रहा है, आपने भी हद कर दी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मोतीलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मोतीलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर रहा हूं। यह मैं मानता हूं कि इस संशोधन

[कुंवर श्रीपालसिंह]

द्वारा सरकार अपने दल के हाथ को मजबूत कर रही है। यह बिलकुल सत्य है कि इस प्रकार से वह अपनी पूरी मेजारिटी क्षेत्र समिति में रख सकेगी और अपना कंट्रोल वहां रख सकेगी। मैं मानता हूं कि कल को हम लोग जब उधर बैठेंगे तो यह कानून हमारे पक्ष में होगा और हम भी ज्यादा से ज्यादा आदमी भेज सकेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी की अरस्तू वाली परिभाषा यहां नहीं चलनी चाहिये बल्कि अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये शासन, होनी चाहिये। लेकिन, श्रीमन्, यहां पर हो बिलकुल उलटा रहा है। श्रीमन्, विधान सभा द्वारा जो एम० एल० सी० चुने जाते हैं उनका कोई क्षेत्र तो होता नहीं, वह कहीं के रहने वाले हों, सिर्फ उन पर सरकार की नजर होनी चाहिये। उनको भी क्षेत्र समितियों में पहुंचा देने के लिये यह संशोधन लाया गया है। पहले वाले संशोधन में चूंकि यह स्पष्ट था कि जिस क्षेत्र के रहने वाले हों उसी क्षेत्र समिति में जा सकते हैं लिहाजा वह इन पर लागू नहीं होता था इसलिये यह संशोधन लाया गया है।

श्रीमन्, विष्ट जी ने जैसा कहा कि पहले वाली सरकार इतनी गुटबाज नहीं थी क्योंकि उसमें इतनी गुट बनाने की शक्ति नहीं थी जितनी कि इसमें है, ठीक है। उसके दिमाग में यह चीज नहीं आई थी। यह सरकार गुटबाजी में स्पेशलिस्ट है इसलिये यह संशोधन लाई है जिसके जरिये वहां अपना बहुमत कर सके।

एक चीज और है। जैसा कि विष्ट जी ने भी कहा कि वहां पर ये लोग पहुंच तो जायंगे, लेकिन सभापति नहीं हो सकते। जिस प्रकार से ये यहां पर मुसाहिबत कर रहे हैं उसी तरह से वहां पर भी सभापति की मुसाहिबत करेंगे। खाली तादाद बढ़ाने के लिये ही यह संशोधन लाया गया है। जरूरत तो इस बात की थी कि एम० एल० एच० या एम० एल० सी० को क्षेत्र समितियों में भेजा ही न जाय क्योंकि जितना काम यहां पर उनके जिम्मे है अगर उसी को वह करें तो उनको मरने की फुर्सत ही न मिले। लेकिन, चूंकि सरकार का पंजा वहां कमजोर हो जायगा इसलिये यहां से बड़े-बड़े नाखून वाले शेरों को भेजा जा रहा है। इन शब्दों के साथ में अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको वह वापस ले ले नहीं तो बड़ी बदनामी होगी।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

*श्री प्रतापसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, अवस्थी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस संशोधन की ड्राफ्टिंग में कोई ग़लती है या फिर इसको बनाते समय किसी सिद्धान्त का विचार नहीं रखा गया। मैं आप की आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं :---

"राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान खंड में स्थित हो एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान जिला, जिसमें खंड स्थित है, में हो पर ग्राम्य क्षेत्र में न हो और जिसने राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले. . . .।"

तो इसमें कोई सिद्धान्त होना चाहिये था। एक ओर मंत्री जी कहते हैं कि उस जिले में वह रहता हो जहां वह खंड पड़ता है। तो यह जरूरी नहीं है कि हम गांव और देहात का झगड़ा खड़ा करें। जिस समय मूल विधेयक प्रस्तुत हुआ था हम समझते थे कि विधायक लोग क्षेत्र समितियों के सदस्य नहीं होंगे। आज भी हम वही बात रख रहे हैं। लेकिन मंत्री जी उसे नहीं मानना चाहते हैं। उनका संशोधन यह इंडीकेट करता है कि वह उस खंड में रहता हो और उस जिले का हो। मेरे क्षेत्र में ६ विकास क्षेत्र पड़ते हैं। मैं उन सब की मीटिंगों में नहीं जा सकता हूं। यह मेरे लिये सम्भव नहीं है। अगर मेरे क्षेत्र के किसी दूसरे व्यक्ति को सदस्य बनाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय तो मुझसे कहीं अच्छा काम कर सकता है। विधान सभा का ही काम इतना होता है कि उससे फुर्सत नहीं। यह वही सदस्य जानते हैं जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, जो दिलचस्पी नहीं लेते उनकी बात दूसरी है। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये भी नहीं थी कि अगर विकास क्षेत्र समिति में विधायक जाते हैं तो गांवों से आने वाले मेम्बरों में इंफ़ीरियारिटी काम्प्लेक्स आ जायगा। बलवन्तराय मेहता कमेटी के आधार पर हम पहले पहल वहां क्षेत्र समिति बनाने जा रहे हैं। अगर यह संशोधन रहता है तो उनका मक़सद पूरा नहीं होगा। मान्यवर, आप तो भारत सेवक समाज में और सब जगह जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आज विलेज लीडरशिप को डेवलप करने की आवश्यकता है। हम लोग बहुधंधी हो गये हैं। हमारी जगह दूसरे लोग वहां होने चाहिये। अगर मंत्री जी आज इस बात को नहीं मानते हैं और अगर वह विलेज लीडरशिप को उन्नत बनाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ समय बाद इसमें फिर संशोधन लाना होगा। अगर यह नहीं मानते हैं तो इतना ही मान लें कि जो लोग देहात में रहते हैं, जिनका सम्बन्ध इस विकास क्षेत्र से हो, वे ही उस समित में हों यह नहीं होना चाहिये कि लखनऊ शहर का रहने वाला भी उसमें सदस्य हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मुझे आश्चर्य है कि सरकार बदलने पर ये शब्द जोड़ने की आवश्यकता हुई। इससे प्रकट है कि यह कांग्रेस दल की नीति नहीं है, बल्कि वर्तमान मंत्रि-परिषद् की नीति है। माननीय मंत्री जी ने क्या तर्क दिया, मेरी समझ में नहीं आया। इतना स्पष्ट है कि यह धारा अनावश्यक है और आपत्तिजनक है। हमारी नीति यह होनी चाहिये कि क्षेत्र समितियों में अधिक से अधिक लोग स्थानीय होने चाहिये ताकि अधिक से अधिक समय देकर वे जनता का हित कर सकें। अब हमारी जो कठिनाई इसमें है वह व्यावहारिक है। कानपुर में ५ एम० एल० ए० और एक एम० पी० शहर के हैं, लगातार शहर में ही रहते हैं और शहर में ही काम करते हैं। अब इस धारा के अनुसार वे एक क्षेत्र चुन लें और उसमें काम करने को बात कहें। उनके पास शहर का ही इतना काम होता है जो एक आदमी को थकाने के लिये बहुत काफी होता है, अतः उसे वहां जाकर सेवा करने का अवसर नहीं मिल सकता।

इसमें भंशा सरकार की खराब हो या न हो, लेकिन काम से नीयत पर असर पड़ता है। जैसा कि विधेयक में है किसी क्षेत्र समिति में ८० से अधिक आदमी नहीं होंगे। अब इन ८० में से ४०–४० आदमी हैं। अब सरकार ने अपने एक आदमी से कहा कि फलां क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र को चुन लो। उस एक आदमी की बड़ी मजबूत स्थिति वहां होगी। अब जब उसको कोई फैसला लेना होगा जैसे वह काम चलाऊ समिति आदि बनेगी तो उसके फैसलों पर वह बहुत बड़ा असर डालेगा और इसमें साधारणतः यह कठिनाई होगी कि साधारण आदमी रह जायगा और बाहर का आदमी चला जायगा। इसके अलावा डुप्लीकेशन आफ वर्क बढ़ जायगा और पद अपनाने की जो इच्छा लोगों में होती है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा।

आज हमारे सामने सम्पूर्ण कुशलता का सिद्धान्त नहीं होना चाहिये बल्कि सामान्य कुशलता का सिद्धान्त होना चाहिये। बहुत थोड़े से आदमी हर काम में सफल हो जायं, यह संपूर्ण कुशलता का सिद्धान्त है और इसी सिद्धान्त पर आधारित जाति प्रथा हमारे लिये आज अभिशाप बनी हुई है। लेकिन वही सम्पूर्ण कुशलता का सिद्धान्त यहां प्रतिपादित किया जा रहा है। शहरों के रहने वाले लोग, जिन गांवों की समस्या को जानते नहीं हैं वहां की समस्याओं को वह किस प्रकार से हल कर सकते हैं? सिद्धान्त हमारा यह होना चाहिये कि जिनको देहात की समस्याओं का ज्ञान है वे देहात की समस्याओं को हल करें, जिनको शहरों की समस्या का ज्ञान है वे शहरों की समस्या का हल करें तो देश के लिये अधिक अच्छा होगा। जूता जिसको काटता है उसी को तो मालूम पड़ सकता है कि कहां काट रहा है, बाहर के आने वाले को क्या पता चल सकता है कि वह कहां काट रहा है? इसके अतिरिक्त वे वहां काम भी अच्छा नहीं कर सकेंगे और यह हो

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सकता है कि विकास खंडों में जाकर वे संतुलन को खराब कर दें और वह दूसरे पक्ष में ही चला जाय।

तीसरी कठिनाई इससे यह उत्पन्न होगी कि अगर एक आदमी दो स्थानों में होगा तो उसका मन दो जगह बंट जायगा। इससे वह न शहरों में ही अच्छा काम कर पायेगा और न देहात में। आज देश को आवश्यकता इस बात की है कि जो जिस काम को करने का अधिकारी हो उसको वह पूरी लगन के साथ करे। इससे देश का हित होगा। दर्शनी हुंडी को खड़ी कर देने से वह भुनने वाली नहीं है। पहले मंत्रि-परिषद् ने ठीक ही रखा था, इसलिये मेरा सुझाव है कि इन सब बातों को विचार कर के इस संशोधन को वापस ले लिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह विधान परिषद् और राज्य सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में संशोधन था। इस से पहले लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के बारे में था, उस के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि जिसके कारण इन संशोधनों को लाने की आवश्यकता हुई। इस पर भी बहुत सी कल्पनायें लगाई जा रही हैं। कल्पना लगाने का तो अधिकार उनको है, लेकिन वास्तविक रूप में यदि माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे तो इससे शासन की इस तरह की कोई मंशा नहीं निकाल सकती कि इस संशोधन को लाकर वह ब्लाक कमेटियों के ऊपर कोई नियंत्रण रख सके या रखे।

एक तो ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम होगी, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि विधान सभा के सदस्यों को तो इस में कुछ मतभेद हो सकता है। मैं इसे स्वीकार कर चुका हूं कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र मे, ब्लाक कमेटियों में या जिला परिषदों में सदस्य होना चाहिये या नहीं इसमें विचारों का मतभेद हो सकता है। यह मुझे स्वीकार है, लेकिन विधान सभा के सदस्य अपने क्षेत्र के ब्लाकों के सदस्य होंगे और वह एक से ज्यादा होंगे तो वह यदि वहां काम कर सकते हैं, विधान सभा के सदस्य काम कर सकते हैं, तो विधान परिषद् के नहीं कर सकते एक ब्लाक के भी न रह कर इसमें कोई तथ्य नहीं है।

माननीय रामस्वरूप जी ने कहा कि यह अनावश्यक है। ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी मंशा स्पष्ट है और पहले हमारे मूल बिल की जो धारायें थीं उन के अनुसार विधान परिषद् के कुछ सदस्य, राज्य परिषद् के कुछ सदस्य, लोकसभा व विधान सभा के कुछ सदस्य ऐसे थे कि जिनका किसी भी ब्लाक कमेटी से कोई सम्बन्ध उस रूप में नहीं था। तो विधान परिषद् के सदस्यों का यह एक तरीके से इसरार था, उन की मांग थी कि जब विधान सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र में एक ब्लाक कमेटी का सदस्य होने का अधिकार दिया गया है तो विधान परिषद् के सदस्यों को अपने क्षेत्र में एक ब्लाक कमेटी का सदस्य होने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यदि विधान सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र को ठीक रखना होता है तो विधान परिषद् के सदस्यों को भी, जो चुनाव से आते हैं, चाहे उन के चुनाव दूसरे ढंग के हों, उन को भी अपने क्षेत्र में काम करने और उसमें दिलचस्पी लेने का हक होना चाहिये। मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस में कुछ व्यावहारिक कठिनाई रहीं, क्योंकि उनके क्षेत्र बहुत बड़े हैं और ऐसे भी क्षेत्र हैं कि आधे सूबे का एक क्षेत्र है और पूरा सूबा भी है। क्योंकि उसमें व्यावहारिक कठिनाई रही तो उसके औचित्य में सन्देह रहा। इसलिए इस बात को स्वीकार किया गया कि वह भी विकास के कार्यों से अपना सम्पर्क रख सकें और मूल बिल के अनुसार अगर कोई सदस्य एक ब्लाक का भी सदस्य नहीं बना है तो वह किसी एक का बन जाय।

यह जो शंका है कि इससे बड़ा अधिकार प्राप्त हो जायगा ऐसी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि नियत रीति से होगा और वह नियत रीति नियमों के अनुसार बनेगी और वह नियम सदन के सामने भी आयेंगे। इसलिये कोई घबराने की बात नहीं है और न यह आशंका ही ठीक है। फिर भाषा से भी स्पष्ट है कि बार-बार दूसरे मेम्बर होंगे जो एक बार बन गया फिर दूसरी बार और तीसरी बार, आज वह, कल को दूसरा, ऐसा न होगा। जो नियत रीति से चुन लिया

जायगा वह उसका सदस्य बना रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कल्पनायें लगाई गई हैं उनका कोई आधार नहीं है। इसमें विधायकों को और संसद के सदस्यों को सुविधा दी गई है कि अगर कोई सदस्य किसी भी ब्लाक कमेटी का सदस्य नहीं बनता है तो वह किसी एक ब्लाक का सदस्य चुने जाने पर अगर काम करना चाहे तो कर सकता है।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)----अध्यक्ष महोदय, मैं वाद विवाद सुन रहा हूं, लेकिन मेरे समझ में बात नहीं आई। चन्द्रमा में ग्रहण पड़ा करता है, या सूर्य में पड़ा करता है, लेकिन कोर रह जाती है, पूरा ग्रहण नहीं पड़ता है। यह सरकार तो पूरी ग्रहण रूप हो गई कि किसानों को दबा लिया। श्रीमन्, जिला परिषद् किसानों की होती है, उसमें उनको नहीं रहने दिया। उसमें शहर के और चुंगी के भी लोग जाते हैं। जो बड़ा कस्बा होता है, उसमें टाउन एरिया होती है, वह भी उसमें भाग लेती हैं। किसानों के लिये कोई चीज नहीं छोड़ी। श्रीमन्, मेरा नम्बर सन् ६२ में आएगा, मैं उधर बैठूंगा। तब यह सुझाव देंगे। इसलिये मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीज न करें।

एम० एल० ए० का चुनाव होता है, एम० पी० का चुनाव होता है, तो किसका चुनाव होता है? सोशलिस्ट चले गये तो सोशलिस्ट ले लिये, कम्युनिस्ट चले गये तो कम्युनिस्ट ले लिये, और कांग्रेसी चले गये तो कांग्रेसी ले लिये, उन किसानों को क्यों नहीं लिया जाता है? इसे ठीक क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली के लिये उन किसानों को लिया जाय जो सीधे किसान हों, किसानी जानते हों। किसानों के हक को ले रहे हैं और किसानों को खत्म करते चले जा रहे हैं। यह हक हमारा है। जिला परिषद् हमारी है। इसमें एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, एम० पी० और मिनिस्टर चले जायं तो आकाश से नीचे गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। बहुत ऊंची मंजिल है जहां से फिसलकर नीचे आएंगे। किसान तो बच जाएंगे, लेकिन सन् ६२ में यह कांग्रेस पार्टी पाताल में चली जाएगी और उसका पता नहीं चलेगा।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को पूरा हक मिलना चाहिये। यह नहीं कि आज कह दिया नैनीताल नहीं जाना है और अब हो रहा है कि जाएंगे। कल कह दिया कि आबपाशी तीन आना छोड़ देंगे और फिर आज कहा कि लगाएंगे। तो इस सरकार का कोई पतियारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, जब मूल विधेयक पेश हुआ था तो बहुत जोरों से यह प्रश्न सदन में उठा था और माननीय मंत्री जी ने अभी जो स्पष्टीकरण दिया उसमें उन्होंने यह बताया कि बहुत से एम० एल० ए० ऐसे हैं जिनका कि आधे सूबे में क्षेत्र है और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, बहुतों के सात आठ जिले हैं, दो-दो कमिश्नरियां हैं। माननीय मंत्री जी का यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। मूल विधेयक में यह बात रखी गयी थी कि जिन लोगों का घर उस ब्लाक में हो या देहात में हो या जिनके क्षेत्र में जो ब्लाक आता हो उसके वह सदस्य होंगे। लेकिन यह नहीं था कि अगर किसी का घर शहर में है तो वह भी उस क्षेत्र में समिति का मेम्बर बना दिया जाएगा।

माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि विधान परिषद् में यह सवाल उठाया गया, वहां के माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया कि जब विधान सभा के सदस्य और पार्लियामेंट के सदस्य मेम्बर हो सकते हैं तो हम को क्यों न रखा जाय? मैं समझता हूं कि उन माननीय सदस्यों का यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि श्रीमन्, जैसा रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा, कानपुर शहर के अन्दर ५ क्षेत्र एम० एल० ए० के और २ क्षेत्र एम० पी० के हैं, उनका देहात से कोई मतलब नहीं है और मंत्री जी उस तर्क को देकर शहर के माननीय सदस्यों को देहात के ब्लाक एरिया में ले आना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया, मैं समझता हूं उससे सदन का कोई भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है। इसलिये मंत्री जी इससे ऊपर सोचें और शहर में रहने वाले माननीय सदस्यों के लिये कठिनाई न पैदा करें क्योंकि शहर की बहुत सी समस्यायें उनके सामने होती हैं। वे देहात की समस्याओं से परिचित भी न हों और एक बोझ की तरह से ब्लाक समिति में बने रहें, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये कि जो सचमुच देहात के क्षेत्र से हों उन्हीं को रखें जिस तरह से कि पहले मूल विधेयक में था। अगर मंत्री जी इस तरह से रखेंगे तो मैं समझता हूं कि सभी लोग संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी स्पष्टीकरण दिया उससे सदन को बहुत संतोष नहीं हुआ। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधान सभा के सदस्य वहां उसमें हो सकते हैं तो परिषद् के सदस्यों को भी होना चाहिये। पहले यह था कि वे जिस ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे वहां की क्षेत्र समिति में वे जाते थे, अन्तरिम जिला परिषद् में विधायक होने के नाते जाते थे। अगर मंत्री जी एक सुझाव मेरा मान लें कि उनके क्षेत्र में तो कई जिले हैं दस, पांच ब्लाक्स में विधान परिषद् के सदस्य जाना चाहते हैं तो जांय क्योंकि वे उच्च सदन के हैं, परम आदरणीय हैं और एक तरह से दूध के मरखन हैं, मगर उन्हें वोट का अधिकार न रहे। अगर वे आमंत्रित सदस्य बना दिये जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे अपनी राय वहां दें, उनको बोलने का अधिकार हो और जो उनको कई जिलों का अनुभव है उससे उनको लाभान्वित करायें, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार न हो।

श्री अध्यक्ष---शायद आप यह पसन्द करें कि जाजिमी कर दिया जाय ?

श्री उग्रसेन---जी हां। अगर मंत्री जी के दिमाग में कोई बात न हो तो मेरे इस सुझाव को मान लें।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो यह योजना बनाई और योजना की बड़ी-बड़ी कमेटियां बनीं, बलवन्तराय मेहता कमेटी बनी, तो सभी कमेटियों ने यह कहा कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। हमने जब कहा चौखम्भा राज्य, तो बड़ा मजाक हुआ इसी सदन में। हमारी सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने जब चौखम्भा राज्य का सुझाव दिया तो उस समय के मंत्री ने कहा था कि आप चौखम्भा राज्य कहते हैं, हम आपको पंचखम्भा राज्य देते हैं। मगर उसमें जो यह थुत्री लगी है यह सब बेकार कर रही है क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। अगर ऊपर के लोग नीचे चले आयें तो फिर पंचखम्भा राज्य कैसे होगा ?

श्रीमन्, एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूं बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट से। वह अंग्रेजी में है :---

"Decentralization on the other hand is a process where by a government divests itself completely of certain duties and responsibilities and devolves them on to some other authority."

यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण . . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी भी अंग्रेजी में भाषण देने लगी ?

श्री उग्रसेन---मैं अनुवाद तो कर रहा हूं. . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मुझे अनुवाद नहीं चाहिये। मैं तो यह कह रहा हूं कि जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आपत्ति करते हैं, लेकिन अब स्वयं अंग्रेजी में पढ़ने लगे।

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने से उनकी जबान अपवित्र हो जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह आन्दोलन हिन्दी का तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि यह अंग्रेजी में ही है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते समय इसमें यह लिखा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण तभी होगा जब कि कार्य की जिम्मेदारी इकाइयों को हस्तांतरित कर दी जाय। जिले में जिलाधीश को जो अधिकार हैं वह जिला परिषद् में और थाने को जो अधिकार हैं वह क्षेत्रीय समितियों में हस्तान्तरित कर दिये जांय। सत्ता का हस्तान्तरण व्यक्तियों के बदलाव से नहीं होगा, बल्कि अधिकारों के देने से होगा। जैसे पंडित जी जब अपने अधिकार, जिस म्युनिसपैलिटी के सदस्य वे रह चुके हैं, दें तभी सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहलायेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि अवस्थी जी के संशोधन को मान लिया जाय कि उनको वोट देने का अधिकार न दें बल्कि उनके लिये लाजमी कर दिया जाय कि वे अपने सुझाव दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

* **राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अवस्थी जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे माननीय मंत्री जी के भाषण से संतोष नहीं हुआ। जब कौंसिल के मेम्बर यह कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा क्षेत्र में तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन बिल आया और कई शहरी बिल आये तो उनमें देहाती क्षेत्रों के लोगों ने यह नहीं कहा कि हमारा भी इनमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये। उनकी क्या दिलचस्पी होगी? उनको अपने घर के कामों से ही फुरसत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एम०एल०सी० और एम० पी० को कई-कई कमेटियों में और उत्सवों में जाना पड़ता है और वह बहुत सी जगह नहीं जा पाते हैं। इसलिये वे जाना चाहते हैं कि आज सवाल आया है कि हर जगह बहुमत जमा हो। श्रीमन्, इसी बात का हमें भय है और यह हमारे ऊपर लादा जा रहा है। स्पष्ट चीज यह है कि उनको कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि सरकार की ख्वाहिश है और वह चाहती है कि अपने मेम्बरों को वहां भेजकर अपना बहुमत बना लें। इसलिये मैं कहता हूं कि जो संशोधन आया है वह ठीक है और इसको मानना चाहिये। नामजद मेम्बर अगर गड़बड़ी करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिये। उनकी न वहां किसी से जान पहचान है और न उसको फुरसत ही है; केवल वोट देने के लिये, उनको वहां रखा गया है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी चन्द अल्फाज में माननीय अवस्थी जी के अमेंडमेंट की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब यह मसविदा कानून हाउस में पेश हुआ था उस वक्त महज वह मेम्बर थे जो खंड में रहते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है कि और भी हो सकते हैं। जहां तक श्रीमन्, उनकी राय और मेम्बरों का सवाल है, तो इसमें इतनी किस्म के मेम्बर शामिल हैं कि इस बात की मोहताज कमेटी नहीं रह जाती कि नेसेसरिली सब ही मेम्बर उसमें हों, एम० एल० सीज० हों या मेम्बर पार्लियामेन्ट और मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट हों। जरूरी है कि वह सब उसमें हों। इससे इन कमेटियों के काम करने में भी इंटरफियरेंस हो सकता है। इसलिये कि सर्व साधारण मेम्बर देखेंगे कि ऐसे-ऐसे बिग-गन्स बैठे हुये हैं, वह जिस बात को कहेंगे उसका असर उन पर पड़ेगा और वह अपनी सही आवाज नहीं उठा सकेंगे। हो सकता है कि इस तरीके की बात बाद में सोची गई हो कि ऐसी कमेटी में बहुमत कहीं ऐसा न हो जाय कि जो सरकार की पार्टी का न रहे। तो इस वास्ते भी मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट ज्यादा देहातों के हित में है। जैसा कि अभी हमारे मित्र राजा साहब जगम्मनपुर ने कहा, मैं बिलकुल उस बात का कायल हूं कि कोई देहाती इस बात को नहीं कहता कि जहां जिले के अन्दर शहरों में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई जाती हैं उनमें उनको भी शामिल किया जाय। वह वहां जब नहीं जाते हैं और वहां नहीं जाना चाहते तो मैं यही मुनासिब

---

* जनता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

समझता हूं कि जिस मेम्बर की वहां रेजीडेंस हो उसी नुमाइन्दे को उसका मेम्बर होना चाहिये और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर दूसरी तरमीम जो एक माननीय सदस्य ने पेश की है उसी को सरकार मान ले कि ऐसे मेम्बरों को मशविरा देने का तो अधिकार हो लेकिन वोट करने का अधिकार न हो। अगर उनको वोट करने का भी अधिकार होगा तो फिर तो उसकी वजूद बिलकुल ही गलत हो जायगी और वहां भी एक किस्म की चन्द लोगों की डिक्टेटरशिप बन जायगी। इस वास्ते इन चन्द अल्फाज के साथ में श्री अवस्थी जी के प्रस्ताव की पुरजोर ताईद करता हूं और अगर वह न माना जाय तो वह दूसरी तरमीम कि वोट देने का अधिकार न हो, सरकार से मतालबा करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का उत्तर सुना। उन्होंने एक ही बात रखी है कि राज्य सभा और विधान परिषद् के मेम्बरों ने इस बात पर जोर डाला कि उन्हें क्षेत्र समितियों में कहीं न कहीं रखा जाय, इसलिये उन्होंने यह किया है। मैं उन्हीं मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि केन्द्र में जो विकास विभाग की सलाहकार समिति है और कम्यूनिटी डेवलपमेंट के जो कमिश्नर हैं एस० के० डे०, क्या उनकी सहमति पर उन्होंने ध्यान दिया जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पंचायत और उस तरीके की यूनिटों को जो ग्रामीण क्षेत्र में हों, हर प्रकार से लेजिस्लेटर्स या विधायकों से अलग रखा जाय जिसमें कि वह राजनीति का अखाड़ा न बनें। इस बात को उन्होंने बड़े जोरदार अल्फाज के साथ कहा और इसी को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक पंचायत परिषद् बनी और जिसमें कि बड़े-बड़े विद्वानों ने राय दी उसी राय के साथ-साथ डे साहब ने फिर अपनी बात को दुहराया। उन रायों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती इसका उत्तर मंत्री जी की ओर से नहीं मिला। केवल यह बहाना कि कुछ राज्य सभा के लोगों ने या विधान परिषद् के लोगों ने यह कहा है कि हमको उसमें शरीक किया जाय, यह विश्वास करने के लिये कोई ग्राउन्ड या आधार नहीं हो सकता।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर अपनी नीति को जरा स्पष्ट कर दे। मैं यह भी जानता हूं कि स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से यह घोषणा की जा चुकी है कि वह क्षेत्र समिति का निर्माण अगले सितम्बर या अक्तूबर तक करना चाहता है। इन क्षेत्र समितियों का निर्माण करके वह शायद यह दिखाना चाहते हैं कि अगर हम जिला परिषद् का निर्माण नहीं कर पाये तो कम-से-कम क्षेत्र-समितियां तो बना दीं और चुनाव के पहले वह इस प्रकार से थोड़ी सी अपनी कारगुजारी दिखाना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्र समितियां जो सरकार बनाने जा रही है, इनमें वह अंश शामिल नहीं हो सकेगा जो कि एक निर्वाचित अंश होगा क्योंकि निर्वाचित अंश उसमें शामिल हो सके उसको लागू करने के लिये सरकार अब भी समर्थ नहीं है।

इसी विधेयक में दफा २७०, जो सदस्यों के निर्वाचन के लिये लागू होती है वह, फिलहाल स्थगित समझी जायगी। क्षेत्र समितियों में नये सदस्य नहीं पहुंच पायेंगे। जब ऐसी स्थिति है कि उनका जन्म इस नये विधेयक से करने जा रहे हैं तो उसके अन्दर चुने हुये सदस्य न होना, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानों का न होना बिलकुल न्याय संगत नहीं है। लेकिन जो भी विचारशील व्यक्ति वहां पर आ चुके हैं उनकी स्वतन्त्र विचारधारा को रोकने के लिये एक टोली अपने विधायकों की आप वहां पर भेज रहे हैं। वे विधायक भी शहर के इलाके के रहने वाले होंगे जो अपना वोट देने के लिये वहां पर उपस्थित हो जायेंगे। जिस समय क्षेत्र समिति में कोई बात तय होगी तो उसमें अपना मत देने के लिये वहां पहुंच जायेंगे। हम देखते हैं कि यहां पर जब वोट के लिये घंटी बजती है तो इधर उधर से वोट देने के लिये सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। उसी तरीके से बहुमत दिखाने के लिये क्षेत्र समिति में भी वे रोज शहर से लारी में भर कर पहुंच जायेंगे। जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन वहां पर मत देने की आवश्यकता पड़ जायगी उस दिन पात्र कुपात्र सब वहां पहुंचेंगे। इसीलिये मैंने कहा था कि मुझे सन्देह है। आपने केन्द्र की बात को भी नहीं माना है कि इसको पार्टीबाजी का अखाड़ा न बनाया जाय। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर फिर विचार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मैंने जानबूझकर अभी तक वह बात नहीं कही थी जो मैं अब कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसमें बड़ी आशंकायें हैं। श्रीमन्, अगर प्रवर समिति की रिपोर्ट को देखा जाय तो वहां भी यह बात स्पष्ट थी कि यह प्रश्न ऐसा था कि जिस प्रश्न के ऊपर प्रवर समिति में निर्णय रोक दिया गया था। मैंने वहां भी विधान परिषद् के सदस्यों से यह निवेदन किया था कि जहां पर केवल विधान परिषद् के सदस्य बैठे हों वहां उनको बहुत बात अपने अधिकारों के संबंध में नहीं कहना चाहिये। यह भी मैंने कहा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है दोनों सदन के सदस्यों की बात एक सी है। दोनों सदनों के सदस्यों की भावनाओं को बहुत ध्यान से सुनकर जहां तक हो सकता है उनको सम्मिलित करने की कोशिश की जाती है। माननीय सदस्यों ने मेरी एक बात का उत्तर नहीं दिया। विधान परिषद् के सदस्यों का यह कहना था कि विधान सभा का कोई सदस्य शहर में रहता हो, शहर में रहने के बावजूद अपने क्षेत्र की तमाम ब्लाक कमेटियों का सदस्य हो, ऐसा विधेयक में था और विधेयक में है। विधान परिषद् के सदस्य जब इस बात को कहते हैं कि विधान सभा का सदस्य शहर में रहने के बावजूद भी जब कोई उस पर बन्धन निवास स्थान का नहीं रखा गया और वह अपने ब्लाक की कमेटियों का सदस्य हो सकता है तो विधान परिषद् के सदस्यों में क्या बात है कि वह अपने क्षेत्र में जितनी ब्लाक की कमेटी हों, उनका सदस्य न हो। कम से कम मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तर्क को मैंने माना उनकी तरफ से, लेकिन पूर्णरूप से उसको स्वीकार नहीं किया। प्रवर समिति में इस पर जोर दिया गया, लेकिन जब यह विधान परिषद् में आया तो विधान परिषद् में केवल इस बात को माना गया कि एक ब्लाक को वह चुन सकते हैं। यहां इतनी इतनी बातें जो कही गई हैं उन के विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के सामने कोई खास शहर हो, जैसे अवस्थी जी या वर्मा जी के सामने एक शहर कानपुर है, और पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी संख्या वहां बतला दी और २६ मेम्बर उन्होंने बना दिये, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम यह नहीं समझता कि इससे इतना फायदा होने वाला है। खैर, एक छोटी सी चीज से प्रभावित होकर या स्थानीय बातों को देख कर इतने बड़े मसले पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये। दूसरे, जब दूसरे सदन के सदस्य भी वही तर्क प्रस्तुत करते हैं तो उनकी भावनाओं को देख कर हम को जांचना होता है, किसी चीज का फैसला करना पड़ता है। यदि विधान सभा के सदस्य को शहर में रहने के बावजूद, वहां निवास स्थान भी न होने पर यह अधिकार है कि वह हर ब्लाक समिति का सदस्य हो जाय, तो विधान परिषद् के सदस्य को इस बात से क्यों वंचित कर दिया जाय कि वह एक ब्लाक समिति का भी सदस्य न रह सके, यह मुझे उचित नहीं मालूम पड़ा। और अवस्थी जी को या किसी और को कोई शंका है कि इस से बड़ा नियंत्रण आ रहा है तो मैं उसको नहीं मानता। यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र के बड़े-बड़े सिद्धान्त तो उस समय उठने चाहिये थे कि जब हमने यह तय किया था कि विधान मंडल के सदस्य ब्लाक समितियों में रहें अथवा नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित है और माननीय सदस्य को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब मैं मोतीलाल जी का संशोधन पहले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के पुनरांकित भाग (६) में किये गये संशोधन को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२७

विपक्ष में—७८।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के अन्तिम प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ में शब्द "वर्तमान संख्या यथा स्थिति पांच या" के बाद शब्द "आठ" निरसित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं यह कहना चाहता हूं कि अब मैं इन संशोधनों पर ३ या ४ सदस्यों को ही बोलने का अवसर दूंगा क्योंकि काफी संशोधन हैं और केवल ५-५ मिनट का समय दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से स्त्रियों और हरिजनों को नामिनेट करके और उनकी संख्या ५ से ८ बढ़ाकर यह सरकार येनकेन प्रकारेण अपना प्रभुत्व उनमें जमाना चाहती है और यह चाहती है कि किसी तरह से इनका वहां पर बहुमत बना रहे । सरकार यह सोचती है कि अगर किसी तरह से चुन करके हम बहुमत में न आ सकें तो इस तरह से बैक डोर से आ जायं । इसीलिये वह इनकी संख्या बढ़ाकर ८ करना चाहती है । इस तरह से यह सरकार उन क्षेत्र समितियों को राजनीति का अखाड़ा बना रही है, इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

दूसरी बात यह कि अगर यह सरकार हरिजनों का और स्त्रियों का उनमें प्रतिनिधित्व रखना चाहती है तो क्यों नहीं उनको चुनाव के जरिये से आने देती है । यहीं पर सदन में पहले जब यह विधेयक आया था तो एक महिला सदस्य ने यह कहा था कि हम किसी का प्रोटेक्शन नहीं चाहते, हम अब अबला नहीं हैं, सबला हैं । तो उनकी तो इतनी हिम्मत है, किन्तु सरकार उनको बैकडोर से लाना चाहती है जिसका एक ही कारण है कि सरकार अपना बहुमत बनाये रखना चाहती है ।

श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब पाकिस्तान बनने की बात थी, उस समय एक शिमला कान्फ्रेंस हुई थी । उस समय लोग यह समझते थे कि यह कांग्रेस जो थी वह हिन्दुओं की संस्था थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की । मौलाना आजाद साहब को जिन्ना साहब कहते थे कि मौलाना आजाद इज ए शो ब्वाय आफ दि हिन्दू कांग्रेस (Maulana Azad is a show boy of the Hindu Congress) और इसी कारण देश का बटवारा हुआ । यानी हमने, नेताओं ने, यह माना कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व करती है । बटवारे से हमने मान लिया कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमानों का नहीं । उस समय इसी कारण देश का बटवारा हुआ और देश को कमजोर बनाया गया । आज भी इस नामिनेशन के द्वारा उस वर्ग को कमजोर बनाया जा रहा है । वे लोग कांग्रेस का प्रतिनिधि रह सकते हैं, किन्तु महिलाओं के, हरिजनों के प्रतिनिधि नहीं कहलायेंगे । इससे प्रजातन्त्र के सिद्धान्त की पूरी तरह से हत्या होगी । एक ओर हम नीचे के स्तर पर प्रजातंत्र लाना चाहते हैं और दूसरी ओर हम यह कर रहे हैं, यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । इससे यहां राजनीति का अखाड़ा ही बन जायेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम गांव के लोगों को सुखी रहने दें । वरना जिस तरीके पर आज हमारी गांव सभायें चल रही हैं उनमें अराजकता और दलबन्दी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी और अब इससे और बढ़ जायगी । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अनुमेलन के तरीके को खत्म करें ।

श्री प्रतापसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय गोविन्दसिंह जी के संशोधन का मैं समर्थन करना चाहता हूं । एक तरफ तो यह प्रजातंत्र को मजबूत बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि देहातों में पालिटिक्स का नहीं लड़ाना चाहिये, और तीसरी तरफ कहते हैं कि नामिनेशन्स रहने चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी कमेटी, खेर कमेटी, की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें हर जगह नामिनेशन्स का कंडेम किया गया है । मैं भी नामिनेशन्स के बिलकुल खिलाफ हूं । यह एक नया प्रयास हो रहा है, लेकिन उसमें भी वही नामिनेशन्स वाली बात रखी जा रही है । राजस्थान हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन सभी मामलों में, नामिनेशंस के मामले में भी, उसने सख्त कदम उठाया है और आगे बढ़ गया है । इस सरकार

के प्रोग्राम का ही पता नहीं रहता। इसको अभी तक यह पता नहीं है कि असेम्बली कब तक चलेगी। यह तो बहुत बड़ी चीज है। हमारा तो बोलने को मन नहीं करता इसलिये कि हम जानते हैं कि स्वीकार तो होगा नहीं, लेकिन इस खयाल से कि कैलाश प्रकाश जी खुद बदनाम न हो जायं, मैं चाहता हूं कि उन जैसे आदमियों को पालिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि नामिनेशंस का वह प्रयोग करें, विशेषकर उस बिल में जिसमें वह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हों।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, माननीय विष्ट जी ने जो प्रस्ताव किया है और माननीय प्रतापसिंह जी ने जो समर्थन किया है वह कुछ भ्रम पर आश्रित मालूम होता है। यह तो एक शाब्दिक संशोधन है, मूल विधेयक में यह कमी रह गयी थी वह दूर करना है और कोई परिवर्तन नहीं है।

जहां तक नामजदगी का ताल्लुक है वह इसमें है नहीं। जो मूल धारा थी उसके मुताबिक यह था कि महिलाओं की संख्या यदि ५ से कम हो तो पहले यह था कि उस ५ की संख्या को बनाने के लिये अनुमेलन कर लिया जाय। अगर और किसी तरीके से महिलायें आ गयी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ब्लाक कमेटी में और धाराओं के अनुसार चुनकर महिलायें ५ से कम आयी हों तो उनकी संख्या ५ बनाने के लिये अनुमेलन कर लिया जाय। इसी तरीके से हरिजनों की बात थी। उनके लिये ८ था कि यदि ८ से कम उनकी संख्या किसी ब्लाक कमेटी में हो तो अनुमेलन करके उनकी संख्या ८ कर ली जाय। अब इसके अन्तिम प्रतिबन्ध में यह है खंड २ तथा ३ के अधीन अनुमेलन उतनी बार किया जा सकता है जितनी बार महिलाओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की कुल संख्या ५ करने के लिये इसकी आवश्यकता हो।

श्री अध्यक्ष—उतनी बार या उतनी हद तक, यह क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मान लीजिये कि पहले संख्या पूरी हो गई, लेकिन बाद में कोई हरिजन सदस्य ब्लाक कमेटी का सदस्य नहीं रहा तो इस धारा के अनुसार उनको अधिकार है कि फिर अनुमेलन कर लें। सीमा निर्धारित है कि वहां ८ से अधिक नहीं कर सकते और वहां ५ से अधिक नहीं कर सकते। यह संशोधन तो केवल माननीय सदस्यों की मंशा को पूरा करने के लिये लाया गया है या अगर किसी तरह से छपाई वगैरह में कोई गलती रह गई थी तो उसको ठीक किया जा रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि संख्या ८ थी, लेकिन गलती से यहां ५ रह गई तो उसको ठीक करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इसमें अनसूचित जातियों वाले के लिये ही संख्या ८ है, लेकिन स्त्रियों वाले में ५ है। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी यहां पर पांच या आठ रख रहे हैं उस तरह से आठ की संख्या स्त्रियों के लिये भी हो सकती है.....

श्री कैलाशप्रकाश—शब्द "यथास्थित" भी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—लेकिन इस शब्द के यह अर्थ तो नहीं हैं कि स्त्रियों के लिये आठ की संख्या नहीं हो सकती। इसलिये केवल शाब्दिक ही यह संशोधन नहीं मालूम होता बल्कि जैसा विष्ट जी ने कहा संख्या बढ़ाने के लिये यह लाया गया है। मंत्री जी को अलग-अलग साफ-साफ रखना चाहिये था। इस तरह से पांच या आठ कहकर स्त्रियों की भी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन शाब्दिक नहीं बल्कि बड़ा खतरनाक है, तीन सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये है। इन शब्दों के साथ मैं विष्ट जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने कहा, खींच-खींच कर वह अर्थ तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के लिये पांच और हरिजनों के लिये आठ अलग-अलग होता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष––चूंकि पांच बजे के बाद शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना है इसलिये मैं उसके लिये समय बढ़ाये देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––श्रीमन्, जिसको कई बार अनुमेलित करने की शक्ति होगी उसको कई बार खत्म करने की भी शक्ति हो जायगी। इसमें एक यह खतरा है कि एक बार जिसको कोआप्ट किया गया उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत हो गई या जिला कांग्रेस कमेटी ने कह दिया कि इसने हाथ नहीं उठाया तो उसको निकाल दिया जा सकता है और दूसरे को कोआप्ट कर लिया जाय। तो इस दृष्टि से यह बड़ा डेंजरस है और इस पर मंत्री जी को विचार करके इसका निराकरण करना चाहिये।

नियम ५३ के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के निर्माण न होने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष––अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य दे दें। उसके ऊपर कल एक घंटा बहस चलेगी।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह वक्तव्य देता हूं।

"विधान सभा के कुछ सदस्यों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट न बन सकने के सम्बन्ध में चर्चा उठाने के लिये विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की धारा ५३ के अन्तर्गत नोटिस दी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टैट्यूट्स २८ अगस्त, १९५८ से लागू हुये और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय ने कोर्ट के निर्माणार्थ आवश्यक कार्यवाही करनी शुरू कर दी। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की सूची तैयार की गई और उनके २५ प्रतिनिधि चुनने के लिये निर्वाचन किया गया। निर्वाचन का नतीजा निकालने के पूर्व ही कुछ व्यक्तियों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और जिला जज, गोरखपुर, द्वारा विश्वविद्यालय को नतीजा घोषित करने से रोकने के लिये अस्थायी इंजंक्शन जारी करवा दिया। जब विश्वविद्यालय से शासन को इस बात की सूचना मिली तो शासन ने हर कानूनी पहलुओं पर विचार विनिमय करने के पश्चात् उन्हें चांसलर द्वारा इस बात की सलाह दी कि वह इंजंक्शन को खारिज कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे। विश्वविद्यालय ने भी कुछ कानूनी सलाहकारों से राय ली और अन्त में विश्वविद्यालय ने १९ मई, १९६० को हाई कोर्ट में इस बात की अर्जी दी कि वह गोरखपुर के स्थानीय कोर्टों में पेंडिंग मुकदमों को अपने यहां मंगाकर तय कर दे। यह अर्जी हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली और ११ अगस्त, १९६० को हाई कोर्ट ने अपने यहां उक्त केसों के हस्तांतरण की आज्ञा दी। इसी बीच जो तीन केस स्थानीय कोर्टों में पड़े थे, उन्हें सम्बन्धित व्यक्तियों ने स्वतः वापिस ले लिया।

जैसे ही रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स सम्बन्धी केस के हटाये जाने की आज्ञा स्थानीय कोर्ट से मिली वैसे ही विश्वविद्यालय ने नियमानुसार मतदानों की गणना आरम्भ करने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। स्क्रूटिनी १२ सितम्बर, १९६० को ३ बजे प्रारम्भ हो गई।

इसी बीच एक श्री धूपनारायण त्रिपाठी ने, जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं, मुन्सिफ की अदालत में यह अर्जी दी कि सम्बन्धित व्यक्तियों को मुकदमा वापस लेने का अधिकार नहीं था, और वह मुकदमा पुनः चालू किया जाय। वहां से तो उनकी अर्जी नामंजूर हो गई किन्तु अन्त में सिविल और सेशन्स जज, गोरखपुर, द्वारा एक नया इंजंक्शन विश्वविद्यालय के विरुद्ध जारी हो गया, जिससे विश्वविद्यालय को स्क्रूटिनी पुनः रोक देनी पड़ी। विश्वविद्यालय द्वारा इस इंजंक्शन के विरुद्ध १४ सितम्बर, १९६० को कोर्ट में एतराज दाखिल कर दिया गया है किन्तु अभी तक कई तारीखें पड़ने के पश्चात् भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

इस सम्बन्ध में अभी कुछ ही दिनों पूर्व विधान परिषद् में श्री हृदय नारायण सिंह ने एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था, जिसका आशय यह था कि कोर्ट में अब तक जितने सदस्य उपलब्ध हैं उन्हीं को लेकर कोर्ट बना दिया जाय और उक्त कोर्ट कानूनी दृष्टि से विधिवत् समझा जाय। दूसरे शब्दों में मतलब यह था कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट या अन्य कोई सदस्य, जिनका मामला झगड़े में है, उन्हें छोड़कर शेष सदस्यों को लेकर कोर्ट बना दिया जाय। इस पर शिक्षा मंत्री जी ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि वह नये वाइस-चांसलर द्वारा इस मसले पर विचार-विनिमय करके शीघ्र ही कुछ निर्णय लेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो रिमूवल आफ डिफिकल्टीज क्लाज के अन्तर्गत आवश्यक आज्ञा निकाल कर विश्वविद्यालय कोर्ट का निर्माण शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। वाइस-चांसलर के पास इस आशय का पत्र भेज दिया गया है। उक्त आश्वासन पर श्री हृदय नारायण सिंह ने अपना विधेयक वापस ले लिया।

उपर्युक्त स्थिति से विधान सभा के सम्बन्धित सदस्यों को अवगत करा दिया जाय ताकि उन्हें ज्ञात हो जाय कि शासन इस मामले में स्वयं जागरुक है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।"

श्री अध्यक्ष--अब कल बहस होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर उसकी प्रतियां हमको छप कर मिल जायं तो बहस में आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष--अब तो कल तक ही मिल सकती हैं।

(श्री रामस्वरूप यादव से) आप इसकी एक कापी मेरे पास भेज दें, मैं उसको साइक्लोस्टाइल करा कर भिजवा दूंगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन, ५ बज कर ५ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ मई, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

तालिका जिसमें मझोला सहकारी गन्ना मिल (पीलीभीत) के लिये बनाई गई एड हाक कमेटी में जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिये हुये हैं :

१—श्री जी० एस० चूड़ामणि, रजिस्ट्रार .. .. चेयरमैन

२—श्री सुखदेव सिंह, ग्राम टांडा विजय सिंह, डाकखाना न्योरिया, जिला पीलीभीत .. .. सदस्य

३—श्री अनन्तराम तलवार, अशोक फार्म डाकखाना खटीमा, जिला नैनीताल .. .. ,,

४—श्री रोशनलाल शुक्ल, विशनपुर फार्म, डाकखाना देवनी डाम, जिला पीलीभीत .. .. ,,

५—श्री के० के० जोशी, जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत .. रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत किये हुये सेक्रेटरी

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१७ पर)

१९५८ में सीतापुर नगर में खोली गई दूकानों की सूची

दूकानों की संख्या	स्थानों के नाम	दूकान खुलने की तिथि
६	थामसनगंज ..	२-८-५८
	लोहार बाग ..	,,
	जेल रोड	,,
	कजियारा ..	,,
	फत्तन सराय ..	,,
	स्टेशन रोड	२९-९-५८

१९५८ में सीतापुर जिले में खोली गई दूकानों की सूची

दूकानों की संख्या	स्थानों के नाम	दूकान खुलने की तिथि
८	बिस्वां ..	२-१०-५८
	लहरपुर ..	१-१०-५८
	महमूदाबाद ..	,,
	खैराबाद ..	२-१०-५८
	मिसरिख ..	,,
	नीमसार ..	,,
	अटरिया ..	६-१०-५८
	गोंदलामऊ ..	१७-११-५८

संसद पुस्तकालय

१९६० में सीतापुर नगर में खोली गई दूकानों की सूची

दूकानों की संख्या	स्थानों के नाम	दूकान खुलने की तिथि
३	आर्य नगर ..	२१-६-६०
	मिरधनी टोला	६-९-६०
	सीतापुर टाउन	२६-१०-६०

१९६० में सीतापुर जिले में खोली गई दूकानों की सूची

दूकानों की संख्या	स्थानों के नाम	दूकान खुलने की तिथि
२८	सिधौली २ ..	१६-५-६०
	बिस्वां ३ ..	१७-१०-६० और १५-११-६०
	नीलगांव १ ..	१७-१०-६०
	मिसरिख १ ..	,,
	नीमसार १ ..	,,
	महोली १ ..	,,
	कुतुब नगर १ ..	,,
	लहरपुर १ ..	१८-१०-६०
	कुंअरपुर १ ..	,,
	अटरिया १ ..	२८-१०-६०
	सलेमऊ १ ..	,,
	अकबरपुर १ ..	,,
	महमूदाबाद २ ..	२५-१०-६० और १-११-६०
	हरगांव १ ..	२५-१०-६०
	महराजनगर १	२६-१०-६०
	सदरपुर १ ..	,,
	सिंहनापुर १ ..	२७-१०-६०
	बड़ागांव १ ..	२८-१०-६०
	सांडा १ ..	,,
	बेहतगौर १ ..	४-११-६०
	गोंदलामऊ १ ..	८-११-६०
	खराबाद १ ..	,,
	बेहतविराम १ ..	१४-११-६०
	मछरेटा १ ..	१४-११-६०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर)

केन्द्रीय सरकार में मिलने वाले भत्ते--

(१) महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) --

वेतन श्रेणी :

	रु०
५१ रु० से १०० रु० तक	५०
१०१ रु० से १५० ,, ...	५५
१५१ रु० से २०० ,, ...	६०
२०१ रु० से ३०० ,, ...	६५
३०१ रु० से ५०० ,, ...	७०

(२) नगर संपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) लखनऊ में--

६१ रु० से १०० रु० तक	५
१०१ रु० से १४० ,, ...	७
१४१ रु० से २५० ,, ...	१०
२५० रु० से ऊपर ,, ...	१०

अल्मोड़ा, अलीगढ़, इलाहाबाद, देहरादून, मेरठ, रामपुर तथा वाराणसी में--

१२५ रु० तक	५
१२६ रु० से १३३/५० तक	७
१३३/५० रु० से ३३५ तक	१०

(३) मकान किराया (House rent Allowance) लखनऊ में--

६१ रु० से १०० रु० तक	१०
१०१ रु० से १४० रु० ,, ...	१५
१४१ रु० से २५० रु० ,, ...	१५
२५० रु० से ऊपर	वेतन का ७ १/२ प्रतिशत

अल्मोड़ा, अलीगढ़, इलाहाबाद, देहरादून, मेरठ, रामपुर तथा वाराणसी में--

१२५ रु० तक	७ रुपये
१२६ रु० से १३३/५० तक	उस धनराशि के बराबर जिसे वेतन रु० १३४/५० नये पैसे से न्यून हों।
१३३/५० रु० से ३३५ तक	

प्रदेशीय शासन में मिलने वाला भत्ता।			
महंगाई भत्ता १-४-६० से पूर्व			
वेतन श्रेणी			रु०
५१ रु० से १०० तक	..	..	.. २५
१०१ रु० से १५० तक	..	..	.. ३०
१५१ रु० से ४५० तक	..	..	.. ३५
महंगाई भत्ता १-४-६० से और उसके बाद			
५१ रु० से १५० रु० तक	..	..	.. ३५
१५१ रु० से ४५० रु० तक	..	..	.. ४०

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३७–१३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

प्रश्न संख्या १३७–१३८ के उत्तर से संबंधित तालिका

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	नदी के कटान से ध्वस्त हुए मकानों की संख्या	मालगुजारी में छूट	मकान बनवाने के लिये असहायों को दिये गये रुपये	भूमिहीनों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था	अन्य सहायता का विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	रसूलपुर ..	८	..	..	इस गांव के क्षतिग्रस्त परिवारों को बसाने के लिये गांव भूलन चक में गांव समाज की जमीन दी गई है।	
२	खैराटी ..	२७	..	५४०	क्षतिग्रस्त परिवारों को गांव भभया और पुरवा में गांव समाज की भूमि दी गई है।	स्तंभ २ में उल्लिखित गाँव के जरूरतमंद व्यक्तियों को गल्ला चना, गुड़, तथा नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई आदि भी बांटी गई।
३	पथरहा मिसिर ..	३५	९५६.८४ न० पै०	..	क्षतिग्रस्त परिवारों को उन्हीं के गांवों की गांव समाज की भूमि दी गई है।	
४	भूलन चक ..	११	१४५.७० न० पै०	१५०	..	
५	नकौरी ..	१६	१४५.१४ न० पै०	..	..	
६	भरौली एहतमाली ..	२	१३६.८७ न० पै० ..	..	..	

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	नदी के कटान से ध्वस्त हुए मकानों की संख्या	मालगुजारी में छूट	मकान बनवाने के लिये असहायों को दिये गये रुपये	भूमिहीनों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था	अन्य सहायता का विवरण
१	२	३	४	५	६	७
७	गायघाट	..	१४९	१९९.४० न० पै० ..	५७०	इस गांव के क्षति-ग्रस्तों को गांव लोनागनर, भूलनचक और गायघाट के गांव समाजों की भूमि में बसा दिया गया है।
८	जैतपुर	..	१	..	..	क्षतिग्रस्त परिवारों ने अपने ही गांवों की खाली जमीन पर अपने मकानों का पुनर्निर्माण कर लिया है। ..
९	डुमरा	..	३	..	..	.. ..
१०	डेरवा	..	२	३२९.९२ न० पै० ..	..	.. ..
११	सरया	..	९	३०.९३ न० पै० ..	१२०	.. ..
	योग	..	२६३	१,९४४.७० न० पै०	१,३८०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

तालिका संख्या १

पद नाम	वेतन-क्रम
१—यूनिट मैनेजर	८५—५—१०० रु०
२—यूनिट मैकेनिक	७०—४—९० रु०
३—सहायक यूनिट मैनेजर	४५—३—६० रु०
४—ट्रक ड्राइवर	३०—२—६० रु०
५—जीप ड्राइवर	५०—२—७० रु०
६—ट्रक क्लीनर	२५—१—३५ रु०
७—यूनिट क्लीनर	४०—२—५० रु०
८—फोरमैन रोड रोलर	८०—३—११०—द० रो०—३—१२५ रु०
९—रोड रोलर ड्राइवर	४५—२—६५—द० रो०—२—७५ रु० ।
१०—फायरमैन रोड रोलर	२०—१—४५ रु०
११—क्लीनर रोड रोलर	२५—१—३५ रु०
१२—फिटर	५०—२ १/२—७५ द० रो०—२ १/२—९० रु० ।
१३—सी० सी० मिक्सचर ड्राइवर	४५—३—६५—द० रो०—२—७५ रु० ।
१४—वाटर पम्प ड्राइवर	४५—२—६५—द० रो०—२—७५ रु० ।
१५—मैकेनिक	८०—५—१०० रु०
१६—वर्क सुपरवाइजर ट्रेन्ड	८५—२ १/२—७०—३—१०० रु० ।

तालिका संख्या २

पद नाम	वेतन-क्रम
१---मिस्त्री	६० रु० से १२०रु० तक ।
२---वाइवरेटर ड्राइवर	६५ रु०
३---मिक्सचर ड्राइवर	६७ रु०
४---वर्क एजेन्ट	५० रु० से १०० रु० तक ।
५---स्टोर मुंशी	५० रु० से ६० रु० तक ।
६---चौकीदार	३३ रु० से ५३ १/२ रु० तक ।
७---माली	४० रु० से ४८ रु० तक ।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी० ए० पी०-९९ एल० ए०-१९६१---८४५ ।